खण्ड-260, अंक-8
मंगलवार, 30 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(21 सितम्बर, 1965 ई0)

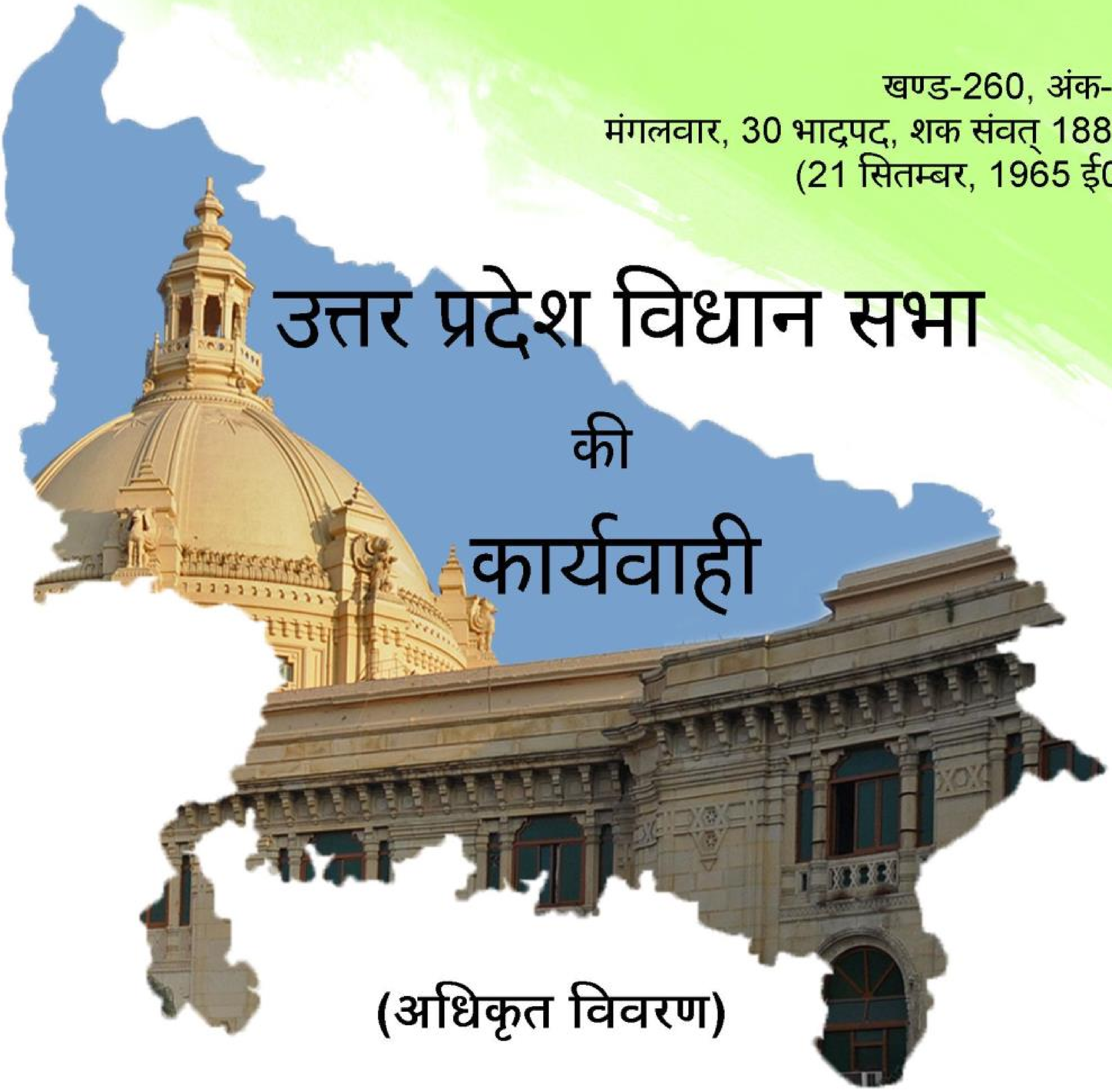

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 260 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६९९–७०३
प्रश्नोत्तर	७०३–७३०
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	७३०–७३१
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	७३२
लोकलेखासमिति में विधान परिषद् के निर्वाचित सहयुक्त सदस्य ..	७३२
कतिपय विषय	७३२–७३३
सदन के समय में परिवर्तन	७३३
कर-विधेयकों के पुरःस्थापन पर आपत्ति	७३३–७३४
उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट्स एंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरः-स्थापित किया गया)	७३४–७३५
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ (पुरः स्थापित किया गया)	७३५–७४१
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरः स्थापित किया गया)	७४१–७४२
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ (पुरः-स्थापित किया गया)	७४२
पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के संदर्भ में खाद्य स्थिति पर चर्चा (समाप्त)	७४२–७६१
नियम ५० पर होने वाली चर्चाओं का स्थगन	७६१–७६२
नत्थियां	७६३–७८९

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २१ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम,, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री,
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री

रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री

शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचता कृपालानी, श्रीमती
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मन्त्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा गृह उपमन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २१ सितम्बर, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पूर्वी यमुना नहर बन्द रहना

*१—श्री यशपाल सिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान अल्पवृष्टि की अवस्था में भी नहर जमन शरकी (पूर्वी) सूखी क्यों पड़ी है ?

विद्युत उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

यह नहर मोहन्ड में आई हुई बजरी की सफाई करने हेतु १४-८-६५ से २०-८-६५ तक बन्द रही और २०-८-६५ से बराबर चल रही है।

*२—श्री यशपालसिंह वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री उपरोक्त पूर्वी यमुना नहर को तुरन्त चालू करने के आदेश तार द्वारा देंगे ताकि फसलों को पानी मिल सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता ।

*३—श्री यशपालसिंह वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री रजबहा हंगावली तथा रजबहा पापड़ी, जिला सहारनपुर को पूरी पंसाल पर छुड़वाने की कृपा करेंगे ताकि पानी इन रजबहों के टेल तक पहुंच सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ये दोनों रजबहे पानी की प्राप्ति के आधार पर रोस्टर के अनुसार चलाये गये । अधिशासी अभियन्ता को आदेश दे दिये गये हैं कि और अधिक पानी देने का प्रयत्न करे ।

श्री यशपालसिंह वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १३-८-६५ को जमुना नदी में और पूर्वी नहर में कितना पानी था तथा २०-८-६५ को जब काम खत्म कर दिया तो जमुना नदी में कितना पानी था और पूर्वी नहर में कितना पानी लिया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मेरे पास डिटेल्स हैं और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं बता दूंगा लेकिन हालत यह है कि जो हमारी नहर है (पूर्वी) उसका हेड वर्क्स पंजाब सरकार के कन्ट्रोल में है ....

श्री यशपालसिंह वर्मा—

श्रीमन्, यह तमाम सदन को मालूम है कि इसका हैड वर्क्स पंजाब सरकार के कन्ट्रोल में है, इसका मोहन्ड भी खराब है तो बार-बार इस बात को दुहराने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा । जो कोई विशेष बात हो उसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

अगर आप पुरानी बात नहीं सुनेंगे तो मेरे उत्तर का मतलब आप नहीं समझ सकेंगे । जमुना नहर जो है उसका मुहाना ऐसा है कि उसमें कम पानी आता है । इस सम्बन्ध में हमने भारतीय सरकार को लिखा है लेकिन जब तक उसकी मरम्मत नहीं होती या दुबारा नहीं बनाया जाता, तब तक इसका कोई इलाज सम्भव नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, आपको याद होगा मैंने जो अल्पसूचित प्रश्न पूछा था, जिसका माननीय मंत्री जी ने २६ तारीख को उत्तर भी दिया था कि पानी चल रहा है पर मेरी निश्चित सूचना है कि पानी बन्द रहा और आज भी जो पानी चल रहा है वह बहुत कम है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब नहर के मोहाने को साफ कर दिया गया है तो इसकी क्या वजह है कि अब भी पानी बहुत कम चल रहा है ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

जिस दिन मैंने जवाब दिया उस दिन पूरा पानी चल रहा था । होता यह है कि जब नदी में पानी कम जाता है तो दूसरी तरफ ढल जाता है । चूंकि नदी में पानी कम होने लगता है तो हम एक बांध बना देते लेकिन अब एक और बांध बनाना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में हमारे यहां के चीफ इन्जीनियर पंजाब के चीफ इन्जीनियर से बातचीत करने गये हैं और वहां पर एक मीटिंग हो रही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मंत्री जी ने कहा कि १ हजार व्यक्ति लगाये हुए हैं साफ करने के लिये । तो उन्होंने जो डेढ़ महीने तक काम किया है उसका क्या रिजल्ट हुआ ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

आदमी लगा करके २०-८-६५ को पूरा पानी नहर में ले आये । लेकिन ऐसा होता है कि नदी में जो टेम्पोरेरी बांध बना करके पानी लाये हैं और जब ज्यादा पानी आ जाता है तो वह टेम्पोरेरी बांध बह जाता है और अगर नदी में पानी कम हो जाय तो भी काम नहीं चल सकता । इस समय १ हजार क्यूसेक्स पानी नहर में चल रहा है । हमने पंजाब सरकार और केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि वे इन्तजाम करें जिससे कि पानी दे सकें ।

श्री यशपालसिंह वर्मा—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था १४ को आपने खुदाई लगवाई तो १३-८-६५ को जमुना में कितना पानी था और नहर में कितना पानी था ? दूसरी बात मैंने यह पूछी कि २० को जब काम समाप्त कर दिया तो २१ और २० में जमुना में कितना पानी था और आपकी नहर को कितना पानी मिला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पानी कम होते होते १३ तारीख को करीब-करीब पानी नहीं था और १४ को बन्द हो गया । २० तारीख को पूरा पानी चलता रहा ।

श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, मैं इस नहर के पास ही रहता हूं और बराबर मैंने १८ और १९ तारीख को अपनी आंखों से देखा था और आज भी मेरे यहां से एक आदमी आया है, २० तारीख में आप कह रहे हैं कि पूरा पानी चल रहा है । मैं कहता हूं कि तीन फीट भी पानी इस वक्त नहीं चल रहा है । क्या आप इसकी किसी जिम्मेवार आदमी से जांच करायेंगे कि कल शाम तक नहर में सिर्फ इतना पानी था कि काश्तकार को कुलाबे द्वारा पानी नहीं पहुंच पाया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा था कि २०-८-६५ को पूरा पानी था । आज और कल १ हजार क्यूसेक्स पानी है। मेरी और आपकी बात में कन्ट्रेडिक्शन नहीं है ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, जो कैनाल मैनुअल है वह बड़ी पुरानी है । साउथ में तो उसमें तब्दीली हो गयी है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कैनाल का जो कमान्ड एरिया है फसलों के मुताबिक अगर कैनाल है तो फसलों के मुताबिक पानी दिलाने के लिये मैनुअल में चेंज करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

हमारा जो हेड बना हुआ है वह करीब करीब १० वर्ष पुराना हैं । नदी दूसरी तरफ चली गयी । तो जो फिजिकली पौसिबिल है वही हो सकता है । रीमाडेलिंग की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और स्कीम भी बनायी है और चाहते हैं कि रीमाडेल कर दें जिससे हमारी नहर में पानी आ सके ।

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या यह सही है कि हेड में जो लोग काम करते हैं उनको सही पैसे नहीं दिये जाते हैं और वे एक दिन काम करते हैं उसके बाद दुबारा नहीं आते हैं । इसलिये काम कम चलता है । क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी बात बिलकुल नहीं है ।

श्री भीखालाल (जिल उन्नाव)—

इस बात को देखते हुए कि इस वर्ष बरसात कम हुई है जो खरीफ की फसल इस समय खड़ी हुई है उसको तैयार होने के लिये पानी की आवश्यकता है और रबी के लिये पलेवा करने के लिये पानी की आवश्यकता है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंग कि प्रदेश की सभी नहरों में पानी चलता रह और व बन्द न की जायं ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

इर्रीगेशन विभाग का यह मंशा कभी नहीं है कि उसके पास पानी हो और न दिया जाय लेकिन कुदरती हालात पर बहुत सी बातें निर्भर करती हैं । बुन्देलखंड के इलाके में सिंचाई का मामला बहुत कुछ बरसात पर निर्भर करता है । वहां बहुत से रिजरवायर हैं जो बरसात में भर लिये जाते हैं और उनसे पूरे साल भर पानी लिया जाता है । इसी तरह से जो हिमालय से पानी आता है और जो फीड रीवर्स हैं उनमें बरफ पिघल कर पानी भर जाता है लेकिन यह सब कुदरत पर निर्भर करता है और इंजीनियर तथा मानव शक्ति उसे हारनेस करके किसानों के लिये ले आते हैं । इसके अलावा जो कुवें का पानी है उसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है । सरकार और मंत्री जी कहते हैं कि नहर में पानी चल रहा है । कांग्रेस दल और अन्य दलों के सदस्य कहते हैं कि नहीं चल रहा है । आखिर इस बात का फैसला कैसे हो कि कौन-सी बात सत्य है इस संबंध में आप क्या व्यवस्था देते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

यह तो अभी बतलाया गया कि जमुना नहर का जहां तक सवाल है इसमें पूरे तौर पर २,८०० क्यूसेक्स पानी चलना चाहिये लेकिन उसका जो हेड हैं उससे पानी चलता है । इस समय करीब करीब १ हजार क्यूसेक्स पानी चल रहा है । पानी कम है इस वर्ष ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या यह सच है कि इसी हेड से पश्चिमी गंगा कैनाल पंजाब को जाती है और ईस्ट गंगा कैनाल यू० पी० में आती है और पंजाब की नहर यू० पी० की नहर से ज्यादा पानी देती है, और यह सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता है तो सरकार इसमें कुछ सुधार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें मैंने बार-बार समझने की कोशिश की लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नहीं समझा सका । नदी में पानी है लेकिन हमारे यहां जो नहर है उसमें पानी इसलिये नहीं आ रहा है कि नहर का हेड ऊंचा है । यह १०० वर्ष पुराना बना हुआ है । प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि दूसरा हेड बना कर उस पानी को यहां लाया जाय लेकिन उसका संबंध पंजाब के साथ है । उनसे बार-बार कहा गया और चीफ इंजीनियर को भी भेजा गया ताकि ऐसा इन्तजाम हो सके जिससे पानी आ सके ।

श्री अध्यक्ष—

इसका मतलब यह है कि पानी नहर में असंतोषजनक है और उसका कारण यही है कि जो हेड है वह ठीक नहीं है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हां, यही बात है ।

श्री यशपालसिंह वर्मा--

हमारे उप मंत्री जी ने उत्तर दिया कि नहर का जो हेड है वह खराब है । मैंने पहले ही अर्ज किया था कि उसका हेड खराब है । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि बहुत कुछ दारोमदार है कुदरत पर । मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री जी से मुद्दत से जब से होश संभाला है कुदरत भी वही है, हेड भी वही है लेकिन जो दिक्कत इस समय हो रही है पानी की उस नहर में मेरे होश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना कम पानी आया हो, और वह जो १ हजार क्युसेक पानी आ रहा है वह कितने रजबहों के लिये काफी है और कितने रजबहे निकल रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, मैंने यह कहा कि एक हजार क्यूजेक्स से पानी कम नहीं होगा । एक काम हम और करेंगे कि जो साहब चलना चाहें, मैं उनको हेड पर ले जाऊंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, वहां जाने से मसला हल होने वाला नहीं है क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हेड पुराना है और जब तक दुरुस्त नहीं होता तब तक पर्याप्त पानी नहीं जायेगा और पत्र के लिखने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई । मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी पंजाब के मिनिस्टर के साथ मिनिस्टीरियल लैविल पर बात चीत करके इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि पर्याप्त पानी आ सके ?

श्री गिरधारीलाल--

श्रीमन्, मैं १७ तारीख को चंडीगढ़ गया था और वहां पर इस विषय में बातचीत हुई थी । अब आगे हम और बातचीत करेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

घोसी तहसील में मगड़ाताल से जल निकासी के लिये प्रार्थना

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील घोसी के ग्राम दुबारी, सुआहि, हैवतपुर, लोकमा आदि के बीच में बहता हुआ कोई ताल ऐसा है, जिसमें से पानी का बहाव न होने के कारण हजारों एकड़ फसल की बरबादी प्रतिवर्ष होती है और संबंधित गांव सभापतियों ने कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास पानी निकासी के लिये आवेदन-पत्र दिया, पर अब तक कोई कार्यवाही न हो सकी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील घोसी के ग्राम दुबारी, स्वाह, हैवतपुर लोकमा आदि के बीच में मगड़ा ताल स्थित है । इस ताल में पानी निकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण करीब ११० एकड़ जमीन में पानी भर जाता है जिससे फसल को हानि होती है । इस ताल से पानी निकास के संबंध में ग्राम सभा सुवाह का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । इस कार्य के प्रदेश के तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नालों के निर्माण के लिये निर्धारित कार्य क्रम में सम्मिलित न होने के कारण इस पर कार्य नहीं किया जा सका ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना में कितना धन व्यय होने का तखमीना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

करीब ६ हजार ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार अन्न के प्रश्न का खयाल करते हुये कुछ योजनायें ऐसी हैं जो अनुत्पादक हैं उनको बंद करके इस योजना को पूरा करने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह नहीं हो सकता क्योंकि हर योजना के लिये अलग-अलग रुपया है और अन्य जगहों पर भी जरूरत है और यदि इंतजाम हो सका और कर सकेंगे तो करेंगे। पहले यह छोटी सी योजना थी और ग्राम सभा को बनानी थी और यदि माननीय पांडेय जी थोड़ी सी मेहनत करते तो यह बन सकती थी। लेकिन इस समय तक नहीं बन सकी। अब हमने यह कर लिया है कि एक मील से कम होती है तो बना लेते हैं। रुपया जैसे-जैसे मिलेगा वैसे-वैसे ही बनाने की बात है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि और योजनायें बंद नहीं की जा सकती हैं और इन योजनाओं पर जो धन स्वीकृत है उसको नहीं लगाया जा सकता है। इस समय देश पर संकट है और विदेश से आने वाला गल्ला बंद हो सकता है और ऐसी दशा में सरकार की यह घोषित नीति है कि अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाय तो सरकार अनुत्पादक योजनाओं को बंद करके कृषि उत्पादन की योजनाओं को क्यों नहीं बना रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दूसरी योजनायें जिनसे अन्न ज्यादा पैदा हो बंद करने की बात नहीं है। मैंने इशारा किया कि हम चाहते हैं कि छोटी-छोटी योजनाओं पर पैसा न लगाकर गांव वाले अपने आप बना लिया करें। यह बहुत बड़ी योजना नहीं है। केवल एक मील की है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र ग्राम सभा लोक सभा से प्राप्त हुआ है जिस दिन वह मिला उस दिन और उसके बाद क्या आपकी योजना थी कि गांवों में पानी घट जाता है और एक मील के अन्दर होता है तो आप खुदवायेंगे। इसको देखते हुये क्या आपने इसको कोई ऐसा सुझाव दिया है जिससे यह अपनी काठिनाई को पूरा कर सकें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

लोगों ने उसको बढ़ा लिया और नाले बंद हो गये। पहले सुझाव दिया था कि गांव वाले खोद लें। लेकिन हमने अपनी स्कीम बदल दी है और एक मील होती है तो हम बनवा देते हैं। इसलिये पांडेय जी ने सोचा कि सरकार बनवा रही है तो इसको भी खुदवा देगी। हमारी स्कीम है कि १५९ गांवों में जन सेवा के द्वारा बनवायें अगर उसमें हो सका तो बनवा देंगे। अगर उसमें नहीं हो सकेगा तो दूसरी योजना में उसको लिया जायेगा। ऐसी स्थिति है और आज अगर जरूरत है तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक मील की स्कीम है, गांव वाले अपने आप बनवा दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस विभाग के अधिकारियों को इस प्रकार का आदेश देंगे कि जिस गांव वाले श्रमदान द्वारा बनाने के लिये तैयार हों उनको सरकार जमीन एक्वायर करके दे दे जिससे जमीन पर झगड़ा न हो ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

एक्वायर करने में झगड़ा और ज्यादा होगा। मैं दरख्वस्त करूंगा कि आप जा कर समझाइये और जमीन एक्वायर करवा दें तो टेक्निकल सहायता इंजीनियर्स दे देंगे।

गोरखपुर जिले में बिजली के लिए मांग

*२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बृजमनगंज धानी, लेहड़ा तथा आनन्दनगर कस्बों के कितने लोगों ने बिजली हेतु आवेदन पत्र कब से दिया है? तथा उनमें से कितने लोगों ने जमानत का पैसा जमा कर दिया है तथा उन्हें अभी तक बिजली क्यों नहीं दी गई?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६३ पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ दिन पहले मैंने स्वयं माननीय मंत्री जी से इस बात की शिकायत की थी कि उपभोक्ताओं के पी० एल० फार्म जमा होने के बावजूद भी बिजली नहीं दी जा रही है, तो क्या ऐसा प्रबन्ध करेंगे जिससे उनको कनेक्शंस दिये जा सकें?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ज्यादा हिस्सों में, ज्यादा कनेक्शंस दे दिये, दो चार नहीं दिये जिन्होंने पी० एल० फार्म नहीं दिया है। अगर दिया है तो मिल जायेंगे। जहां औरों को मिल गया है उनको भी मिल जायगा।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस संकट के समय में जब कि प्रदेश के बड़े नगरों में ब्लैक आउट की योजना हो रही है, कस्बों में बिजली के नये कनेक्शंस न दे कर ज्यादा बिजली शक्ति कृषि उत्पादन के लिये गांव तक बिजली पहुंचाने की स्कीम बनाएंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो रोशनी होती है उसमें बहुत थोड़ी बिजली थोड़े समय के लिये रहती है। कृषि के लिये ज्यादा बिजली चाहिये जिसके लिये वह बहुत कम है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

धानी बाजार में विद्युतीकरण हो गया है और उसके बगल में धानी गांव है, वहां पर विद्युत् की लाइन नहीं गयी है, तो क्या माननीय मंत्री इसका प्रबन्ध करेंगे कि वहां पर लाइन चली जाय जिससे वहां बिजली प्राप्त हो सके?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कुछ दिनों के लिये, रुपया भी नहीं है और दूसरे कारणों से, बिजली देना बन्द हो गया है। जब आप पैसा दे देंगे तब दिया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

पहले मंत्री जी ने कहा था कि जितनी बिजली मांगेंगे वह देने को तैयार हैं। जब भगवान का प्रकोप हुआ, तो आपने देना बन्द कर दिया। सारा खर्चा जमा हो चुका है, और वह मारे-मार फिर रहे हैं उनको बिजली नहीं मिल रही है। तो क्या सरकार ऐसा इंतजाम करवायेगी कि जिन का पैसा जमा हो चुका है उनको बिजली मिल जाय ?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि यह गोरखपुर की बात नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

बलिया में करवा दीजिये।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यह देखा जा रहा है कि जो बिजली प्राप्त करना चाहते हैं वह अपना रुपया जमा करते हैं, किन्तु सालों गुजर जाते हैं, उन्हें बिजली नहीं मिलती है, कनेक्शन नहीं मिलता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप कोई समय निर्धारित करने की कृपा करेंगे जिसके अन्दर रुपया जमा करने बाद ६ मास के भीतर बिजली अवश्य मिल जाया करे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इस बात के आदेश मैंने दिये हैं कि जब रुपया जमा हो जाय तो एक सीरियल नम्बर से बिजली दी जाये, जिस क्रम से रुपया जमा हो उसी क्रम से अनेक्शन दिये जायं। इसके अलावा यह भी आर्डर हैं कि जबतक उन लोगों को जिन्होंने रुपया जमा किया है बिजली न मिल जाए नये कनेक्शन न दिये जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

चिनारी ग्राम में भी रुपया जमा हो गया है और पी० एल० फार्म भी सारे कम्पलीट हो गये हैं किन्तु उन्हें अभी तक भी बिजली नहीं मिली है। इसके लिये मैंने मंत्री महोदय से भी बात की थी और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मिल कर बताया था जिस पर उन्होंने कहा था कि दो रोज के अन्दर हम सारे कनेक्शन दे देंगे लेकिन आज इतने महीने हो गये, यही सारे कस्बे का हाल है। इसी संबंध में एक और बात बता दूं वहां के एक इंस्पेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई इस बारे में, उस समय मेरे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के श्री रघुवर यादव भी थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना कुछ लिये दिये यह काम नहीं हो सकता है। इसकी भी मैंने शिकायत की, ...

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अभी मायर जी भी यही कह रहे थे। उनकी बात ठीक है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जब मैं कहता हूं मंत्री जी नाराज हो जाते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

किन्तु उस पर शायद आज तक भी मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की और कनेक्शन अबतक न मिलने का क्या कारण है ? तथा अब कबतक मिल जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि १२८ कनेक्शन दिये जा चुके हैं, ४ ही ऐसे हैं जो नहीं मिले हैं, मैं दिखवा लूंगा कि उनमें क्यों देर हो रही है।

कटेहर क्षेत्र में ऊंचे किये जाने वाले ग्राम

*३—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के जिन बाढ़ से ग्रस्त रहने वाले ५,००० गांवों की सूची, उनका भूमि स्तर ऊंचा करने के लिये बनाई गई है, उसमें कटेहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा और गोमती नदियों के किनारे के कौन-कौन गांव हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

४,००० गांवों को ऊंचा करने के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन गांव गंगा और गोमती के किनारे ऊंचे किये गये :—

(१) रामपुर ..	..	गंगा के किनारे
(२) सराय मोहान ..		
(३) धरसावना	..	नाद नदी के किनारे जो गोमती की सहायक नदी है

श्री रघुनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, वाराणसी जिले में गंगा की दो धाराओं के बीच रामपुर के साथ ही रामचन्द्रीपुर, गोबरहा और मोकलपुर गांव हैं और इन चारों गांव का भूमि स्तर बराबर है, किन्तु उनमें से केवल एक को ही बिजली देने और तीन को न देने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस योजना में तो ३ ही किये गये, लेकिन ५ गांव और हैं, जो अब तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं हैं, लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट बनेगी तो उसमें इनको लेने का विचार किया जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जिन गांवों का आपने जिक्र किया कि नहीं दिये गये हैं असली खतरा तो उन्हीं के लिये हो सकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच पुनः कराने की कृपा करेंगे कि गंगा की धाराओं के बीच में जो गांव हैं उनके लिये ऐसी कोई योजना बनाई जाय, जिससे उनकी रक्षा हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सिर्फ रुपये का ही सवाल है, रुपया मिल जायगा तो योजना बन जायगी।

श्री रघुनाथ सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिलाधिकारियों ने इन चार गांवों के भूमि स्तर के बारे में कोई ऐसा विवरण दिया था कि चारों गांव के भूमि स्तर में काफी अन्तर है, जिसकी दिक्कत की वजह से चारों गांव न लेकर केवल एक गांव लिया गया ? जबकि यह मेरी जानकारी है कि चारों गांव का भूमि स्तर एक-सा ही है, या केवल धनाभाव के कारण यह तीनों गांव नहीं लिये गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जबतक धनाभाव है तब तक सिर्फ जांच करने से क्या होगा ?

श्री रघुनाथसिंह—

क्या सरकार जल्दी से इन तीनों गांवों को ऊंचा करवाकर उन्हें बाढ़ से बचाने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

धनाभाव के कारण सरकार अभी नहीं करा पाती है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ही श्रमदान कराके उसको पूरा करवा दें ।

श्री रघुनाथसिंह—

मैं प्रश्न पूछता हूं तो आप इस तरह से मजाक में बात टालते हैं ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने उत्तर दिया है, मजाक नहीं किया है । आप मजाक समझें तो मैं क्या करूं ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो आपसे श्रमदान की अपील की है ।

[२१ सितम्बर, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नौगढ़ बांध में डूबी भूमि

*१—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ बांध में श्री खुरखुर, पुत्र मनबोध, रामजिपान, पुत्र पतियार, सहदेव, पुत्र चिथरू, ग्राम औखा टांड की कितनी जमीन डूब गई थी और क्या उन लोगों को वहां से हटा कर गांव बिजैपुर, बिजौरा, तालुका, नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में जमीन देकर बसा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को उन लोगों के नाम करा दिया गया या नहीं ? क्या सरकार को पता है कि उक्त भूमि को वन विभाग इनको जोतने बोने से रोक रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कर सरकार उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

नौगढ़ बांध में श्री खुरखुर, पुत्र मनबोध की ५,६८७ एकड़, श्री राम जियावन पुत्र पतियार की ३,१८७ एकड़ तथा श्री सहदेव पुत्र चिथरू को ४,८७५ एकड़ ग्राम अरवाटांड की भूमि डूब में आ गई है । इन लोगों की भूमि का पूर्ण मुआवजा दे दिया गया है अतएव इन लोगों को ग्राम अरवाटांड से हटाकर ग्राम बिजैपुर बिजौरा तालुका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में भूमि देकर बसाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मालूम करने से यह ज्ञात हुआ है कि वन विभाग उपरोक्त लिखित व्यक्तियों को उक्त भूमि पर जोतने बोने से रोक रहा है, क्योंकि इन लोगों ने वन विभाग की भूमि पर अवैधानिक तौर पर कब्जा कर लिया था ।

श्री ऊदल—

इनकी जमीनें कब ली गयीं और कितने रुपये फी एकड़ के हिसाब से उनको मुआविजा दिया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह बांध तो सेकेन्ड प्लान में बना था, उसी वक्त जमीन ली गयी होगी । इन में से अलग अलग को ३१९, ११६ और ८३६ रुपया दिया गया ।

श्री ऊदल—

मनबोध की ५,६८७ एकड़, राम जियावन की ३.१८७ एकड़ और सहदेव की ४.८७५ एकड़ जमीन ली गयी और उनको मुआविजा ८३६,३१९ और ११६ रुपया दिया गया । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इनकी जमीन इस शर्त पर ली गयी थी कि डूब की जमीन सरकार लेगी और उसके बदले में सरकार उनको अच्छी जमीन देगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, इसका संबंध तो माननीय रामकुमार जी के माल विभाग से है । लेकिन सिंचाई विभाग ने इनको ले जाकर विजयपुर, बिजौरा में बसाया और जमीन जंगल विभाग से दिलायी । तो क्या सरकार हमारी बात को सही मानकर इसकी जांच फिर से करायेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अब इसमें जांच कराने का प्रश्न ही कहां आता है ?

फर्रुखाबाद डिपो के सहायक यातायात निरीक्षकों का बकाया भत्ता

*२—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतावेंगे कि जनवरी, १९६३ में कितने बुकिंग क्लर्कों को सहायक यातायात निरीक्षक, सिटी बस सर्विस, कानपुर बनाया गया ? तथा इनमें से कितनों को स्थानान्तरण यात्रा व्यय का भुगतान नहीं हुआ तथा क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

छः व्यक्तियों को बनाया गया । किसी के भी स्थानातंरण यात्रा व्यय का भुगतान बाकी नहीं है ।

*३—श्री दयाराम शाक्य (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि आपके कानपुर क्षेत्र के फर्रुखाबाद डिपो में कितने ऐसे भी सहायक यातायात निरीक्षक हैं जिनको मार्च, १९६४ से अब तक का यात्रा भत्ता नहीं दिया गया ? यद्यपि वे यात्रा भत्ता बिल नियमित रूप से दे रहें हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

११ सहायक यातायात नरीक्षकों का मई १९६४ व जून १९६५ के बीच के कुछ बिलों का भुगतान बाकी है ।

कोसी—शेरगढ़ सड़क पर पुल

*४—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर आगरा, रजबहा, शेरगढ़ पर निरीक्षण भवन सेखसाई से निरीक्षण भवन अकबरपुर तक कितने पुल ऐसे हैं जिनकी मरम्मत ५ साल से नहीं हुई और यातायात की असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—ऐसा कोई पुल नहीं है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*५—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि कोसी से शेरगढ़ कच्ची सड़क का पुल जो पैगाव गांव पर है उसकी हालत खराब होकर ऊपर से फूट जाने का भय है ? यदि हां, तो इस रजबहा को निरीक्षण हेतु किसी अधिशासी अभियन्ता ने दौरा किया ? यदि हां, तो कब ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग— अधिशासी अभियन्ता द्वारा राजबहा शेरगढ़ का निरीक्षण प्रत्येक फसल में होता रहा है तथा आखिरी निरीक्षण १–९–६५ को किया गया ।

*६—श्री लखीसिंह—

क्या इस रजबहे की पटरी अब बिलकुल ही सैकड़ों जगह से कट चुकी है और बरसात के महीने में गांवों की फसल को क्षति पहुंचने का भय हो रहा है ? यदि हां, तो इसकी जांच कराने के लिये किसी उच्च अधिकारी को लखनऊ से भेजा जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वर्षा के कारण जो कटाव हुए हैं उनकी मरम्मत की जा रही है । फसल को क्षति पहुंचाने की संभावना नहीं है । अधिशासी अभियन्ता द्वारा रजबहा का निरीक्षण किया गया है । अधीक्षण अभियन्ता भी निरीक्षण के लिये जाने वाले हैं ।

श्री लखीसिंह—

मैंने यह प्रश्न २४–८–६५ को दिया था और मंत्री जी ने कहा कि निरीक्षण १–९–६५ को हुआ । तो मार्च, अप्रैल, मई और जून तथा जुलाई के महीनों में किन-किन तारीखों को उस रजबहे पर निरीक्षण किया गया आपके अभियन्ता द्वारा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आखिरी निरीरक्षण १–९–६५ को हुआ । पहले के निरीक्षणों की तारीखों की मुझे सूचना नहीं है ।

श्री लखीसिंह—

आपन यह कहा कि हर फसल पर इस रजबहे का निरीक्षण होता है....

श्री अध्यक्ष—

आप किस प्रश्न के संदर्भ में पूछ रहे हैं ?

श्री लखीसिंह—

प्रश्न संख्या ५ के बारे में पूछ रहा हूं कि पुलों का निरीक्षण पहले किया गया या नहीं और किया गया तो कब ?

श्री अध्यक्ष—

बता तो दिया है, कोई सूचना हो तो दे द ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने उत्तर में साफ कहा है कि हर फसल के बाद निरीक्षण होता रहा, लेकिन आखिरी निरीक्षण १९ को हुआ था और पुलों का काम तो हमारा सेकन्डरी काम है ।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरका पुल, ग्राम बुखरारी पुल व बरचावली पुल व कालेन पुल व केस्सी शेरगढ़ सड़क, पैगावाले २ पुल तथा छाता शेरगढ़ सड़क पुल, लाहपुर व उन्दीपुल व बरौली पुल व तारौली पुल व देहली–आगरा सड़क पर अकबरपुर पुल तथा आझई पुल, इन सब पुलों की मरम्मत किस-किस सन् में हुई है और इनकी मरमत किस ठेकेदार द्वारा करायी गयी तथा इसमें कितना धन व्यय हुआ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे जो पुल हैं उनमें कोसी कलां के कच्चे पुल को छोड़कर और जो पुल हैं उनकी मरम्मत होती थी, इसकी भी मरम्मत हो गयी है ।

श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि नहर अधिकारियों की लापरवाही के कारण अप्रैल व जून सन्, १९६५ में इस रजबहे को पूरे साल भर इसी कारण नहीं चलाया गया कि पटरी टूट जायगी, जिससे किसानों की गन्ने की फसल सूख गयी और चारा और मक्का की फसल भी पैदा नहीं हो सकी ?

श्री शांतिप्रसन्न शर्मा—

पुल से फसल का क्या संबंध है ? पुल पर तो आदमी और गाड़ियां जाती हैं ।

परिवहन विभाग में टैक्स सुपरिंटेंडेंट्स

*७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सर्वश्री आर० पी० सिंह, एस० के० राय, एस० के० शर्मा, एस० पी० शर्मा, एस० एस० एल० भटनागर, ट्रान्सपोर्ट विभाग में टैक्स सुपरिंटेंडेंट थे, जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन ने अप्रूव्ड नहीं किया और वे रिवर्ट कर दिए गए, तो सरकार ने इन व्यक्तियों को गुड्स टैक्स आफिसर बना दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या इसका असर विभाग में जो सीनियर हैं उनके प्रमोशन पर नहीं पड़ा है ?

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

ये टैक्स सुपरिंटेंडेंट्स कमीशन की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे अतः इनके अप्रूव होने अथवा न होने का प्रश्न नहीं उठता । कमीशन से जो लोग चुनकर आए उनकी नियुक्ति के फलस्वरूप इन्हें अपनी जगहों पर वापस होना था लेकिन उसी बीच गुड्स टैक्स लगाया गया और उसमें कुछ जगहें हो गयीं । इन लोगों को टैक्स शाखा के काम का तजुर्बा था इसलिए नए लोगों को लेने के बजाय अस्थायी तौर पर इनकी नियुक्ति उन जगहों पर की गई । इससे किसी की तरक्की पर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि यह जगहें भी सीधे कमीशन से चुनाव द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए कमीशन को लिखा जा चुका है ।

श्री ऊदल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कमीशन को कब लिखा गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मई में लिखा गया था ।

रोडवेज दुर्घटना में मुसम्मात टिटरी को क्षतिपूर्ति

*८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ फरवरी, १९६२ को रोडवेज की गाड़ी नं० ४६६३ की घटना में श्री छुट्टन के लड़के की जो मृत्यु हुई थी और उसमें ५०० रुपये हरजाने के देने का आदेश हुआ था, वह दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उक्त दुर्घटना में श्री छुट्टन को ५०० रुपये क्षतिपूर्ति हेतु आदेश भेजे गए लेकिन रुपए का भुगतान इसलिए न हो सका क्योंकि श्री छुट्टन की मृत्यु दुर्घटना से पहले ही हो चुकी थी ।

*९—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मन्त्री को यह ज्ञात है कि इस विषय में सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नैनीताल के बीच जो लिखा -पढ़ी हुई और उससे यह तय पाया कि मुसम्मात पीतरी (मृतक की मां) उस रुपए के मिलने की हकदार है परन्तु फिर भी वह रुपया उसे अब तक नहीं दिया गया है ? इसका कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

लिखा-पढ़ी द्वारा जब मालूम हुआ कि यह रुपया मुस्मात टिटरी को मिलना चाहिए तो इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश परिवहन आयुक्त द्वारा भेज दिये गये हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

इस बात को देखते हुए कि दुर्घटना २५–२–६२ को हुई और उसके बाद नैनीताल डी० एम० को वेरिफिकेशन को ९–१०–६४ को भेजा गया और मैंने भी दो दफा मन्त्री जी को इस विषय में लिखा लेकिन अभी तक उस बेवा को ५०० रुपया नहीं मिला है, तो क्या मन्त्री जी ऐसा आदेश देंगे कि १५ दिन के अन्दर उस बवा को वह रुपया मिल जाय ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह आदेश अगर अभी उनको नहीं मिला है तो भेज दिया जायगा । वैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नैनीताल के पास रुपया पहुंच गया है ।

मुरादाबाद-काशीपुर बस रूट का राष्ट्रीयकरण

*१०—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद-काशीपुर, बस रोड पर गवर्नमेंट रोडवेज दिल्ली से रामनगर चलती हैं, तो फिर उसको शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उक्त मार्ग पर एक अप और एक डाउन डाइरेक्ट सर्विस के राष्ट्रीयकरण के मामले में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि १।। साल से इस रूट के नैशनलाइज होने की खबर है और इस एरिया की जनता की यह पूरी मांग है कि जल्द से जल्द इस रूट को नैशनलाइज किया जाय क्योंकि बस चालकों का आए दिन वहां पब्लिक के साथ झगड़ा होता रहता है, तो कब-तक इसको नैशनलाइज किया जायगा ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसको नैशनलाइज करने के मामले में सरकार इतनी स्वतन्त्र नहीं है कि वह जब चाहे तो फौरन ही कर दे क्योंकि इसमें कानून का मामला सामने आता है । आब्जेक्शन मांगे जाते हैं तो वह खटाई में पड़ जाता है । वह हाई कोर्ट में चले जाते हैं । इसलिए यह बिलकुल अपने हाथ में नहीं है कि जब चाहें तब कर लें लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इसको करें ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उसके विचाराधीन ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनका राष्ट्रीयकरण करके वहां पर राजकीय परिवहन चलाना चाहती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

सवाल तो सिर्फ मुरादाबाद—काशीपुर रूट का है। सारे सूबे के लिए तो मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जो रूट काशीपुर से मुरादाबाद तक है उसके राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और अभी तक इसको किस स्टेज तक पूरा किया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इसमें पहले दफा ६८ में नोटिफिकेशन होता है । वह किया जा चुका है । उसके बाद आपत्ति करना होता है । तो उस स्टेज में यह मामला अभी पड़ा हुआ है ।

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी ने कहा कि इस रूट को नेशनलाइज करने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है । तो तब जब आप इसे नेशनलाइज करने जा रहे हैं तो फिर इसको एक्सटेंड करने की क्या जरूरत आ पड़ी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

बहुत सी दिक्कतें होती हैं । आपरेटर्स की तरफ से रिट वगैरह आ जाते हैं और उनका निपटारा होने पर ही आगे चला जा सकता है । यह ठीक है कि हम प्रयत्न कर रहे ह लकिन हम निश्चित समय नहीं बतला सकते कि यह कब तक हो जायगा । यह हमारे बस की बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

वह पूछ रहें हैं कि एक्सटेंशन क्यों कर दिया रूट का ?

श्री मुजफ्फर हसन--

रूट को एक्सटेंड करना आर० टी० ए० का काम है, सरकार का नहीं ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा सवाल है कि आप को उस रूट को एक्सटेंड करने की कौन सी जरूरत पड़ गयी ?

श्री अध्यक्ष--

अगर पब्लिक को जरूरत हो तो उस के हित में अगर किसी रूट को एक्सटेंड कर दिया जाय तो क्या खराबी है ?

श्री रियासत हुसैन--

वह काशीपुर-रामनगर रूट था । अब वह मुरादाबाद रामनगर रूट हो गया है तो वह रूट ही बदल गया और आप उसे नेशनलाइज करने के प्रयत्न कर रहे ह, तो वह कसे होगा ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सरकार तो उसे नेशनलाइज करना चाहती है, लेकिन आर० टी० ए० अगर इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस में लोगों को तकलीफ हो रही है तो वह ऐसा फसला दे देता है । सरकार की ख्वाहिश है कि वह नेशनलाइज हो जाय, लकिन कानूनी दिक्कतों की वजह से इस में देर हो रही है ।

*११—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

[हटा दिया गया ।]

बांदा जिले में धान रोपाई के लिए केन नहर से पानी

*१२—श्री बृजमोहन लाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मई, जून में बांदा, जिले में धान की पौध के लिये केन नहर का पानी किसानों को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बांदा जिले में इस वर्ष माह मई में केन नहर से किसानोंको धान की पौध के लिये पानी दिया गया । पानी की कमी के कारण माह जून में नहर नहीं चलाई जा सकी ।

*१३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धान रोपने के समय केन नहर का पानी किसानों को दिया जा सकेगा या नहीं ? यदि नहीं, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या व्यवस्था कर सकेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

धान की रोपाई के लिये बांध नवीन वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं । इस वर्ष भी जैसे जैसे बांध में पानी आता जा रहा है, किसानों को रोपाई के लिये पानी की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

केन नदी की नहर से जो पानी मिलता है वह बहुत कम है और उस में इतनी क्षमता नहीं है कि वह सब को पानी दे सके । तो इस के लिये क्या प्रबंध किया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

क्षमता तो ज्यादा की है, लेकिन चूंकि पानी लोग ज्यादा लेने लगे हैं इस लिये उसकी कमी पड़ गयी और अधिक पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

गंगऊ डैम में इतनी तादाद में रेत हो गया है कि पानी नहीं मिलता और जून और जुलाई में पानी बिलकुल नहीं मिला । तो क्या फसल खराब होने से बचाने के लिये सरकार पानी का कोई प्रबंध करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उत्तर में बतला दिया गया है कि बांदा जिले में कोई नयी योजना हमारे सामने नहीं है ।

बांदा जिले में करतल रजबहे का निर्माण

*१४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की नहरों में पानी मध्य प्रदेश से आता है । बरिपारपुर-नरमऊ आदि बांध मध्य प्रदेश में हैं अब उनमें रेत के आ जाने से पानी की कमी हो गई है तब सरकार के सामने कोई योजना चौथा बड़ा बांध बनाने की है ? तब क्या उत्तर प्रदेश में सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से सलाह मशविरा करके किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बांदा जिले में सिंचाई के लिये कोई बड़ी योजना प्रस्तावित नहीं है ।

*१५--श्री मतोलासिंह--

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि बांदा जिले में केन कैनाल के करतल में मायनर बनाने की योचना स्वीकृत है जमीन भी मुआवजा देकर ले ली गई है कुछ जमीन मध्य प्रदेश की होने के कारण रुकी है, क्या कोई समझौता मध्य प्रदेश से हो गया या नहीं और यह माइनर कब तक बनेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां, करतल रजबहे के निर्माण की योजना है । इसके लिये आवश्यक भूमि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हो सकी है । भूमि प्राप्त होने पर इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा । चूंकि भूमि एक दूसरे प्रदेश से प्राप्त करने का प्रश्न है, अतः अभी निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि रजबहा कब तक बन जायगा ।

श्री मतोलासिंह--

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गंगऊ बांध के नीचे कोई बड़ा बांध बनाने की योजना दोनों सरकारों के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर समझौते में क्या हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

एक ग्रेटर गंगऊ बनाने की बात थी । मध्य प्रदेश राज्य में वह है । उन्होंने कहा कि हम उसका सर्वे करावेंगे । क्योंकि दूसरा प्रदेश है, वही सब करायेंगे ।

श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार मुख्य मंत्री से भी समझौते के विषय में कोई बात चला रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मुख्य मंत्री से पहले भी बात हुई है और आगे भी होगी ।

श्री मतोलासिंह--

यदि मध्य प्रदेश सरकार समझौते से थोड़ी जमीन देने के लिये तैयार नहीं है तो आप अपने इलाके में ही बनाने का विचार क्यों नहीं करते ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मध्य प्रदेश सरकार को लिखा गया है कि इस जमीन को जल्दी दिलाने का प्रयत्न करें ।

श्री ऊदल--

इस स्कीम में ८ लाख रुपया खर्च हुआ और कुछ नहीं हुआ तो पहले ही मध्य प्रदेश सरकार से बात क्यों नहीं की, अब बात करने से क्या फायदा होने वाला है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

पहले भी बात हुई, बाद में भी हुई । बात तो बराबर चलती रहती है जब तक कि कार्य पूरा न हो ।

श्री मतोलासिंह--

गंगऊ के नीचे जो रजबहा है उससे दोनों प्रदेशों को पानी मिले, इसमें सरकारों के बीच में मत-भेद क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मत-भेद नहीं है । सिम्पिल सी बात है, यह कहते हैं कि हमारे यहां पानी की कमी है । जब उनकी जरूरत से ज्यादा पानी हो तो उसे ही वह हमको देना चाहते हैं ।

गाजीपुर जिले को बिजली

*१६—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत सैदपुर सादात, जरबनियां तथा मनिहारी विकास खंडों में किन गावों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है और कब तक उन ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जायगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—

स्थानों के विद्युतीकरण का रिकार्ड विकास खंडों के अनुसार नहीं रखा जाता है वरन् जनपद के अनुसार रखा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जनपद में जिन स्थानों का विद्युतीकरण अब तक हो चुका है उनके नाम संलग्न सूची "अ" में दिये गये हैं। संलग्न सूची "ब" में उल्लिखित स्थानों का इस वर्ष विद्युतीकरण धन की उपलभ्यता पर निर्भर है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६४–७६५ पर)

*१७—श्री राजनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सादात विकास खंड के अन्तर्गत भीमापार कनेरी से मरौल, पट्टी गरीबराय, पट्टी दलीपराय, परसनी मंगारी, मिर्जापुर, बड़ागांव चकफरीद, पलिवार में विद्युतीकरण का प्रस्ताव है, जहां की जन संख्या एक हजार से अधिक है ? यदि हां, तो कब तक कार्य आरम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

गाजीपुर जनपद के मिर्जापुर, बड़ागांव, चकफरीद एवं पलिवार ग्रामों का इस वर्ष विद्युतीकरण धन की उपलध्यता पर निर्भर है । शेष ग्रामों के विद्युतीकरण पर अगले वर्ष विचार किया जायगा ।

*१८—श्री राजनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या मनिहारी विकास खंड के अन्तर्गत बरहद, कठघरा मनिहारी पुरयुफपुर कसबा मसूदपुर गुरेंनी खड़वाडो मलिकापुर में विद्युतीकरण का प्रस्ताव है? यदि हां तो कब तक उस योजना के आरम्भ एवं पूर्ण होने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल—

गाजीपुर जनपद के मलिकपुर का वि द्युतीकरण ३१–५–६५ को हो चुका है । शेष ग्रामों के विद्युतीकरण पर अगले वर्ष विचार किया जायगा ।

*१९—२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[स्थगित किये गये ।]

*२१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

[स्थगित किया गया ।]

बस स्टेशनों पर पेय-जल व्यवस्था

*२२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय परिवहन के बस स्टेशनों पर गर्मियों में पीने के पानी की कोई योग्य व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को अत्यन्ट कठिनाई रहती है ?

अतः जिन बस स्टेशनों से १ हजार या इससे अधिक संख्या में यात्री टिकट खरीदते हों, वहां पर बिजली के कूलर की व्यवस्था करायेगी ताकि यात्रियों को ठंडा पानी पीने को मिल सके ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

मथुरा, अलीगढ़, हलदवानी, मुरादाबाद, कलेक्टरगंज (कानपुर), बस्ती, देवरिया, देहरादून, सहारनपुर, और उन्नाव बसे स्टेशनों पर कूलर के लिये आदेश जारी हो चुके हैं । पर कूलर उपलब्ध न होने के कारण नहीं लगाये जा सके । इसके अलावा २२ स्टेशनों के लिये मामला विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन २२ जिलों की बात विचाराधीन है तो वहां इस व्यवस्था के कराने का आधार क्या टिकिट इश्यू को रखा गया है या आमदनी को, किस चीज के आधार पर माना गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

कामनसेन्स की बात है कि जहां ज्यादा तादाद मुसाफिरों की होती होगी और पानी आसानी से न मिलता होगा, यही सब आधार हैं ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

जैसा कि बताया गया कि टिकिट इश्यू और उसकी आय को आधार माना गया है, तो इस आधार पर फिर आगरा और एटा जिले का नाम किस कारण से नहीं है उस सूची में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आगे जो विचाराधीन हैं उनमें इनका नाम है ।

श्री मेहरबान सिंह--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कानपुर में कलेक्टरगंज बस स्टेशन में लैट्रिन्स में इतनी बदबू है, पानी का नाम नहीं है, गरमी भर पानी नहीं मिलता जिस से वहां बैठना मुश्किल है, तो क्या सफाई और पानी का इन्तजाम यू० पी० में कहीं संभव है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह सवाल तो कूलर के संबंध में है, यह और प्रश्न इसमें कहां आते हैं ? उसके लिये तो नोटिस चाहिये ।]

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या मंत्री जी के पास इस तरह की शिकायतें आयी हैं कि पिछले गर्मियों में यात्रियों को बस स्टेशन्स पर पानी नहीं मिला, यदि हां तो ठंडे पानी के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

ठंडे पानी के लिये ही हमने ११ के लिये तो आदेश कर दिया है, बाकी जगह के लिये मामला विचाराधीन है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

कूलर की बात छोड़ दीजिये, जहां पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है वहां के लिये क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

सरकार के आदेश हैं कि सब जगह पानी का इन्तजाम रहे। अब अगर कहीं किसी बस स्टेशन के लिये माननीय सदस्य को शिकायत है तो वे लिख कर दे दें, उस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

कानपुर बस स्टेशन पर जो गन्दगी रहती है तथा पानी की जो दिक्कत है उसके बारे में आये दिन यहां प्रश्न आते रहते हैं । माननीय मंत्री जी के कई बार यहां आश्वासन देने के बावजूद भी वहां अब तक उसका ठीक प्रबन्ध नहीं हो पाया है। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई निश्चित तिथि बतायेंगे कि तब तक वहां प्रबन्ध इसका हो जायगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जो शिकायत माननीय सदस्य को है वह अगर लिख कर दे देंगे तो उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार इस तरह के आदेश देगी कि जहां पर आय ज्यादा हो वहां पर इन कूलरों, को लगाने में प्राथमिकता दी जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय सदस्य के सुझाव के लिये धन्यवाद ।

राज्य विद्युत् परिषद् के ट्रांसमिशन डिजाइन सेक्शन के कर्मचारियों की बरखास्तगी

*२३—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि (हाईडिल) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के ट्रांसमिशन तथा डिजाइन सेक्शन और परचेज डिवीजन के कितने कर्मचारी जुलाई ६५ में नौकरी से निकाल दिये गये तथा उनके निकाले जाने का आधार क्या था ?

श्री गिरधारीलाल—

राज्य विद्युत् परिषद् के ट्रांसमिशन डिजाइन मंडल तथा परचेज डिवीजन से छः कर्मचारी निकाले गये । पदों में कमी हो जाने के कारण उनकी सेवायें समाप्त की गई ।

फतेहपुर जिले में नहर कटने से क्षति

*२४—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको जुलाई, १९६५ में जिला फतेहपुर में ग्राम रसूलपुर, बकेवर परगना अकोड़ा, निवासियों का कोई पत्र इस आशय का मिला कि मई व जून, १९६५ में बार-बार नहर कट जाने से बीरगवां, रसूलपुर, जगदीशपुर, बकेवर के तमाम व्यक्तियों के खलिहान और फसल का बहुत नुकसान हुआ ? यदि हां, तो नहर को कटने से रोकने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां ।

क्षेत्र की नहर पटरी को मजबूत करने के लिये आदेश दिये गये हैं और संबंधित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति हेतु मुआविजा बांटने की कार्यवाही की जा रही है ।

उस्का बाजार को बिजली देने की मांग

*२५—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में उस्का बाजार में बिजली लगाने के लिये सर्वे हेतु लगभग एक वर्ष हो गया ? लेकिन अभी तक बिजली न लगने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उस्का बाजार, जिला बस्ती का विद्युतीकरण राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सम्भव नहीं है इसलिए इसका विद्युतीकरण अभी नहीं किया जा सकता।

*२६—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार इसको जल्दी लगवाने के लिये आदेश करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह मापदण्ड क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मापदण्ड यह है कि हम एक हजार की जनसंख्या पर डेढ़ मील की लाइन खींचते हैं। इसकी जन संख्या २ हजार है, यहां १५ मील लम्बी लाइन खींचना पड़ेगी। इसलिये यह हमारे मापदण्ड में नहीं आता।

आजमगढ़ जिले में नलकूप

*२७—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्तिम वर्ष में आजमगढ़ जिले के पवई अटरौला तथा फूलफुर विकास खण्डों में कितने ट्यूबवेल किन-किन स्थानों पर लगाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में उल्लिखित विकास खण्डों में इस वर्ष नलकूप निर्माण की कोई योजना नहीं है।

बांसगांव तहसील में बिजली

*२८—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार प्रश्न संख्या १ व २ दिनांक १० अगस्त, १९६५ के संदर्भ में बताने का कष्ट करेगी कि बांसगांव तहसील के नहरपुर, खड़ेसरी, पिड़हनी, परसिया, तिवारी, मजौना, डरवा, सूबेदारनगर, पटना, पौहरिया, वैरियाखास, सेधरा, खटभार, वेरियाडीह, मिश्रौली, मीठिया, छपरा, सुहवाकोल, पुररिझांव और मोहाल जलकर इसका इस आशय से सर्वेक्षण करायेंगे कि इन गांवों में बिजली दी जा सके ? यदि हां, तो सर्वेक्षण की क्या प्रगति है और नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

बांसगांव तहसील जिला गोरखपुर के खुटभार ग्राम का विद्युतीकरण हो चुका है। नरहरपुर, खंडेसरी, पिडहनी, पटना, पोहरिया तथा रियांव ग्रामों का इस वर्ष विद्युतीकरण धन की उपलब्धता पर निर्भर है। मजोना, डेरवा, सेमरा, मीठया छपरा तथा सहूवाकोल ग्रामों का विद्युतीकरण राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड से सम्भव नहीं है। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण पर अगले वर्ष विचार किया जायगा।

नोट—तारांकित प्रश्न २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।)

सुजानपुर रजबहा से पानी न मिलने की शिकायत

*२९—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला फतेहपुर में लोअर गंगा नहर क सुजानपुर रजबहा में पिछले १५–२० दिन से पानी रोक दिया गया है जिसके कारण लगभग ५००० एकड़ धान सूख जाने वाला है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजबहा म तत्काल पानी देने और उसे पर्याप्त समय तक जारी रखने की व्यवस्था करेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा बारा को बिजली

*३०—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या विद्युत मंत्री को यह ज्ञात है कि पिछले ५–६ महीनों से अधिक बीता कि जिला कानपुर के कस्बा बारा में खम्भे तो लग गये हैं, परन्तु उनमें अब तक रोशनी की व्यवस्था नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला कानपुर के कस्बा बारा में २५ खम्भों पर रोशनी की व्यवस्था काफी समय से है। मार्च १९६५ में ६ नये खम्बे कस्बे में बढ़ाये गये हैं। इन खम्बों पर रोशनी की व्यवस्था के लिये अधिक विद्युत् भार का अनुबन्ध पत्र अभी तक प्रधान ग्राम सभा, बारा ने नहीं किया है, इस कारण इन खम्बों पर रोशनी की व्यवस्था नहीं हो सकी है ?

*३१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

[स्थगित किया गया]

उतरौला–लकड़मंडी बस सर्विस में विलम्ब

*३२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उतरौला, गोंडा तथा उतरौला लकड़मंडी को आने-जाने वाली कितनी बसें १ जुलाई से ३१ जुलाई तक अपने निर्धारित समय से विलम्ब में गाड़ियां गईं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना इस प्रकार है :—

मार्ग का नाम		विलम्ब से आने वाली गाड़ियां	विलम्ब से जाने वाली गाड़ियां
उपरौला–गोंडा	..	१९३	१६५
उतरौला–लकड़मंडी	..	२६	६७

इन मार्गों के अत्यधित खराब होने के कारण बसें निर्धारित वेग से नहीं चलाई जा सकतीं तथा पुर्जे अक्सर टूटते रहते हैं जिनके रिपेयरिंग में काफी समय लगता है।

*३३—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या यह सत्य है कि इन सड़कों पर बहुत पुरानी बसें जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी हैं इन सड़कों पर चलाई जाती हैं ? यदि हां, ऐसी कितनी बसें हैं ?

श्री मुज़फ्फर हसन—

ऐसी कोई बस नहीं चल रही है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

प्रश्न का अन्य भाग नहीं उठता।

सिढ़पुरा–करतल मार्ग पर टूटा पुल

*३४—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में सिढ़पुरा नाले पर सिढ़पुरा से करतल को जाने वाली सड़क पर जो पुल पिछले वर्ष टूट गया था उसको अभी न बनाये जाने का क्या कारण है और कब तक बना कर तैयार कर दिया जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

नाले पर सर्वे कार्य पूरा न हो सकने के कारण पुल अब तक न बन सका। यह काम अब पूरा हो गया है और आशा है यह पुल १९६६ की वर्षा के पूर्व बन कर तैयार हो जायेगा ।

खीरी जिले में बिजली

*३५—श्री रामभजन (जिला खीरी)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के अन्तर्गत सीतापुर डिवीजन में कितने ग्रामों में बिजली लगाने के लिये पोल तथा लाइन खींची गई हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला खेरी में अब तक जिन ग्रामों में बिजली के पोल लगाये तथा लाइन खींची गई हैं एवं विद्युतीकरण किया जा चुका है उनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७६६ पर)

*३६—श्री रामभजन—

क्या यह सही है कि औरंगाबाद जैसे कस्बे में जिसकी जन-संख्या चार हजार से ऊपर है, वहीं केवल ११ पोल लगाये गये जिनमें एक वर्ष से अधिक समय हो जाने के बावजूद अभी तक स्ट्रीट लाइट का भी प्रबन्ध नहीं किया जा सका ?

श्री गिरधारीलाल—

औरंगाबाद की ग्राम पंचायत ने स्ट्रीट लाइट के लिये न ो कोई आवेदन पत्र दिया है और न उसके लिये कोई समझौता किया है इसलिये वहां स्ट्रीट लाइट नहीं दी जा सकी।

गंडक नहर सर्किल, गोरखपुर के हेड असिस्टेंट के विरुद्ध शिकायत

*३७—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गंडक नहर सर्किल गोरखपुर के हेड असिस्टेंट के विरुद्ध दिनांक २६ जुलाई, १९६५ को विशेष सचिव सिंचाई विभाग को कुछ विधायकों ने शिकायत फर्जी कागजात बनाने तथा फर्जी टी० ए० बनाये जाने के सम्बन्ध में की है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया इसकी जांच करायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

प्राप्त सूचना के आधार पर केवल एक विधायक ने ही ऐसी शिकायत की है। इस शिकायत पर जांच हो रही है।

पटियाली क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था

*३८—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुढ़गंगा नाली, जिला एटा के विकास क्षेत्र पटियाली में आनेवाले मार्ग में प्रयोगात्मक आधार पर पम्पिंग सेट के द्वारा सिंचाई कार्य विभागीय आधार पर कराने की व्यवस्था करेंगे ताकि सिंचाई की स्थायी व्यवस्था हो सके ? यदि हां, तो यह प्रयोगात्मक व्यवस्था कब से प्रारम्भ हो जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—नाले का डिस्चार्ज बहुत कम होने के कारण पम्पिंग सेट द्वारा सिंचाई कार्य करना सम्भव नहीं है।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*३९–४०—श्री शिवचरणलाल (जिला आगरा)—

[स्थगित किये गये।]

गोवर्धन ड्रेन में अर्जित भूमि का मुआवजा

*४१—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन ड्रेन के निर्माण के लिये मथुरा जिले के आझल गांव की कितनी भूमि किस सन् में अर्जित की गई और उन किसानों को जिनकी भूमि अर्जित की गई मुआविजा किस दर से दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

इस गांव की कोई भूमि गोवर्धन ड्रेन के निर्माण के लिये नहीं ली गई है अतः मुआविजे का प्रश्न नहीं उठता।

*४२–४३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[हटा दिये गये।]

मुरादाबाद में हाईडिल सब-डिवीजन

*४४—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाइडिल का नगीना सब-डिवीजन के अतिरिक्त जिला बिजनौर का एक सब-डिवीजन मुरादाबाद में किस कारण से बनाया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

केवल सर्विस कनेक्शन देने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा यह नया सब-डिवीजन मुरादाबाद में बनाया गया है। कनेक्शन देने का कार्य यह हाइडल डिवीजन मुरादाबाद के पूरे क्षेत्र में करेगा जिसके अन्तर्गत बिजनौर जिला सम्मिलित है।

फियेट गाड़ी का परमिट

*४५—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फियेट गाड़ी का परमिट दिनांक १ अगस्त, १९६४ से १ अगस्त, १९६५ तक किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है ?

श्री मुजफ्फरहसन

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७६७ पर)

हमीरपुर जिले में घास के पट्टे

*४६—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जिला हमीरपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों (पतरौलों व अमीनों) द्वारा अर्जुन बांध तथा अन्य बांधों के घास के पट्टे पेशगी लगान देकर किए जा रहे हैं जब कि इस वर्ष जिला हमीरपुर में पानी न बरसने के कारण घास उगने के बाद सूख रही हैं ? क्या सरकार आदेश देगी कि पट्टेदारों का लगान वापस कराकर बिला लगानी पट्टे किये जावें ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। घास के पट्टे पेशगी लगान लेकर नहीं किए जाते।

इस वर्ष वर्षा अवश्य देर में हुई है परन्तु माह जुलाई के अन्त में तथा माह अगस्त के तीसरे सप्ताह में वर्षा होने के कारण जिला हमीरपुर में स्थित बांधों में घास अच्छी उगी हुई है अतएव बिना लगानी पट्टे करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आनरेरी मैजिस्ट्रेट बेंच, मथुरा

*४७—श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट तथा श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेंच नं० २ मथुरा में क्या कोई व्यक्ति किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को उक्त पद पर नियुक्त किए जाने का क्या कारण है ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—

इस बेंच का कोई सदस्य किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं है।

*४८—श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट तथा श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उपरोक्त बेंच के एक मैजिस्ट्रेट, श्री फत्तेलाल गोयल जो लगभग ६ माह तक बैठकों में निरन्तर अनुपस्थित रहे जिसकी सूचनायें सरकार को भी भेजी गईं तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—

जिलाधीश की रिपोर्ट से मालूम होता है कि यह सत्य है। सरकार इस पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझती ।

सब-डी० जी० सी० पर मुन्सिफ, अकबरपुर का आरोप

*४९—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक १८ जनवरी, १९६५ में मुंसिफ, अकबरपुर, जिला फैजाबाद में मुकदमा नं० १८१ सन् १९६४ का फैसला करते हुए वहां के सब-डी० जी० सी० पर अपात्रता तथा जानबूझ कर मुकदमे में पैरवी न करने का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो सरकार सब-डी० जी० सी० पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—

मुकदमा नं० १८१ सन् १९६४ के फैसले में मुन्सिफ, अकबरपुर, फैजाबाद ने वहां के सब-डी० जी० सी० पर अक्षमता का आरोप लगाया है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्तमान सब-जी० जी० सी० की जगह पर नए व्यक्ति की नियुक्ति का निर्णय किया है ।

*५०—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार यह भी बताएगी कि जो आरोप मुन्सिफ ने सब-डी० जी० सी० पर लगाया है उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

मुकदमा नं० १८१ सन् १९६४ के फैसले के सम्बन्धित अंश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७६८ पर)

आगरा जिले में हरनद नाले की खुदाई

*५१—श्री शिवचरणलाल तथा श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि आगरा जिला के विकास क्षेत्र एतमादपुर में हरनद के ड्रेन की खुदाई जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत हो रही थी ? और पेमेंट न देने से इस अकाल तथा रोजी की रोज-रोज की आवश्यकता पूर्ति न होने के कारण वह काम ठप्प हो गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। एतमादपुर विकास क्षेत्र में हरनद नाले पर वर्षा से पहले जितना कार्य समाप्त करने का लक्ष्य था वह पूरा हो गया है और उसका भुगतान भी अगस्त, १९६५ के अन्तिम सप्ताह तक किया जा चुका है। अतः पेमेंट न होने के कारण काम के ठप्प होने का प्रश्न नहीं उठता।

*५२-५३—श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—

[स्थगित किये गये।]

जिला गोंडा में डी० जी० सी०, रेवेन्यू की नियुक्ति

*५४—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में डी० जी० रेवेन्यू की जगह जो श्री सफीउल्ला के बाद खाली हुई है उस पर कोई नियुक्ति की गई या नहीं ? क्या उक्त नियुक्ति के बारे में दो-दो बार श्रीमान जिलाधीश एवं जिला जज का रिकमेंडेशन हो चुकने के बाद भी नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—

नियुक्ति की जा चुकी है। डी० जी० सी० (रेवेन्यू) की नियुक्ति के नियमों में कुछ परिवर्तन शासन के विचाराधीन होने के कारण इस नियुक्ति में समय लगा। जिलाधिकारियों की संस्तुति (recommendation) पहली बार अप्रैल, १९६३ में आई। दोबारा उन्होंने सरकार द्वारा मांगी गई कुछ और सूचनाएं दिसम्बर, १९६३ में भेजीं।

परिवहन विभाग में क्लर्कों की परीक्षा

*५५—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २७ दिसम्बर, १९६४ को जूनियर क्लर्क तथा बुकिंग क्लर्क की परीक्षा में कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और उनके रोल नम्बर क्या हैं ? उनमें हरिजन परीक्षार्थी कितने हैं और उनके रोल नम्बर क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

परीक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है।

*५६—श्री होरीलाल यादव—

उपरोक्त उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से कितने परीक्षार्थियों को जगह मिल चुकी है?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रश्न नहीं उठता है।

*५७–५८—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

बिजनौर जिले में नलकूपों को कनेक्शन

१—श्री श्रीराम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ से अब तक जितने प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन जिला बिजनौर में स्वीकार किए गए हैं उनमें से कितने कनेक्शन लग चुके हैं और कितने कनेक्शन नहीं लगे? क्रम से कनेक्शन होने की तारीख कौन-कौन है, कितने लोगों ने किन तारीखों को २५ रु० जमा किया है और उसमें से कितनों के इस्टीमेट बने?

श्री गिरधारीलाल—

जिला बिजनौर में सन् १९६२ से अब तक प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिए४७२ कनेक्शन स्वीकार किए गए हैं जिनमें से १९३ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष २७९ कनेक्शन लगने बाकी हैं। अबतक १४१ व्यक्तियों ने २५ रुपया जमा किए हैं जिनमें से ११२ व्यक्तियों के एस्टीमेट बन गए हैं और शेष २९ व्यक्तियों के स्टीमेट बनाए जा रहे हैं।

२—श्री श्रीराम—

क्या सरकार का नियम है कि चार फर्लांग सरकारी नलकूप से दूसरी दूरी पर कनेक्शन दिया जायगा? इस नियम को तोड़ कर मिनिस्ट्री द्वारा कितने प्राइवेट नलकूपों को सन् १९६२ से अब तक १ फर्लांग १ १/२ फर्लांग, २ फर्लांग, ३ फर्लांग पर कनेक्शन दिए गए हैं?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, सन् १९६४ से सरकार का यह नियम है कि राजकीय नलकूप से चार फर्लांग की दूरी के बाहर ही व्यक्तिगत नलकूप के लिए कनेक्शन दिया जायगा। इस नियम से छूट देकर अब तक राजकीय नलकूपों से तीन फर्लांग की दूरी पर २७ कनेक्शन दिए गए हैं।

हाईकोर्ट, इलाहाबाद में रिटें गायब होने की शिकायत

३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

३ अगस्त, १९६५ के अतारांकित प्रश्न १६ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१ से सन् १९६४ तक की स्वीकृत (एडमिट) याचिकाओं की दाखिला नोटिस, तलवाने, प्रतियां आदि किस प्रकार गायब हुए और जनवरी, सन् १९६५ में याचिकाओं के द्वारा गायब चीजें मांगने का नियमित आधार क्या है?

श्री सैयद अली जहीर—

स्टाम्प और नोटिसों की चोरी डिसपैचर की लापरवाही से दफ्तरी ने की जो कि न्याय डिसपैच सेक्शन में काम करता था।

याचिका कर्ताओं से गायब चीज मांगने का कोई नियम नहीं है। परन्तु रूल्स आफ कोर्ट के अध्याय (चैप्टर) १२ के नियम ३ के अन्तर्गत अध्याय ८ के नियम ३८ (२) के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होगा कि कोई नोटिस बिना नोटिस तलवाना लिए हुये जारी नहीं किया जा सकता। जब तक प्रतिवादी को नोटिस नहीं मिल जाता है तब तक यह कार्यवाही बार-बार करनी पड़ती है।

४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक ३ अगस्त, १९६५ के प्रश्न १७ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि याचिकाओं की गायब नोटिसें, तलबाने आदि की कीमत क्या थी और इस आर्थिक व देरी के नुकसान के जिम्मेदार व्यक्ति को अब तक कोई दण्ड न देने का क्या कारण है?

श्री सैयद अली जहीर—

नोटिसों और तलबानों की कीमत १,१७४ रुपये थी।

सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड मिल चुका है। दफ्तरी को नौकरी से अलग कर दिया गया है और १५ दिन के अन्दर हर्जाना देने के लिए कहा गया है जिसके न देने पर उपरोक्त धन वसूल करने के लिए उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी। डिस्पैचर के आमालनामे में उसके खिलाफ इन्दराज कर दिया गया है और दो साल के लिए उसकी सालाना तरक्की रोक दी गई है।

५—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

उक्त दिनांक ३ अगस्त, १९६५ के प्रश्न १८ के उत्तर के क्रम में क्या न्याय मन्त्री को पता है कि विपक्षियों को नोटिस तामील होने और उनके काउन्टर हलफनामा दाखिल हो जाने के बाद ही जल्द निर्णय के प्रार्थना दिए जा सकते हैं? यदि हां, तो क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि किस तारीख तक नोटिस तामील हो जायेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—

रूल्स आफ कोर्ट के अध्याय (चैप्टर) ८ के नियम ३३ के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही की जा सकती है। नोटिसों की तामील की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामसुन्दर जी, आपने जो प्रस्ताव दिया है उसमें कोई न तो टाइम दिया है और न ही उसमें महीना दिया है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

मेरा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। नियम ५२ के पहले कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

हमने इसलिए नहीं दिया..

श्री अध्यक्ष—

यह कार्य-स्थगन का जो प्रस्ताव है इसमें कई विषय हैं इसलिए मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री राजेन्द्रसिंह--

यह मेरे सामने की घटना है ।

श्री अध्यक्ष---

यह आपके सामने की घटना है मैं भी कहता हूं । यह किसी भी सुनिश्चित विषय पर हो सकता है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

उसमें केवल एक ही विषय है और आज की परिस्थितियों में वह कितने महत्व का है, इस पर विचार करें । उसमें और जो बातें हैं उसको पढ़ दें, तो पता चल जाय ।

श्री अध्यक्ष--

वे कार्य-स्थगन में नहीं आतीं ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

देश की सुरक्षा के बारे में वे निश्चित रूप से सहायक हैं । मंत्री जी का जो व्यवहार रहा है वह निन्दनीय रहा है और उसने जनता के मनोबल को गिराया है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि उसको नियम के अन्दर ले आइये । आप बहस कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

हमने सोच समझकर उसको नियम के अन्दर दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--

उस वक्त श्रीमन्, तमाम बाजार इकट्ठा हो गया । पांच-छः हजार की भीड़ इकट्ठी हुई । क्या मंत्री इस तरह से सबको पकड़ कर बन्द कर सकते हैं । जब देश की यह हालत है, तो क्या यह मंत्री को शोभा देता है ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहस नहीं होगी । अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे कक्ष में आ जाइये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

माननीय बनारसीदास जी से नहीं बतायेंगे केवल हमको ही बतायेंगे ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--

वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे, वे एक कुशल वकील थे ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कब कह रहा हूं । आप आ जाइये मेरे कक्ष में..

इसको पुनर्विचार के लिए स्वीकार करता हूं । इसको मौजूदा सूरत में नहीं लिया जा सकता । बातचीत हो जाने पर लेना चाहगे तो लेंगे ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ मिश्र जी की सूचना को मैं संबंधित मंत्री को दे रहा हूं विशेष ध्यान देने के लिए। माननीय मेवालाल जी और रियासत हुसैन की सूचना को भी मैं सिंचाई मंत्री के पास भेज रहा हूं विशेष ध्यान के लिए। शेष सूचनाओं को मैंने स्वीकार नहीं किया है, यद्यपि वे मंत्री जी के पास भेज दूंगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि माननीय मिश्र जी ने जो नियम ५२ के अन्दर सूचना दी है बलिया के संबंध में, उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता था। वह ५४ फीट पर आ गया था। अब मुझे मालूम हुआ है कि वह तीस फीट है। उस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए नहीं तो पन्द्रह-सोलह लाख रुपए का नुकसान होगा।

श्री अध्यक्ष--

इसीलिए मैंने माननीय मंत्री महोदय को विशेष ध्यान के लिए भेज दिया है।

लोक लेखा समिति में विधान परिषद् के निर्वाचित सहयुक्त सदस्य

श्री अध्यक्ष--

अब मैं एक सूचना दे दूं आदरणीय सदन को। लोक लेखा समिति से माननीय शिवप्रसाद सिंह, एम० एल० सी० ने त्याग पत्र दिया है, उनके स्थान पर श्री रामप्रकाश गुप्त, सदस्य, विधान परिषद् निर्वाचित हुए हैं।

कतिपय विषय

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मैं एक निवेदन आपसे और आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से करना चाहता हूं। कल सुबह मैं ट्रेन से उतर कर सिटी स्टेशन से अपने कमरे, यहां रायल होटल को आ रहा था तो दयानिधान पार्क के पास एक मिलिटरी के सिपाही खड़े थे और उधर से तमाम यात्री, जो भी आ रहे थे उनका सामान वगैरह सब देख रहे थे। मैंने सोचा कि यह एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया है और चूंकि सदन इधर है इसलिए शायद यह व्यवस्था हो गई होगी सरकार की तरफ से एमर्जेंसी के जमाने में। मैंने भी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, और बक्से और होल्डाल वगैरह सब दिखा दिया। मैंने उनसे कहा कि कब से यह इंतजाम है तो उन्होंने कहा कि चूंकि प्लैटून इधर पड़ी हुई है इसलिए इस तरह की जांच कर रहे हैं। कल मैंने यह सोचा कि मैं पहले खुद जांच कर लूं कि क्या यहां पर कोई ऐसी व्यवस्था है, तो आज सुबह मैं फिर गया और देखा कि वहां पर कोई वैसी बात आज नहीं थी। मुझे एक शंका हुई, मेरी यह समझ में आया कि जो स्थिति आ रही है, बड़ी गंभीर स्थिति है, मैं सदन का सदस्य हूं और मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया, जनता के लोग जो वहां पर से जा रहे थे, दुकानदार वगैरह सब कह रहे थे कि इस तरह की जांच जो हो रही है यह एक अचंभे की बात है। आखिर यह कैसे शुरू हो गई? आज जब मैं सुबह पुनः गया तो वहां कोई नहीं था। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह कोई ऐसे मिलिटरी के सिपाही बनकर के इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं, इसलिए इसकी आप जांच करा दें और जांच कराकर इसकी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की घटनायें कोई हों तो मेरे पास लिखकर भेज देवें ताकि मैं उस संबंध में जांच करा लिया करूं और माननीय मुख्य मंत्री से भी बातचीत कर लिया करूं। यहां सदन में बातचीत करने से सम्भव है कुछ ऐसा वातावरण पैदा हो जिसका कि निर्माण हम नहीं करना चाहते।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

ठीक है, मुझे इसके लिए दुख है।

सदन के समय में परिवर्तन

श्री टम्प्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय ब्लैक आउट के कारण १० बजे से ४ बजे तक कर दिया जाय। मैंने सब नेताओं से बात कर ली है।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

हां, हम राजी हैं, हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

तो वह इस तरह से होगा कि नियम ३१५ के अन्तर्गत सदन नियम १६ को निलम्बित करता है और आपात काल पर्यन्त सदन की बैठक १० बजे से ४ बजे तक हो, इस तरह का प्रस्ताव होगा।

तो आपके सामने जो प्रस्ताव है वह इस प्रकार है कि नियम ३१५ के अन्तर्गत नियम १६ को आपातकाल पर्यन्त निलम्बित किया जाय और इस कालावधि में दस बजे से चार बजे तक इस सदन की बैठक हो।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कर विधेयकों के पुरःस्थापन पर आपत्ति

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन चारों बिलों के बारे में बातचीत जो कल होने वाली थी वह पूरी नहीं हुई और जो जानकारी, हम लोग किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले प्राप्त करना चाहते थे वह नहीं हो सकी। मुख्य मंत्री जी ने प्रयत्न भी किया होगा और किया लेकिन बातचीत पूरी नहीं हो पाई। आज ही ये बिल पुरःस्थापित होने जा रहे हैं। अगर केवल युद्ध के लिए ये सारी बातें हों तो एक लफ्ज भी मुझे नहीं कहना है। लेकिन इनमें ऐसा संकेत है कि प्लान ही प्लान की चर्चा है और प्लान के आधार पर ये आना चाहते हैं। मुझे यह पता चला है कि यदि युद्ध की स्थिति न होती तो भी ये बिल आते। अगर ये आज पुरःस्थापित हो जावेंगे तो हम लोग सोच-विचार नहीं कर सकेंगे। क्या माननीय मुख्य मंत्री इन्हें पुरःस्थापित करने जा रही हैं? यदि हां, तो हम अपने मन में यह निर्णय करेंगे कि हम इसमें सहयोग नहीं दे सकते हैं?

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

कल नेताओं से माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुई। उस समय माननीय चरणसिंह जी और कैलाशप्रकाश जी भी थे। सुचेता जी समय होने के कारण कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में चली गई थी। सरकार का पक्ष हम लोगों ने सुन लिया। हम लोगों को क्या कहना है, वह अभी बाकी है। यह तय हुआ था कि आज और हम लोग बैठें। इसलिए मेरा साग्रह

[श्री झारखण्डेराय]

अनुरोध है कि बातचीत पूरी हो जाने दें, तब ये बिल पुरःस्थापित किए जावें। हम यह नहीं कहते कि सरकार हमारी बात माने ही। हम सरकार को आय के जरिए बतावेंगे लेकिन हम कामन मैन पर कर लगाने के विरोध में रहे हैं और रहेंगे। अभी चल कर बातचीत हो जाय और अगर पुरःस्थापित करना ही है तो शाम को भी हो सकते हैं। अभी बात भी इन-कांक्लूसिव है। यह तरीका अच्छा नहीं है कि बात पूरी भी न हो और बीच में ही विधेयक पुरःस्थापित कर दिए जाएं। यह प्रासीज्योर गलत है।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि कल मैंने कहा था कि एक दिन के लिए मैं स्थगित करती हूं मगर कल, यानी आज, मैं इनको पुरःस्थापित करूंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि माधवप्रसाद जी को यह इम्प्रेशन कैसे हुआ कि आज पुरःस्थापित किए जावेंगे। कल दिन भर आप लोगों से बात हुई। डिसकशन तो अभी इन पर होगा नहीं। पुरःस्थापित होने दीजिए। आज का दिन भर का समय हमारे पास है। आज के सारे समय हम आपकी सेवा में रहेंगे और आप बात करलें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय मुख्य मंत्री को पुरःस्थापित करके ही क्या मिल जायगा? पहले नेताओं से बातचीत कर लें।

उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचता कृपालनी)--

मैं उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेन्ट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५, को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

चूंकि हमारी बात नहीं मानी गई, इसलिए हम तमाम दिन भर के लिए इसके प्रोटेस्ट में वाक-आउट करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

मुझे बड़ा ताज्जुब है कि मुख्य मंत्री जी ने तमाम नेताओं की बात भी नहीं सुनी और पुरःस्थापित करने लगीं। जो यह प्रोसीजर एडाप्ट किया गया है उसके विरोध में हम लोग वाक-आउट करते हैं।

(प्रजा समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भानुप्रतापसिंह जी भी बातचीत के लिए चले गए जो पूरी नहीं हो पाई। पुरःस्थापन शुरू हो गया। इसके विरोध में हम लोग भी वाक-आउट करते हैं।

(स्वतंत्र दल के सदस्य सदन त्याग कर के चले गये।)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

विरोधी दल के नेताओं से बात करने का जो सरकार ने प्रयास किया वह सराहनीय है। लेकिन यह जल्दबाजी करके कि बात पूरी भी नहीं हुई और पेश कर दिए गए, सरकार ने यह अच्छा नहीं किया। चूंकि वे जिद पर हैं उनके इस रवैये पर हम विरोध जाहिर करते हुए वाक-आउट करते हैं।

(रिपब्लिकन दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला आजमगढ़)--

हमें बड़ी आशा थी कि मुख्य मंत्री जी सबके सहयोग से ये बिल लावेंगी, लेकिन वह नहीं हो पाया उसके विरोध में मैं और हमारा दल पूरे दिनभर के लिए सदन का त्याग करता है।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

मैंने आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से एक आग्रह किया था। जो कुछ बात उन्होंने कल शुरू की उसे पूरा किए बगैर पुरःस्थापित करने की जल्दी क्यों है, यह मेरी समझ में नहीं आया। इस जल्दबाजी के तरीके का हम घोर विरोध करते हैं और हम और हमारा दल पूरे दिन भर के लिए सदन त्याग करता है।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५, के पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५, को पुरःस्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७६९ पर)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं इसका लीगल आसपेक्ट से विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जिस समय अनुज्ञा मांगी गयी थी उस वक्त हो सकता था, अब नहीं।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष जी, जब हमें मालूम हुआ कि किसानों के ऊपर सरकार की शनि-दृष्टि है तो मैंने उनसे निवेदन किया था और मैं अपने उप-नेता सदन से बराबर कहता हूं कि आज किसानों की दशा बड़ी चिंतनीय है। वे बाढ़ और सूखे से परेशान हैं। पानी भी उनको मिलना दूभर है। ऐसी हालत में किसानों पर मालगुजारी बढ़ाना चिंतनीय है। इन बिलों से साढ़े आठ करोड़ रुपया सरकार लेना चाहती है जिसमें से ७ करोड़ किसानों से आनेवाला है। कल हमारे पास शाम को ५ बजे बात करने का मुख्य मंत्री का संदेश आया। पांच बजने में ५ मिनट थे तब हमने फोन किया कि सब मेंबर बैठे हुए हैं, हमारा नम्बर बात के लिए आवेगा या नहीं। तब हमको उप्रेतीजी ने बताया कि आपका इंतजार हो रहा है। मैं ठीक ५ बजे कमरे में गया और बात इधर से शुरू हुई। उसी समय चपरासी ने मुख्य मंत्री जी से आकर कहा कि वहां तो पार्टी मीटिंग हो रही है और सब लोग नाराज हो रहे हैं, जल्दी बुला रहे हैं। उन्होंने चाय भी नहीं पी और फौरन मीटिंग में चली गईं। मैं इसे बड़ा अपमानित मानता हूं कि किसी व्यक्ति को उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलवाया और फौरन उठकर चली गयीं। कैलाशप्रकाश जी ने सरकार की जो नीति है मालगुजारी बढ़ाने की, वह बात उन्होंने अपनी ओर से बतला दी।

कल माननीय कैलाशप्रकाश जी ने कहा कि कल विचार जारी रहेगा। जब आप कल विचार जारी करने का आश्वासन देकर उठे फिर आप उसके खिलाफ पुरःस्थापित करने के लिए इतने लालायित क्यों हो रहे हैं। यदि यह बात सही है कि आप अपने बहुमत के बल पर पुरः-स्थापित करना ही चाहते हैं और समझते हैं कि हमारी राय का कोई असर आप पर होने वाला नहीं है तो हमको बुलाने की कल क्या आवश्यकता थी। इसलिए मैं यह मान कर चल रहा हूं कि सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है और वह ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत कर रही है, जिसके द्वारा १-१, २-२ बीघा और आधा बिस्वा खेती जिन लोगों के पास है उनकी भी माल-गुजारी इससे बढ़ने जा रही है, और उसके द्वारा उस जनता के मनोबल को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अगर सरकार अपने संख्यासुर के बल पर ही सब कुछ करना चाहती है तो हम दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही में भाग लेने को तैयार नहीं हैं। मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्री ने आपदकाल में यह बड़ा गलत कदम उठाया है। वे आज राष्ट्र विजय का अभियान नहीं कर रही हैं, बल्कि गद्दी विजय का अभियान कर रही हैं। क्यों नहीं एक हजार से ऊपर की आमदनी वालों की तनख्वाह कम कर दी जाती ? क्यों नहीं ५ मिनिस्टरों से काम चलाया जाता ? सरकार अपना एक भी खर्चा कम करने को तैयार नहीं है और गरीब किसानों पर टैक्स लगा रही है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इसका डट कर मुकाबला करेगी।

(संयुक्त समाजवादी दल के समस्त सदस्य श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मैनेजरसिंह को छोड़कर सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मेरी वैधानिक आपत्ति है। इस विधेयक पर विचार करना विधान सभा की क्षमता के बाहर है। कोई भी ऐसा कानून इस सदन में नहीं आ सकता। इसके लिए आप कांस्टीट्यूशन के शेडयूल ७ की लिस्ट २ के ४६ को देखिए। टैक्सेज आन एग्रीकल्चरल इनकम और लिस्ट १ के आइटम ४२ को देखिए। उसमें लिखा है--"टैक्सेज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आन इनकम अदर दैन एग्रीकल्चर" लकिन जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी धारा ३ में यह दिया हुआ है--

३--(१) पहली जुलाई, १९६५ से प्रारंभ होने वाली कृषि वर्ष के लिए और प्रत्येक ऐसे अनुवर्ती कृषि वर्ष के लिए जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रभावी रहे--

(क) भूमिधर या सीरदार के विषय में उसके द्वारा देय मालगुजारी पर,

(ख) मध्यवर्ती के विषय में, ऐसी भूमि के संबंध में, जो उसकी निजी जोत में हो या बाग या सीर या खुदकाश्त के रूप में उसके द्वारा धृत हो, उसके द्वारा देय या देय समझी जाने वाली मालगुजारी पर, और

(ग) किसी अन्य क्षेत्रपति के विषय में, उसके द्वारा देय या देय समझे जाने वाले लगान पर,

उस मालगुजारी या लगान के एक तिहाई की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जायगा और दिया जायगा ।"

तो इसके द्वारा सरकार मालगुजारी या लगान पर कर लगाने जा रही है और कानून के अन्तर्गत जो मैंने यह शेडयूल ४६ बताया है उसमें कर एग्रीकल्चर आय पर ही सरकार लगा सकती है । जापान गवर्नमेंट का जो कानून है उसमें यह लैंड रिफार्म्स इन जापान बाई आर० पी० डोरे में दिया है कि जापान पद्धति की खेती और खासकर धान की खेती की ओर यह सरकार बहुत जोर देती है, जापान में जिस तरह से धान की खेती होती है उसी तरह की अधिक उपज हमें करना चाहिए । पैदावार बढ़ाने की बात यह सरकार करती है लेकिन वहां के कानून में जो हेर फेर हैं और जिसकी वजह से वहां के किसानों को एनर्जी मिलती है उस का कारण यह है कि वहां पर कोई लैंड रेवेन्यू नहीं लगाई जाती । वहां के लिए इसमें लिखा है कि "इन दि फर्स्ट प्लेस. . . .

श्री अध्यक्ष--

यह जो आप कह रहे हैं यह कैसे रिलेवेंट है ? यह तो एक सरचार्ज है कि अगर कोई किसान ३ रुपया देता है तो उसे १ रुपया और देना पड़ेगा, वह चार रुपया देगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

अगर यह मालगुजारी पर है उसका मलटिपिल अगर एक बटा तीन है वह लिया जायगा । अगर ऐसा न होता तो आप कह सकते थे । जहां तक जापान का है उसे मैं पढ़ रहा था--

"In the first place, there is little doubt that the villages to-day are on the whole considerably more prosperous than before the War. This is in large measure due to increased employment of members of farm families in non-agricultural occupations. Nevertheless, the average agricultural income of farm families fluctuates somewhat above pre-war levels, despite the great increase in the agricultural population and the consequent decrease in the average size of holding. This has been due in part to the land reforms' removal of the rent burden, in part to an increase in production per acre, in part to the maintenance of agricultural prices at or above, and of agricultural costs below, pre-war levels."

तो इस तरह से जापान कोई कर कृषि पर नहीं लगाता वहां पर वह आय पर होता है लेकिन यहां पर जिस रूप से यह कानून आया है वह मलटिपिल लैंड रेवेन्यू का होगा इसलिए यह मालगुजारी पर कर लगाने का अधिकार इस सदन को नहीं है । दूसरे जो जमींदारी अबालिशन हुआ और जिस पर मालगुजारी या लैंड-ला बेस्ड है उस में ३ प्रकार के काश्तकार हैं भूमिधर,

[श्री कमला सिंह यादव]

सीरदार और असामी और पहाड़ों पर भी सीरतान वगैरा सब हैं लेकिन मैं बता दूं कि भूमिधर जो किसान हैं उन का लगान बहुत कम है आठ आना, चार आना और एक रुपया एक बीघे का लगान है जब कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सीरदार हैं उन को १० रुपया, ८ रुपया और १२ रुपया प्रति एकड़ लगान देना पड़ता है। इस तरह से जो एक रुपया देता था उसको मल-टिपिल एक बटा तीन जोड़ को १.३४ नया पैसा देना होगा और जो ८ रुपया देता था उसे ११ रुपया देना होगा। तो इस तरह से जो गरीब किसान हैं, सीरदार हैं उन्हें एक बीघा पर ३ रुपया अधिक देना होगा और जो बड़े आदमी माननीय राजस्व मंत्री की तरह भूमिधर हैं उन पर हम ३ आना ही लगाना चाहते हैं। उन से सिर्फ तीन आने लगान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह जो विधेयक है उस के गुण, दोष के ऊपर आप की व्याख्या हो रही है। प्वाइंट सिर्फ यह है कि कांस्टीट्यूशन में कोई बाधक अनुच्छेद है या नहीं।

श्री कमलासिंह यादव--

है, वही मैं आप को बता रहा हूं। आर्टिकिल १४ को आप देखें, उस में है इक्वलिटी बिफोर दि ला, यानी कोई कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए जो एक ही क्लास के लोगों में डिस्क्रि-मिनेशन पैदा करता हो। क्या कहीं ऐसा प्राविधान है कि एक आदमी पर तो ३ आने टैक्स हो और वहीं पर गरीब आदमी के ऊपर ३ रुपये टैक्स? इस से डिस्क्रिमिनेशन हो जायगा। इसी तरह से मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकिल ३९ की ओर दिलाना चाहता हूं। उस में यह दिया हुआ है--राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से--

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस स धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो,

इसी प्रकार से (ङ) की ओर भी भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि जहां तक डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स का सम्बन्ध है, जब बिल के ऊपर बहस की जायगी तब आप उनका उल्लेख कर सकते हैं कि इन इन संवैधानिक आधारों पर इसको न स्वीकार किया जाय, लेकिन वे डाइरेक्ट प्रिंसिपुल्स किसी कानून के बनाने में बाधक नहीं हो सकते। अब इस वक्त डिस्कशन यह है कि आया विधायिनी शक्ति के यह विधेयक बाहर है या नहीं, तो इसमें आप डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स की बात न लावें।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, आर्टिकिल १४ और २९ को आप देखें। उस में यह दिया हुआ है कि किसी तरह से भी हम एक क्लास के आदमियों के ऊपर यानी जो ऐग्रीकलचरिस्ट्स हैं उन को आप इतना नहीं प्रेस कर सकते कि सारा खून निकल जाय और उन की हड्डी मात्र ही रह जाय।..

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि इस विधेयक की विधायिनी शक्ति के बारे में ही बहस करें क्योंकि और कोई गुन्जाइश है नहीं बहस की।

श्री कमलासिंह यादव—

विधायिनी शक्ति का जहां तक सम्बन्ध है वह यह है कि लगान के बारे में हम ने कहा कि हमारे यहां तीन तरह के टिनेंट्स हैं। भूमिधर के ऊपर जो लगान है उस से ज्यादा सीरदार के ऊपर है और सीरदार के ऊपर जो लगान है उस से ज्यादा आसामी के ऊपर है। इस तरह से जो गरीब आदमी है उसका लगान आप ने एक तिहाई बढ़ा दिया। इस तरह से इस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। संविधान के अनुसार कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिस में एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाय और वीकर सेक्शन के ऊपर ज्यादा टैक्स लगे और जो बड़े आदमी और पूंजीपति लोग हैं उनको आप छोड़ दें। थोड़े दिनों के बाद ही एक दूसरा विधेयक आने वाला है जिस के अनुसार १२ हजार सालाना आमदनी वाले को २५० रु० टैक्स देना होगा। और उस से अधिक आमदनी वालों को भी २५० रु० ही टैक्स देना होगा।

श्री अध्यक्ष—

वह दूसरी चीज है, उस को आप छोड़ें।

श्री कमलासिंह यादव—

एक किसान जिस से आप एक रुपया मालगुजारी लेते हैं उस के ऊपर तो आपने ३३ परसेंट बढ़ा दिया। इतना ही नहीं.....

श्री अध्यक्ष—

उस के ऊपर तो अलग से बहस की जायगी। उसका उल्लेख आप क्यों कर रहे हैं?

श्री कमलासिंह यादव—

डिस्क्रिमिनेशन की बात मैं कहने जा रहा हूं....

श्री अध्यक्ष—

वह बिल, न पेश हुआ, न पास हुआ, तो वह तो दूसरी चीज हो जाती है।

श्री कमलासिंह यादव—

अभी तो चारों विधेयकों की बात नहीं है लेकिन जो विधेयक रखा गया था, उसमें बताना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी सरकार डिस्क्रिमिनेशन करने जा रही है। एक किस्म के टिनेंट्स हैं। उन पर तरह तरह से टैक्स लगाये जाते हैं। किसी से ज्यादा और किसी से कम लेना कहां तक उचित है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बातें लाजवाब हैं हमारे दोस्त की। जहां तक एविडेंस का ऐक्ट का ताल्लुक है, आप भी जानते हैं कि रेलेवेंसी का चैप्टर बड़ा मुश्किल होता है। उसे सब लोग नहीं समझ सकते और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय हमारे मित्र भी नहीं समझे हैं। अभी-अभी वे जापान चले गये। मैं तो इतनी दूर नहीं जाता हूं। हमारे ही सदन में जब आपातिक अधिभार विधेयक आया था जिस में २५ परसेंट सरचार्ज लगाया गया था तो उस समय यह मसला तय हो गया था। उस में और इस में कोई फर्क नहीं है। हम आप के सामने इस सदन की नजीर ही पेश करते हैं, जिससे आप भी पाबन्द हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, आंध्र प्रदेश में भी यह टैक्स लगाया गया। वहां उसको हाई कोर्ट में अल्ट्रा-वायरस कर दिया तो मेरी मांग है कि उस रूलिंग को भी माननीय मन्त्री जी को दिखाने का कष्ट करें जिन्होंने एविडेंस एक्ट की बात कह कर सब बातें खत्म कर दी हैं।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जो पुरः-स्थापन का प्रस्ताव माननीय मन्त्री द्वारा पेश किया गया है, उस के विरोध में विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया है। मुझे कष्ट है कि आज देश की जो स्थिति है, उसका कोई प्रतिबिन्ब हम इस आदरणीय सदन में नहीं देख पाते हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज देश पर भारी संकट है। आज हमारा देश पाकिस्तान के साथ लड़ाई में रत है और चीन जैसा भयंकर दुश्मन आज हम पर आक्रमण प्रारम्भ कर रहा है। ऐसी स्थिति में देश की रक्षा के लिए मैं तो ऐसा समझता हूं कि हमारे बदन का कुर्ता तक भी ले लिया जाय तो हम सब तैयार हैं। पिछले सप्ताह में जब अपने क्षेत्र में गया तो मैंने देखा कि वहां के सब लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं। जो हमारे गांवों के लोग हैं वे किसान हैं, मजदूर हैं। मुझ से हमारे कई किसान भाई भी मिले। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए यदि हम पर लगान भी बढ़ जाय, तो हम देश की रक्षा के लिए उसे भी बरदाश्त करेंगे। मैं यह जरूर समझता हूं कि जो प्रस्ताव आ रहा है उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जो हमारे प्रदेश के बड़े किसान हैं, जिन के पास बड़े बड़े फार्म हैं, जिनको नाना प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं, जैसे बिजली, पानी इत्यादि, उन लोगों पर यह टैक्स रहता तो ज्यादा अच्छा था। अलाभकर जोतों और जो छोटे किसान हैं, जिन के पास एक या दो एकड़ भूमि है उन पर यदि यह लागू न होता तो यह बिल ज्यादा उपयुक्त होता।

जहां तक इन्टरटेन्मेंट और जो शहरों में कई मकान रखते हैं, उन पर और टैक्स होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि उन बिलों का हम किस मुंह से विरोध करते हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी, जो उन की योजनायें हैं, उन में और प्रकाशन में जो व्यर्थ का व्यय है वह भी कम किया जाय। जहां तक वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन का प्रश्न है उन पर भी टैक्स का लगाना उचित है। मैं तो यह भी सुझाव करता हूं कि हम को भी २०० रु० ही दिया जाय। वह १०० रु० जो हम को दिया गया है वह न दिया जाय, इस आपत्-काल में। मैं तो यह करता हूं कि अपने ३०० रु० में से १०० रु० मैं विद्यार्थियों और शिक्षा संस्थाओं को दे देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि १०० रु० हमारा आप और काट लें और उस रुपये को सुरक्षा कोष में जमा करादें। मैं अपना काम १०० रु० में ही चलाऊंगा। लेकिन चूंकि हमारे दल के लोग इस लगान के विधेयक के सम्बन्ध में सदन से बहिर्गमन कर गये हैं, इस लिए उस दल का सदस्य होने के नाते मैं भी उन के सम्मान की रक्षा के लिए सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मैनेजरसिंह ने सदन का त्याग किया।)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, माननीय कमला सिंह जी का जो विरोध है जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट की उसे वह देख लें और लिस्ट २ का शेड्यूल ७ देख लें तो उनको ज्ञात हो जायगा।

246 "(3)—Subject to clauses (1) and (2), the Legislature of any State has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II in the Seventh Schedule.

"**VII Schedule, Item 45**—Land revenue, including the assessment and collection of revenue....."

तो इस लिए हमारे पूरे अधिकार में है कि इस तरह का कानून बना सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इस विधेयक के सन्दर्भ में जहां तक विधायनी अधिकार का प्रश्न है वह सदन को प्राप्त है। अनुच्छेद १४ का प्रश्न आप ने उठाया है। वह प्रश्न ऐसा है जो कि बहुत ही सूक्ष्म व पेचीदा कानूनी प्रश्नों को पैदा करना है। उस पर विचार किया जा सकता है। किन्तु हम समझते हैं कि ऐसे सूक्ष्म प्रश्न अदालत के लिए छोड़ दिये जायं। यदि हम यह सोचें हों कि हमारी विधायनी शक्ति अनुच्छेद १४ से जाती रही है, ऐसी बात नहीं है। अगर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून होगा, तो अदालत रद्द करेगी। प्राग्दर्शन में हम समझते हैं कि यह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं है ऐसा मेरा मत है। इसलिए मैं समझता हूं यह प्रस्तुत विधेयक हमारी विधायनी शक्ति के अन्तर्गत है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री कमलासिंह यादव—

जितने कानून बने हैं उस में कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं। इन्कम टैक्स भी सब पर नहीं पड़ता है। तो आप की रूलिंग को शिरोधार्य करते हुए मैं भी सदन से वहिर्गमन करता हूं।

(श्री कमलासिंह यादव सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७७०–७७५ पर)।

उत्तर प्रदेश (नागर-क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश (नागर-क्षेत्र) भूमि और भवन-कर (संशोधन) विधेयक, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर-क्षेत्र) भूमि और भवन-कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश (नागर-क्षेत्र) भूमि और भवन-कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७७६–७७८ पर।)

उत्तर प्रदेश वृत्ति व्यापार आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७७९–७८९ पर)।

पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के संदर्भ में खाद्य स्थिति पर चर्चा (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—

अब पाकिस्तान से उत्पन्न परिस्थिति के सन्दर्भ में खाद्य स्थिति पर चर्चा होगी।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस भयंकर परिस्थिति के जमाने में यह प्रश्न बहुत महत्व रखता है। मैं समझता हूं कि देशवासी जिनको लड़ाइयों का अनुभव है वह बखूबी इस बात को जानते हैं कि जब तक हमारे देश की अन्दरूनी हालत अच्छी नहीं होगी तब तक दुश्मनों से लड़ाई लड़ना बहुत दुश्वारी की बात हुआ करती है। किसी भी मुल्क में अन्दरूनी कमजोरियां उस देश की सब से बड़ी दुश्मन हुआ करती हैं। बाहरी दुश्मनों से मुल्क को उतना खतरा नहीं होता है जितना कि अन्दर की कमजोरियों से हुआ करता है। अगर हमारे देश की आर्थिक हालत कमजोर है तो हम समझते हैं कि वह हमारी भारी कमजोरी होगी। यहां पर जो खाद्य समस्या को संभाले हुये हैं, वह स्थिति केवल खाद्य मन्त्री से ही रिश्ता नहीं रखती है, वे अनाज का वितरण करते हैं जब कि वितरण का प्रश्न कांसीक्वेंशनल है।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट माननीय सदस्य क्षमा करेंगे। माननीय संसदीय मन्त्री क्या आप आज चाहेंगे कि ४ बजे हमारा सदन उठ जाय?

---

*२० सितम्बर, १९६५ की कार्यवाही से।

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

आज सदन ४ बजे उठ जायगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

अगर मुल्क के अन्दर पैदावार होगी तो उसका वितरण किया जा सकता है लेकिन जिन मन्त्रियों का पैदावार से सम्बन्ध है वे मन्त्री हैं, माननीय राममूर्ति क्योंकि उनका सम्बन्ध है कम्युनिटी प्रोजेक्ट और अन्य ऐसी संस्थाओं से जिन के जरिये से उत्पादन किया जा रहा है। दूसरे मन्त्री हैं कोआपरेटिव के जिन के माध्यम से फर्टिलाइजर्स तथा रुपया पैसा देने की व्यवस्था है। तीसरे मन्त्री हैं इरीगेशन के जिनका सम्बन्ध खेतों में पानी देने से और पैदावार बढ़ाने से है और जो पैदावार ये तीनों मिनिस्टर्स करके देते हैं आपस के कोआपरेशन से उसे खाद्य मन्त्री वितरित कर देते हैं।

मैंने खाद्य विभाग, ऐडमिनिस्ट्रेशन को अध्ययन करने की बड़ी कोशिश की और मुझे बड़ा दुःख होता है यह कहते हुए कि जिस प्रकार की स्थिति खाद्य की स्टेट्स में चल रही है उस की सारी जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्न विभाग पर है और मैं यह समझता हूं कि यह विभाग मुल्क के जितने व्यापारी हैं उन के हाथों में खेल रहा है और उनका ऐक्ट बना हुआ है, क्योंकि जितनी पालिसीज इस ने चलायी हैं उस से मुल्क का शोषण हो रहा है। चीनी का जहां तक सम्बन्ध है कन्ज्यूमर का शोषण किया जाता है। जितना अनाज इम्पोर्ट होता है वह मुल्क में जितने मिल मालिक हैं उन के हवाले कर दिया जाता है। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी शोषण करने की मुल्क के लिए घातक साबित हुई है और मैं चैलेंज करता हूं सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को कि जिनका जो अनुमान है वह निराधार है और इस के जरिये मुल्क की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इस व्यवस्था को हम अधिक दिन तक सहन करने को तैयार नहीं हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर वह अपने को इस काम के लिए नाकामयाब समझते हैं तो उन को फौरन हट जाना चाहिए। उन का यहां पर बना रहना देश के लिए ठीक नहीं है। इस मुल्क को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि मिनिस्टर वह हो जो काम करे और अगर वह मुल्क को लूट खसोट से नहीं बचा सकता है तो ऐसे मिनिस्टर की हमें कतई जरूरत नहीं है। वह मिनिस्टर नहीं है बल्कि सिनिस्टर है। इस लिए अध्यक्ष महोदय, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यदि इस तरह के मिनिस्टर हमारे देश में चलते हैं, तो वह हमारे लिए एक कलंक हैं। यह हमारे देश की लूट करा रहे हैं। और जितने लाइसेंस वाले हैं ये लोग गरीबों का गला घोंट रहे हैं। मैं इस सरकार का ध्यान घाटियों और चट्टानों पर रहने वाले लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज आप देखिये कि वहां पर एक ट्रांस्पोर्ट के चार्जेज ६० रुपये पड़ रहे हैं और यहां से ज्यादा चार्जेज वहां रखे जाते हैं। उन लोगों को खाने की बड़ी भारी मुसीबत है। हम ने इस के बारे में बराबर इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाया है लेकिन यह सरकार परवाह नहीं करती है। क्या यह सरकार अपने को जनता की सरकार कह सकती है? मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यास्था से देशवासियों का भला होने वाला नहीं है। मुल्क के निवासी इस तरह की व्यवस्था को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप चाहते हैं कि व्यापारियों को पनपने के लिए ही क्या हम अपनी औलाद को लड़ाई में झोंक दें? क्या हमारी माताओं और बहनों ने अपने जेवर इसी लिए निकाल कर दिये थे? मुझे बड़ा खेद है और मैं समझता हूं कि आज जो मिनिस्टर देश में ईमानदारी के साथ काम नहीं कर सकता है और अपने को नाकाबिल समझता है, उसे तो फौरन कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ऐसे आदमी की हमारे मुल्क को कतई जरूरत नहीं है। जो मिनिस्टर, मुल्क की समस्याओं को समझने के लिए, तैयार नहीं है, उस की आज हमें जरूरत नहीं है।

आज हमारा मुल्क चारों ओर से संकट से घिरा हुआ है और चीन से लड़ाई का खतरा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

(इस समय १२ बजकर ५५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुये।)

मैं खाद्य विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। असली प्रश्न माननीय राम मूर्ति जी के विभाग से सम्बन्ध रखता है। वह कम्युनिटी प्रोजेक्ट के मन्त्री हैं और सारे विभाग उन के हाथ में हैं। होना तो यह चाहिए था कि उत्पादन से सम्बन्धित जितनी भी चीजें हैं वे सब एक मन्त्री के हाथ में रहतीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फर्टिलाइजर्स मिलते हैं तो रुपया नहीं मिलता है, सीमेंट मिलता है तो लोहा नहीं मिलता है। एक मन्त्री के हाथ में ये सब चीजें होनी चाहिए। रेशनलाइज करके आगे बढ़ने की जरूरत है। नेगी जी पहाड़ों पर रहते हैं लेकिन उधर नजर कम रहती है। जो फूड कमेटी इन्होंने बनायी है उसकी ओर मैंने ध्यान दिलाया है कि क्यों सरकार के गोदाम उन स्थानों में नहीं खोले गये? दो वर्ष गुजर गये। जिस मुसीबत का हम लोग मुकाबला कर रहे हैं अगर यह देश गुलाम न रहा होता तो सैकड़ों सरकारें दो साल के अन्दर खत्म की जा चुकी होतीं। इसके लिए जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए और हमारे मन्त्री जी उन स्थानों पर गोदाम खोल जहां पर, म्युत्स से ट्रांसपोर्ट होता है। जिस प्रकार माननीय लखी सिंह जी ने कहा था, चूंकि वह बात विरोधी ने कही है इसलिए ठुकरायी जा सकती है, लेकिन सच्चाई का मुंह बन्द करने वाला मुंह नहीं दिखा सकेगा, सच्चाई के जो चपत मारता है उसका विनाश हो जाया करता है। गल्ले में मिट्टी पत्थर मिला रहता है। यह सरकार उस मिट्टी, पत्थर का भी दाम चार्ज करती है। मैं जानता हूं कि इस में नेगी जी का हाथ नहीं है। रूल्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनाये हैं। लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मन्त्री का दिमाग ठिकाने नहीं है मैं खुले आम कहना चाहता हूं। माननीय सुब्रामनियम् समझते हैं कि वह बहुत बड़े मन्त्री हैं, मैं समझता हूं कि दुनिया का उनको कोई तजुरबा नहीं है। उन्होंने कभी खाद्य की समस्या को नहीं समझा है। क्या हम ४६ करोड़ को कुर्बान कर सकते हैं एक मिनिस्टर की कुर्सी के लिए, उसके आदर सम्मान के लिए? हरगिज नहीं। हम ४६ करोड़ के लिए हजारों मिनिस्टरों को कुर्बान कर सकते हैं, एक सरकार नहीं, हजारों सरकारें कुर्बान कर सकते हैं। हम लोगों को यहां बकवास समझा जाता है। जो लेजिस्लेटर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी बातों की कद्र होनी चाहिए वह नहीं होती। सरकार कभी ध्यान नहीं देती। रात को सोये सुबह मिनिस्टर बन गये, मानों हजारों लोगों की बुद्धि उन के दिमाग में भर गयी। जिसके पास अक्ल न हो, वह खरीदी जा सकती है, उधार ली जा सकती है और मिनिस्ट्री ठाठ से चलायी जा सकती है। जनता के दुःख को देखिये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

आप की आज्ञा शिरोधार्य है इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगा। मेरी बातों को मिस-अन्डरस्टैन्ड न करें, इसलिए नहीं कि मैं डरता हूं, बल्कि इसलिए कि मेरे दिल के अन्दर श्रद्धा है, इन्सानियत है। इन्सानियत के नाते मैं बिगड़ी हुई परिस्थितियों को रोकना चाहता हूं। मैं देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं,। जो लोग सरकार की चापलूसी करते हैं वह मुल्क को मिट्टी में मिलाते हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत कर नहीं कर सकता, विरोध करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, आज का विषय खाद्यान्न पर विचार है और उसको इस प्रकार से रखा गया है कि पाकिस्तानी आक्रमण के सन्दर्भ में उस पर विचार। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि पाकिस्तान का आक्रमण न रहे तो हमारे सामने दूसरा आक्रमण है। हम तो सन् १९६२ से आपात कालीन स्थित में हैं, जो कि अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इसलिये यह विषय

छोटा नहीं रह गया है। श्रीमन्, खाद्यस्थिति का जहां तक हमारे प्रदेश से संबंध है, पिछले ४ वर्षों में केवल एक फसल, पिछले साल अच्छी हुई है और शेष तीन वर्षों की फसलें किसी न किसी कारण से काफी खराब रहीं, जिसका परिणाम यह हुआ श्रीमन्, कि हमें पिछले साल भयंकर स्थिति देखनी पड़ी। हमें १०–११ लाख टन अनाज की मांग केन्द्रीय सरकार से करनी पड़ी। मैंने खाद्य मंत्री जी से बात की तो उन्होंने बताया कि साधारणतया यदि फसलें इस तरह से लगातार खराब न होतीं तो हमें २–३ लाख टन से ज्यादा अनाज बाहर से मंगाना न पड़ता और जो प्रदेश १४० लाख टन पैदा कर ले, उसको दो-तीन लाख टन का या ५ लाख टन का उत्पादन बढ़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यह कुल उत्पादन का २, ३ प्रतिशत ही होता है। मने मुख्य मंत्री जी के अर्द्धशासकीय पत्र को देखा, जैसा उसमें उन्होंने लिखा है और आदेश दिया है, यदि उसी के ऊपर कार्यान्वयन हो जाए तो यह २–३ लाख टन की कमी उत्पादन में वृद्धि होने से अवश्य दूर हो जायगी। लेकिन मुझे सन्देह है कि जिस प्रकार से सरकारी मशीन चलती है उसमें यह संभव नहीं हो सकेगा। उन्होंने इसमें लिखा है, "भाग्यवश अब पानी भी बरस गया" और यदि ऐसा न होता तो जो स्थिति हमारे सामने पारसाल थी उससे भी भयानक स्थिति हो जाती। किन्तु पानी फिर भी देर से बरसा, काफी खुश्की रही है। हमारे पश्चिम के जिलों का यह हाल है कि वहां खुश्की की वजह से काफी नुकसान हुआ है। किन्तु मुख्य मंत्री जी ने इसमें जो कुछ तजवीजें दी हैं मैं उनसे सहमत हूं और मेरा ऐसा खयाल है कि उनसे काफी लाभ होगा। इसके अनुसार हर एक कर्मचारी को एक-एक गांव सुपुर्द किया जायगा, जो कर्मचारी गांव में कृषि से और विकास से संबंधित कार्य करते हैं। इन कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना है, यह देखेंगे कि कहां पर पानी लगता है, कहां पर नहीं लगता है, कहां पर सिंचाई की आवश्यकता है और आवश्यक है तो कहां पर कैसे सिंचाई के साधन चाहिये। इसमें यह आवश्यक है कि गांव के कर्मचारी ही नहीं ब्लाक प्रमुख और बी० डी० ओ० के सुपुर्द यह काम किया जाए कि वह देखे कि कर्मचारी कार्य करते हैं या नहीं और आप उनको थोड़ा प्रलोभन दे दें कि जो अपने गाँव की फसल को २५ प्रतिशत बढ़ा लेगा, उसको यह प्रमोशन मिलेगा, यह यह इनाम मिलेगा और जो ऐसा नहीं कर पायेगा, ढिलाई बरतेगा उसको दण्ड दिया जायगा।

श्रीमन्, एक जिक्र इस में किया गया। सिंचाई साधनों की तेजी का यह इतनी बड़ी चीज है, सिंचाई के साधन जो सरकार के हैं, उनका प्रयोग यदि ठीक प्रकार से किया जाए तो उत्पादन बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके बारे में भी इसमें ध्यान दिया गया है और इसमें लिखा है कि "सिंचाई के सारे साधनों को बिलकुल ठीक हालत में तुरन्त किया जाय ताकि अधिक से अधिक सिंचाई खरीफ और आने वाली रबी में की जा सके। जो नलकूप बेकार पड़े हैं या नालियां ठीक हालत में नहीं हैं, उन्हें तुरन्त ठीक किया जाय। तैयार नलकूप या जो तैयार होने वाले नलकूप हैं उन्हें बिजली का कनेक्शन शीघ्रता से दिया जाय। सिंचाई और विद्युत् विभाग का विशेष कर्तव्य है कि उपलब्ध साधनों को ठीक हालत में रक्खें ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई हो सके,, श्रीमन्, मैं स्पष्ट कहूंगा कि मुझे आशा नहीं पड़ती कि सरकारी मशीन इस तरह से संचालित होगी या चल सकेगी, जिसकी वे अपेक्षा करती हैं। इस विषय में मेरा सुझाव है कि वे प्रदेशीय स्तर पर एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति करें यह देखने के लिये कि कितनी सरकारी मशीनरी में तेजी आयी और कितना किया गया, कितना नहीं किया गया। आज की परिस्थिति यह बताती है और मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं कि यद्यपि कर्मचारी मेरा बहुत सम्मान करते हैं लेकिन उनके कहने पर खेत बोया गया फिर भी समय पर वह सहायता नहीं दे सके जब कि यह था कि पैकेज प्रोग्राम पर यह होगा और इस तरह से आपको सहायता मिलेगी। साधारण किसान से सरकार कैसे डील करती है इसका सहज अनुमान हो सकता है। नाली से पानी छोड़ना है, वक्त पर नहीं छोड़ा गया, तीन रोज बाद छोड़ा गया तो फसल में कमी आयेगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मशीन गीयर— अब ठीक से कर ली जाय तो ३ या ४ फीसदी उत्पादन बढ़ जाना कोई मुश्किल बात नहीं है।

[श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)]

उत्पादन के बाद दूसरा स्टेज वितरण का है। हमें बहुत सारे अनाज की जरूरत नहीं है। माननीय खाद्य मंत्री ने कल बताया कि ४८ हजार टन गल्ला उन्होंने लेवी में वसूल किया। लेवी के बारे में मैं पहले भी दो एक बार सदन में कह चुका हूं कि अनाज आपको सीधे किसान से लेना चाहिये। मैंने वह परिस्थिति देखी है। मैं बैठा हूं और तहसीलदार भी बैठे हैं, बोलते हैं अनाज के ट्रक आवें। अगर हम किसान से कहते हैं कि इस भाव पर अनाज लाओ व्यापारी के जरिये तो अनाज नहीं आया है। मैं बिजीनेसमैन की तारीफदारी नहीं करता और उसको काफी कंडेम भी किया जा चुका है, लेकिन एक बात मैंने देखी है कि जिस अनाज को आप ३६ रुपये में लेना चाहते हैं व्यापारी उसको ३० रुपये में खरीदता है। अब बताइये वह कैसे लावे? हमने यह किया कि इतने बोरी अनाज पर इतना सीमेन्ट दिया जाये। यह फेयर बात नहीं है परन्तु किया गया और कोई चारा न था। किसान से सीधे लेवी में अनाज लीजिए और उसके लिये आपको दो एक बात करनी होगी और इसके लिये आपको थोड़ी मुखालफत भी मोल लेनी पड़ेगी और जो असलियत है उसको कहना पड़ेगा, करना पड़ेगा चाहे उसके लिये कुछ करना पड़े, उसका मुकाबला करना चाहिये। हमारे अन्दर हिम्मत होनी चाहिये अगर एलेक्शन हार जाते हैं तो हार जायं, क्या चुनाव के डर से हम पाप करेंगे? हमें वास्तविक कदम उठाने चाहिए। अनाज वसूल करते समय हमें दो तीन बातों का खयाल रखना होगा। अगर उसका अनाज ३० रुपये बिकता है और २६ रुपये में आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। आज इस कामर्शियल प्लानिंग के समय जब हम हर चीज को आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो आपको ऐसे मूल्य रखने होंगे जिससे अनाज आपको मिल सके, यद्यपि मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको बताऊं कि वह सही मूल्य क्या हो सकता है। साथ ही साथ किसान को प्रलोभन भी देना होगा। उसके साथ यह भी होना चाहिये कि जो इतना अनाज देगा उसको हम यह सुविधायें देंगे। यह भी कहना होगा कि जो किसान हमको इस सीजन में इतना अनाज देगा उसको हम कुयें बनाने के लिये, मकानों को बनाने के लिये इतनी बोरी सीमेन्ट देंगे। साथ ही एक लांग टर्म बात भी है। हमको यह भी सोचना होगा कि आखिर अनाज आयेगा कहां से? वह आयेगा जमीन से। उसके लिये हमें देखना होगा कि कैश क्राप की तरफ किसान बिलकुल न चला जाय। एक किसान के पास १५० बीघा जमीन है और वह उसमें मूंगफली या गन्ना बो दें तो उनको ज्यादा रुपया मिलेगा और जिससे ज्यादा पैसा मिलता है तो किसान कैश क्राप बोयेगा। तो फिर आपको अनाज कहां मिलेगा? अर्थशास्त्र का सिद्धान्त भी यह है कि जिसमें अधिक मूल्य मिले वह बोया जाये और रुपये से आवश्यक सामान खरीदा जाये, परन्तु आज अर्थ शास्त्र इस राजनैतिक वातावरण में, जो आज हमारे देश के अन्दर है, उसमें फेल हो गया है। आज हमको अनाज पैदा करना है, आज यह सम्भव हो सकता है कि हमें बाहर से अनाज बिलकुल न मिले। जैसी आज परिस्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो गई है, जिस प्रकार से हमारा देश तीन तरफ से दुश्मनों से घिर गया है उसमें अनाज के मामले में हमको स्वावलम्बी बनना होगा और जितना जल्दी हम स्वावलम्बी हो जायं उतना ही अच्छा है। आप इतना करें कि हर किसान अपनी भूमि का इतना प्रतिशत खाद्यान्न के बोने के लिये रखे।

हमारे देश और प्रदेश में कुछ खाने की भी लोगों की आदत है। क्या खाना चाहिये और क्या खाना लाभदायक हो सकता है इसका प्रचार सूचना विभाग के द्वारा होना चाहिये। हम अकाल की परिस्थिति में पहुंच गये हैं और दूसरे देशों से मांगते फिरते हैं मगर फिर भी कोई ऐसा प्रचार हमारे सूचना विभाग या सरकार की तरफ से नहीं है कि यह बैलेन्सड डाइट है। कल नवलकिशोर जी ने एक बात कही और उसका उत्तर भानु प्रताप सिंह जी ने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने बतलाया था कि एक सेर मांस चाहे मुर्गी या शेर का खाने के लिये हमको ३ सेर अनाज खर्च करना पड़ता है। अगर इस तरह की बात है तो इन बातों पर एक्सपर्ट लोगों को विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं मछली ऐसी चीज है जिस से खाद्यान्न की बचत हो सकती है। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं। शकरकन्दी,

आलू, सिंघाड़ा या और जो भी इस तरह की चीजें हैं उन पर एक्सपर्ट्स को विचार करना चाहिये और यह बतलाना चाहिये कि उनकी राय में कौन सी चीजें इसमें से खाई जायं जो पूरी खूराक का काम दे सकती हैं। इन बातों का प्रचार होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त अनाज के बरबाद होने के दो तीन तरीके और हैं। हमारे यहां चूहे अनाज को बहुत बरबाद करते हैं और उनसे बहुत नुकसान पहुंचता है। मैं भी खेती करता हूं और मुझे उनको मारने के लिये इन्तजाम करना पड़ा है। एक साल चूहों को मारने की दवा मुझको ब्लाक से बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई थी। मैं किसी की शिकायत नहीं करता हूं, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं लेकिन चूहों के मारने का आन्दोलन होना चाहिये और किसानों के लिये या जो भी जरूरत समझें उनको चूहे मारने की दवाई या चूहेदान आसानी से मिलना चाहिये। कुत्तों पर भी अन्न खर्च होता है वैसे कुत्तों का अपनी जगह पर मूल्य है....

श्री अधिष्ठाता—

कल यह निश्चय हो गया था कि हर माननीय वक्ता को ५ मिनट मिलेगा, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए मैंने सख्ती नहीं की।

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)—

मैं दो मिनट में ही समाप्त करता हूं। कुत्ता घास नहीं खाता है और न कोई दूसरी चीज ऐसी खाता है। कुत्ता मांस खाता है, अनाज खाता है, दूध पीता है और मुझे दुख है कि लोग पांच और छः कुत्ते भी पालते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर टैक्स लगना चाहिये जो कि कुत्ते पालते हैं। हमारे माननीय लालबहादुर जी ने जो राष्ट्र के नेता हैं कहा था कि हो सकता है कि हमको एक वक्त खाकर भी रहना पड़े। हमारे यहां केवल एक या दो प्रतिशत की कमी है, लेकिन अगर वह कमी दस प्रतिशत की भी हो तो वह दूर हो सकती है अगर हम केवल सप्ताह में एक दिन अनाज न खायं। श्रीमन्, आधे मिनट में एक उदाहरण आप को दूं। पं० जवाहर लाल नेहरू जी जब द्वितीय महायुद्ध के बाद चीन से लौटकर आये तो उन्होंने वहां की एक खास बात बतलायी थी। उन्होंने बतलाया था कि चीन में जूतों की बहुत कमी है, सिपाही को जूता नहीं मिलता। उसे मिलता नहीं इसलिये वह घास का जूता बनाता है और वह दो दिन में टूट जाता है। फिर वह बनाता है और उसे दो दिन पहनता है। इस तरह की तकलीफें हमें भी बरदाश्त करनी पड़ेंगी। हमको खाने की आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा, अनाज बचाना पड़ेगा और इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। हम सप्ताह में एक दिन व्रत रखने का प्रचार करें और खाने में एक-एक रोटी भी बचायें तो यह समस्या हल हो सकती है।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, आज पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न हुई खाद्य स्थिति पर हम लोग यहां विचार कर रहे हैं। मान्यवर, खाद्य स्थिति तो एक विषम समस्या पहले से ही बनी हुई थी और इस आक्रमण की वजह से वह और अधिक विषम हो गयी है, इसमें कोई संदेह नहीं। परन्तु खाद्य स्थिति का जहां तक संबंध है वह ऐसी गुथी हुई है हमारी खेती से कि अकेले खाद्य मंत्री और उनका वितरण संबंधी जो सवाल है उसके ऊपर हम चाहे जितनी टीका-टिप्पणी करें, हम खाद्य स्थिति में इससे कोई बेहतरी नहीं ला सकते। ऐसा होना संभव प्रतीत नहीं होता। यह बात सही है कि यह बहुत लम्बी बातें हैं कि हमें अपने खेतों में ज्यादा उपजाना चाहिये, कोनों में अनाज पैदा करना चाहिये, जैसा कि पिछले महायुद्ध में किया गया था और हमने अपने बंगलों के लान्स में भी खाने पीने का सामान पैदा करना शुरू कर दिया था। आज भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है और इसके लिये किचेन गार्डेन्स का उपयोग करना तथा आन्दोलन चलाना आवश्यक है, परन्तु जैसी हमारी

[श्री बृजभूषण शरण]

व्यवस्था चल रही है खाने-पीने की उसमें हमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। खाद्य मंत्री उतना ही वितरण कर सकेंगे जितना कि उनके पास होगा। यह सही है कि उनकी बहुत-सी दिक्कतें हैं पिछले साल में वे उन कठिनाइयों पर हावी हुए हैं और हमें चन्द्रसिंह रावत जी के शब्दों में बजाय उनकी आलोचना करने के, उनकी तारीफ करनी चाहिये। लेकिन उनकी बात पर मुझे एक बात याद आती है और मैं स्पष्ट बात कहने के लिये खाद्य मंत्री जी से क्षमा भी चाहूंगा। हम बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि एक जाट और जाटनी थे। वे बड़े होशियार होते हैं। एक बार एक ब्राह्मण उनके घर आया। उन्होंने सोचा कि इसको खाना खिलाना पड़ेगा और दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो चौधरी ने चौधराइन से लड़ना शुरू कर दिया। उसने उसको गाली दी, उसने उसको दी। जूतम पैजार हुआ, मार-पीट होने लगी। तो पंडित कहने लगे कि अच्छा चौधरी साहब माफ करो, मैं जाता हूं, फिर किसी दिन आऊंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा जी, ठीक है। जब ब्राह्मण बाहर गया तो चौधरी ने रोती हुई चौधरन से कहा कि मैं कोई सचमुच थोड़े ही मार रहा था। इस पर चौधराइन ने जरा-सा घूंघट उठा करके कहा कि मैं ही क्या सचमुच रो रही थी। तो वही मसल मुझे यहां मालूम होती है। नेगी जी और चन्द्रसिंह जी रावत एक ही जिले से आते हैं। नेगी जी ने अपने जिले की सुव्यवस्था करने के लिये यह असेम्बली के सामने ढोंग रच रखा है कि खुद तो कुछ कहते नहीं हैं, रावत जी को कह दिया है कि तुम वहां की समस्याओं के बारे में सरकार की और मेरी कड़ी आलोचना करते रहो और मैं अपने जिले के लिये इस बहाने से कुछ करता रहूंगा ऐसा मुझे लगता है। मेरा इरादा माननीय खाद्य मंत्री जी की नीति की आलोचना करने का नहीं था, लेकन मैं फिर भी उनको मुकाबलतन याद दिलाना चाहूंगा कि उनके पहाड़ और हमारे पहाड़ में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन जो सहूलियतें उन्होंने अपने पहाड़ के लिये दे रखी हैं वह चकराता के संबंध में याद नहीं आती हैं। हम बार-बार कहते हैं कि एक कोना पहाड़ का उधर है, एक इधर है, एक ऊंचाई पर चकरौता गढ़वाल बसा हुआ है और उधर पौड़ी-गढवाल बसा हुआ है। फिर क्या फर्क है? लेकिन उनको जो कमियां पौड़ी-गढ़वाल के संबंध में याद आती हैं वह हमारे यहां के संबंध में याद नहीं आतीं। उन्होंने चन्द्र सिंह रावत को सिखला दिया है कि हर बार खाद्य समस्या पर नेगी जी को क्रिटिसाइज करते रहो।

एक सदस्य—पौड़ी का ८० रु० भाड़ा पड़ती है।

श्री बृज भूषण शरण तो क्या हुआ? लखवाड़ी का भी उतना ही पड़ता होगा। लेकिन इतनी सुविधाएं दिये जाने के बावजूद भी वहां से गाली मिलती है, हम फिर भी दुआएं देते हैं। क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि इनकी कठिनाई है, उसमें जो कुछ भी सहारा दे देते हैं वही बहुत है। लेकिन फिर भी निवेदन करूंगा कि यह ध्यान रखें कि जो परिस्थितियां इनके पहाड़ में हैं वही दूसरे पहाड़ में भी हो सकती हैं।

खाद्य समस्या के संबंध में एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं। वह यह है कि उन्होंने एक फारमूला एडाप्ट कर रखा है सन् ६१ की आबादी का और उस पर १० परसेन्ट बढ़ा कर शहरों को देते हैं। मुझे मालूम नहीं कि वह किस तरह से ऐसी अनुपेक्षिता जाहिर करते हैं। क्या उन्होंने देहरादून देखा नहीं है, उन्हें देहरादून की समस्याएं मालूम नहीं हैं कि वह १० परसेंट का रोटीन हमारे सामने भी लगा रहे हैं? क्या उनको मालूम नहीं है कि हमारे यहां जमुना स्कीम चल रही है जहां १० हजार आदमी बाहर से आकर काम करने लग गये हैं? उसको कैसे १० फीसदी में लगा सकते हैं? हमारे यहां क्या उनको मालूम नहीं है कि ऐंटी बायोटिक फैक्टरी खुली है जिसमें भी १० हजार आदमी बाहर से आकर काम करने लग गये हैं? क्या उनको मालूम नहीं है कि हमारे यहां देहरादून में इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट खुला है जिसमें ४,००० आदमी बाहर के काम कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो हमारे जिले के होंगे। तो यह हमारे जिले की समस्या नहीं है बल्कि साथ ही इतने अधिक बाहर के लोगों का पेट भी देहरादून वालों को भरना पड़ रहा है। हम उनको खाने को कहां से दें? इस पर उन्होंने गौर नहीं किया। फिर

भी वह जो कुछ हमारे लिये करते हैं उसके भी हम उनके आभारी हैं और पुनः उनसे यह निवेदन करेंगे कि वह अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर जरूर रखें। वह अक्सर पहले देहरादून तशरीफ लाया करते थे मगर अब ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमसे कुछ रुष्ट हैं। अगर वह वहां जायं तो उनको पता चल सकता है कि वहां की समस्या कितनी गहन है। हम लोग भी अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं हैं। हमने एक एक कार्ड का पुनर्निरीक्षण किया और २ हजार गलत कार्डों को कैंसिल कराया। होमगार्ड व्यवस्था और जो अन्य सेवा कार्य करते हैं वह हमारा सहयोग दे रहे हैं। मगर यह सब कटौती करने के बाद भी हम इतनी आबादी को खिलाने में असमर्थ हैं। इसलिये बस्ती, गोरखपुर वाला फारमूला वहां लागू नहीं होता क्योंकि हमारे यहां की परिस्थितियां कुछ विशेष हैं।

मान्यवर, खाद्य स्थिति के संबंध में यहां माननीय नेगी जी तथा उनके विभाग की बहुत आलोचना होती है। पिछले दिनों जो बहस हुई थी, मेरी भी इच्छा कुछ कहने की थी, मगर उस वक्त मुझे समय नहीं मिला था। मान्यवर, नेगी जी तो जितना हमारे पास स्टाक होगा उसी के अनुसार उसका वितरण कर देंगे। इसलिये उनको कोई दोष देना उचित नहीं समझता। इसके लिये जो केन्द्रीय सरकार की नीति है उसे बदलना होगा। पिछले सालों में तमाम मोटरों के इंजिन डेजिल इंजिन तैयार किये गये। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारे यहां जो तेल निकलता है उसका १०० प्रतिशत डीजल ही तो नहीं बनता। उसका एक अनुपात होता है और उसी अनुपात में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल आदि तैयार होता है। अगर सब इंजिन डीजल के बना दिये जायेंगे तो इतने पेट्रोल का क्या होगा? इसलिये जितनी मात्रा में हमारे पास डीजल आयल है उसी के अनुसार डीजल के इंजिन तैयार करना चाहिये। हमें अपनी मशीनरी को उसी हिसाब से तैयार करना होगा वर्ना मिट्टी का तेल डिजिल में मिलावट करके बेचा जाता ही रहेगा और मिट्टी के तेल की कमी रहेगी। आज एक विषम परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। मैं चाहता हूं १२५ संख्या जो मेहमानों की है उसे घटा कर २५ कर देना चाहिये। व्यवधान एक माननीय सदस्य कह रहे हैं उसे कर दिया गया है। कर दिया है तो उसके लिये मैं आभारी हूं किन्तु यह प्रतिबन्ध शादियों के संबंध में लागू नहीं होना चाहिये क्योंकि शादियां रोज-रोज लोगों के यहां नहीं होती। शादियों के मामले में कुछ छूट होना चाहिये। इसके अलावा रेस्ट्रां आदि में भी हमें कुछ नियंत्रण रखना चाहिये। मैं माननीय जगदीश प्रसाद जी के इस कथन से सहमत हूं कि मांस के भोजन के साथ हमें अनाज की खपत ज्यादा करनी होती है। परन्तु मछली का भोजन आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। उसे हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। माननीय चन्द्र सिंह जी ने ठीक ही कहा है खाद्य और खेती एक ही समस्या है। कोई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकतीं। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि कृषि का कुछ भाग माननीय नेगी जी के सुपुर्द कर दिया जाये जैसे मत्स्य पालन आदि विभाग हैं। अभी तो उनको यह कहने का अवसर मिल जाता है कि वे पैदावार के मंत्री नहीं हैं, वितरण के हैं। अगर यह नहीं होता तो चूंकि ज्वाइन्ट जिम्मेदारी है, माननीय नेगी जी को कबिनेट के सामने यह चीजें रखनी चाहिये।

इसमें श्रीमन्, कोई शक नहीं है कि जो आफिसर्स किसानों के पास जाते हैं वे उन्हें परेशान करते हैं। उनसे किसानों को कुछ सहायता नहीं मिलती। उनको चाहिये कि वे किसानों को इसमें सहयोग दें कि किस प्रकार से खेती में सुधार किया जाय, कैसे पैदावार बढ़ाई जाय। जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है वे कोई उत्तर नहीं दे पाते। आपने एक हाई लेविल सेक्रेटरी बनाकर बिठा दिया। इन चीजों में क्वार्डीनेशन की जरूरत है। क्वार्डीनेशन के बगैर हम कठिनाईयों को दूर नहीं कर सकेंगे। सिर्फ हैमरशोल्ड या ऊथान्त के बना देने से समस्या हल नहीं होगी। मैं समझता हूं कि परिस्थितियां कठिन हैं, हमें भूखों रहने के लिये भी तैयार रहना चाहिये। मगर जहां तक नेगी जी के वितरण का सम्बन्ध है मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पोलिटिकल आदमियों को जो

[श्री बृजभूषणशरण]

सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें दे रक्खी हैं उन पर पोलिटिकल प्रैशर की वजह से बेईमानी करने पर भी मुकदमा नहीं चल सकता, उनके साथ बड़ी सहानुभूति के साथ बर्ताव होता है, इसलिये पोलिटिकल आदमियों को दुकानें नहीं देनी चाहिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह खाद्य का आज का विषय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह से आज पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है, ऐसी स्थिति में इस पूरी खाद्य स्थिति के बारे में जो हमारे यहां सदन में विचार हो रहा है, हमें बड़ा दुःख है कि आज इसमें जितनी रुचि होनी चाहिये उतनी रुचि हमारे आदरणीय सदस्यों ने नहीं दिखाई । वास्तव में जिस स्थिति के अन्तर्गत आज हमारे हालात बिगड़ रहे हैं उसी स्थिति के अन्तर्गत हमारी खाद्य समस्या बिगड़ती जा रही है । इस पर कैसे कन्ट्रोल पाया जाय, इसका क्या निदान हो, इसके लिये क्या पालिसी सरकार निश्चित करे, किस तरह से अन्न का बचाव करे और आज की स्थिति मेंउसका इस्तेमाल करें, ये बड़े प्रमुख सवाल हो गये हैं ।

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि मैं केवल खाद्य मंत्री से जो यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे हमदर्दी जरूर करना चाहता हूं, लेकिन केवल हमदर्दी करने से, केवल यह कह देने से कि खाद्य मंत्री ही आज वितरण के लिये जिम्मेदार हैं, वे सारी समस्या के जिम्मेदार हो सकते हैं ऐसी बात नहीं है । पर ऐसी जिम्मेदारी जब तक कि आप पूरी खाद्य की स्थिति को उत्पादन से लेकर वितरण तक, क्या इसमें समस्या है, उनको कैसे दूर किया जाय,जब तक हम पूरे पर विचार नहीं करते तब तक हम एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराकर खाद्य स्थिति का निराकरण नहीं कर पायेंगे। श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि इंगलैण्ड में भी खाद्य समस्या बहुत विकट हुई थी सेकेन्ड वर्ल्ड वार के टाइम में, उस समय भी मैंने देखा था कि जो उस समय का मंत्रि परिषद् था, जो उनकी इमरजैन्सी कैबिनट थी, उस समय किस तरह सेखाद्य समस्या की तरफ उन्होंने अपना ध्यान दिया था, किस तरह से उन्होंने इन्टीग्रेटेड एक डिपार्टमेंन्ट कायम किया था जिसके अन्तर्गत खाद्यान्न को कैसे बचाया जाय, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाय, वितरण की क्या व्यवस्था हो, ये सारी बातें लेकर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रेषित की थी और मंत्रि परिषद् ने उस पर विचार किया । विचार करने के बाद कुछ मूलभूत परिवर्तन अपनी नीति में किये। आज हम देखते हैं कि हमारी नीति में कोई परिवर्तन प्रदेश में नहीं है । यह जरूर है कि हम महसूस करते हैं कि हम पर हमला हो गया और इस हमले से बचाव के लिये अगर अमेरिका पी० एल० ४८० न दे तो आप आज किस तरह से कमी को पूरा करेंगे । इसके बारे में कैसे, क्या नियम बनाये जायं, क्या प्रारूप हो, कैसे प्रदेश से गल्ला दूसरे प्रदेश को न जाय । इसके लिये नियम जरूर बना देते हैं चाहे वह केन्द्रीय सरकार बना दे, चाहे प्रादेशिक सरकार केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत बना दे । इससे समस्या का समाधान केवल नियमों को बनाकर, केवल प्रारूप निश्चित करके नहीं कर सकते । यह तो आपका प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी लैन्ड पालिसी क्या है और उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि उस लैन्ड पालिसी के अन्तर्गत खेती के जो दो सौ वर्ष पुराने औजार इस्तेमाल हो रहे हैं, वह जो बिखरी हुई आपकी लैन्ड होल्डिंग है, जोकि आज लैन्ड होल्डिंग तमाम जगहों पर बेकार हुई है आप उसको इस्तेमाल करके आज देश के उत्पादन को कैसे बढ़ायें ? और उसके लिये आपकी क्या-क्या आवश्यकतायें हैं, पानी की, सिंचाई की, कब आवश्यकता है, खाद की कब आवश्यकता है ? आज जरा हम अपनी नीति पर ध्यान दें, बिजली का सवाल जब यहां पर आता है, तो हमारी नहरें बन्द, हमारे ट्यूबवेल बन्द, करोड़ों रुपया हमने खर्च किया इन पर लेकिन सारे ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं । आज जड़हन की फसल तैयार है । बहुत जगहों पर सूखा आया, बहुत सी जगह बाढ़ आयी, आज जहां फसल के लिये पानी की जरूरत है, वहां पानी की मांग हम करते हैं तो हमारे सामने पचासों तरह की समस्यायें सरकार की तरफ से उत्पन्न की जाती हैं, उनका कोई निराकरण हमको नहीं बताया जाता कि कैसे वह खेत हम सिंचित करें और जो भी

३० परसेंट, ४० परसेंट उत्पादन बढ़ा सकते हैं वह बढ़ायें ? कोई साफ नीति इसके लिये सरकार की तरफ से नहीं आती ।

आज मैं बहुत परेशान हूं और इसलिये परेशान हूं कि हर आदमी जिसके अन्दर राष्ट्रीय भावना है, जो सही तरीके से देश का काम करना चाहता है, जो सही तरीके से देश को अपना देश समझता है, वह चाहे व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो, उसके सामने कोई साफ कार्यक्रम नहीं दिखाई पड़ता । हिन्दुस्तान आज बहुत बड़े संकट के रास्ते गुजर रहा है । हमारे प्रदेश की भी स्थिति उससे कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई है । लेकिन हम उसका एहसास सिर्फ इतना करते हैं कि कैसे हम गरीब किसान से टैक्स ले लें, हम कैसे उससे पैसा प्राप्त कर लें और दुनियां को दिखा दें कि हमने इतना रुपया लाकर फलां जगह रख दिया । इससे कभी मनोबल ऊंचा नहीं होगा और इससे हमारी खाद्य समस्या तय नहीं होगी जब तक कि आप तमाम पहलुओं पर विचार नहीं करेंगे, माननीय कृषि मंत्री जी बड़े भारी कृषक हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आज वह यहां इस बहस के मौके पर उपस्थित नहीं हैं । हो सकता है कि वह अपने कमरे में हों, लेकिन उनको यहां आज होना चाहिये था और अपनी नीति के बारे में बताना चाहिये था जिससे कि आभास होता प्रदेश की जनता को कि हमारी नीति क्या है ? वह किसान के लड़के हैं, धरतीपुत्र हैं, उनकी बड़ी जानकारी किसानी के सम्बन्ध में है और उनका इसमें बड़ा सहयोग हो सकता है लेकिन जब हम देखते हैं कि इस मौके पर वह यहां मौजूद नहीं हैं तो हमें बड़ी निराशा और दुख होता है ।

आज स्थिति तो ऐसी पहुंच गई है कि चाहे किचेन गार्डेन के अन्दर अनाज पैदा कर लें, चाहे अपनी फूड हैबिट्स में कुछ चेंज करके साइकोलाजिकली कोई ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि जिससे वह जो गांवों में रहने वाला अपढ़ किसान है वह अपनी फूड हैबिट्स को चेंज कर दे, और हम कुछ बचा सकें, यह सारी बातें कागजों में और भाषणों में तो जरूर हम कर सकते हैं, कर लें और अपने आपको सन्तुष्ट कर लें लेकिन इनसे हमारी खाद्य समस्या का हल नहीं हो सकता । इसके लिये जैसा मैंने ध्यान दिलाया, आपके यहां जब तक बिखरे हुए खेत रहेंगे तब तक कोई भी प्रोग्राम आप खेती का या अन्न के उत्पादन का बढ़ा सकते हों यह हरगिज नहीं हो सकता । उसके लिये चाहे आपको कोआपरेटिव फार्मिंग करना पड़े, चाहे सारे लोगों के खेतों को इकट्ठा करना पड़े, चाहे कानून से ऐसा करना पड़े और चाहे उसके लिये चुनाव हार जायं, लेकिन यह करना पड़ेगा । जब तक साफ तौर से आप ऐसी नीति अख्तियार नहीं करते तब तक खेती का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते । हम डरते इसलिये हैं कि भानुप्रतापसिंह जी सामने बैठे हुए हैं, कहेंगे कि देखो, कोआपरेटिव फार्मिंग करते-करते देश के तमाम किसानों की भूमि ले रहे हैं । लेकिन मैं नहीं समझ पाता, आज अगर खेती का हिसाब लगाया जाय, मैं भी किसान हूं, वैसे अपने हाथ से खेती नहीं की है, इसको मानने के लिये मैं तैयार हूं, लेकिन यह मैं जानता हूं कि हमारी जो खेती चल रही है उसमें जितना खर्चा किया जाता है उतनी पैदावार नहीं होती और न तो पैदावार ही ठीक होती है और न लाभ ही होता है और हमेशा घाटा रहता है और आप कहते हैं कि गन्ना न बोओ, मूंगफली न बोओ । इसका कारण है कि हम आधुनिक ढंग से खेती नहीं कर सकते । जब हमारा किसान ३ अंगुल का हल लेकर खेत को जोतेगा और दूसरी ओर दुनियां स्पुटनिक बनायेगी तो किस प्रकार से खेती की पैदावार हमारे देश में बढ़ सकती है । मेरा तो यह निश्चित मत है कि जब तक आपकी कोई निश्चित लैंड पालिसी न होगी तब तक पैदावार बढ़ाई नहीं जा सकती और तब तक दूसरे मुल्कों पर निर्भर रहना पड़ेगा । अमेरिका आदि दूसरे मुल्क तो कारखानों पर मुनहसिर रहते हैं और फिर भी आपको चावल और गेहूं देते हैं । इसलिये आप किसानों के ऊपर निर्भर रह कर कोई पैदावार नहीं बढ़ा सकते । उसके लिये सरकार को ही कोई निश्चित नीति अपनानी होगी । उसके लिये कायदे कानून बनाने होंगे, फिर चाहे नरसिंह नरायण पांडेय का खेत चला जाय या नेगी साहब का खेत चला जाय । तभी हम समाजवाद के लक्ष्य को पा सकेंगे और तभी हमारा देश फूड के मामले में आत्म-निर्भर हो सकेगा ।

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

आज हमारे सामने एक विषम परिस्थिति है । पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और चीन भी बंदूक चला रहा है । ऐसी हालत में सवाल यह पैदा होता है कि किस प्रकार हम अन्न को संचय करें । नेगी जी कल से अपनी बेबसी बता रहे थे और सब प्रकार से अपनी गलती को मान रहे थे । उन्होंने कहा कि २–४ साल पहले जब उन्होंने प्रदेश का दौरा किया तो उन्होंने कहा था कि मेसनरी वैल्स लगाये जायं, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं ट्यूबवेल लगाइये और जब वे फेल हो गये तो उसी चीज पर फिर आना पड़ा । जिस मिनिस्टर की यह हालत हो, जिसकी मूलभूत बातों को भी न माना जाता हो और फिर उसकी जिम्मेदारी ठहराई जाती हो, यह कहां तक ठीक है । मैं तो उनकी जिम्मेदारी ठहराने को तैयार नहीं हूं ।

मेरा खयाल है कि हमें पढ़े-लिखे लोगों को, कम से कम फूड हैबिट्स को बदलना चाहिये । एक वक्त खाना न खाने से तन्दुरुस्ती खराब नहीं होती । इसके लिये शाक, सब्जी ज्यादा खानी चाहिये । बी० बी० शरण जी ने उनको किचेन गार्डन्स में उगाने के बारे में जो सलाह दी है वह ठीक ही है और सरकार को, जो भी इस प्रकार के प्रयत्न करे उसको सहायता देनी चाहिये । लेकिन फूड हैबिट्स के चेन्ज करने में आपको समय लगेगा, उसके लिये वैसी शिक्षा देने की आवश्यकता होगी और हमें यह भी देखना होगा कि जितनी कैलोरी फूड की आवश्यकता है उतनी हर एक को मिलनी चाहिये । इस इमरजेन्सी में सब लोग सहायता करने के लिये तैयार हैं । मेरा खयाल है सब विधायकों को लेकर नेगी जी एक काम करें कि टारगेट फिक्स कर दें कि इतने टन गल्ले की जरूरत है । तो जैसी आजकल सबमें मिल कर चलने की भावना पैदा हो रही है, उससे स्टाक मिल जाने की पूरी आशा है और माननीय मंत्री जी को किसी कानूनी पेचीदगी में भी न पड़ना पड़ेगा । अतः आप को इस एकता से लाभ उठाने की आवश्यकता है । लेकिन उस कुरबानी को समझा-बुझाकर और किसान को देश की परिस्थिति से अवगत करा के ही हम खाने की समस्या को हल कर सकते हैं । आज खाद्यान के वितरण की क्या स्थिति है यह तो नेगीजी समझें, लेकिन जब तक आप एक सुनिश्चित लैण्ड पालिसी नहीं बनायेंगे, कृषि की पालिसी नहीं बनायेंगे, कोआपरेटिव की ओर ध्यान नहीं देंगे, जनता की फूड हैबिट्स को नहीं बदलेंगे, साग-सब्जी की ओर अधिक ध्यान न देंगे, लोगों की बैलेन्स्ड डाइट्स नहीं करेंगे तब तक आप इस फूड की समस्या पर और इस एमरजेंन्सी पर काबू नहीं पा सकेंगे । आपने जो श्रीमन्, मुझे आज अवसर दिया उसके लिये मैं आप का शुक्रगुजार हूं ।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो वादविवाद खाद्य समस्या पर इस समय चल रहा है उस के सम्बन्ध में मेरे विचार से माननीय खाद्य मंत्री जी के द्वारा जो खाद्य की कमी है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती वरन् उसकी पूर्ति विकास और कृषि मंत्री के द्वारा हो सकती थी । खाद्य मंत्री का एक सीमित क्षेत्र है, जितना अनाज उन्हें प्राप्त होगा, जितना उन्हें केन्द्रीय सरकार से या अन्य साधनों से मिलेगा या वह जुटा सकेंगे उतने ही का वह वितरण कर सकते हैं । उसके ठीक वितरण के सम्बन्ध में कई बार सदन में चर्चा चल चुकी है, लेकिन आज जो संकट की स्थिति हमारे सामने हैं उसको देखते हुये खाद्य की समस्या अधिक अन्न उत्पादन करने और उसे सुरक्षित रखने से ही दूर की जा सकती है । जहां तक अन्न को सुरक्षित रखने का प्रश्न है सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया लेकिन अभी भी उसमें हमें पूर्ण सफलता नहीं मिली है क्योंकि वेयर हाउसेज का लाभ अभी हमारे साधारण किसान नहीं उठा पाते हैं और जिसके कारण किसान के घर में रक्खी एक बहुत बड़ी अन्न की राशि चूहों और कीड़ों के मुंह में चली जाती है ।

जहां तक अधिक अन्न उपजाने का प्रश्न है यह एक बहुत बड़ी समस्या है और पिछली ३ योजनाओं में इस दिशा में सतत प्रयत्न के बाद भी हमारा यह काम पूरा नहीं हुआ है और आज भी हम दूसरे देशों के मोहताज हैं और उनसे अन्न के लिये रोज भिक्षा मांगते हैं । इस दिशा में जो प्रयास किये गये हैं जहां तक मेरा विचार है इन प्रयासों में बहुत कुछ मौलिक त्रुटियां हैं

जिनके कारण हमें सफलता नहीं मिली । हम ने खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कम्पोस्ट खाद को बनाने का प्रचार किया और किसानों को मजबूर किया कि वह अपना गोबर जलाये नहीं बल्कि उसे खाद के गढ़ों में डालें, लेकिन हम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गांव के रहने वालों के पास खाना पकाने का एक साधन गोबर ही है, हमने कोयला, लकड़ी, गैस या बिजली का प्रबन्ध उनके लिये भोजन बनाने के लिये नहीं किया ताकि वह इन साधनों से खाना पका सकें और गोबर को खाद के लिये छोड़ दें और उससे उपज बढ़ायें । अतः उसे तो मजबूरन गोबर को जलाना पड़ता है। कितनी ही बार इस पर जोर दिया गया लेकिन आज तक इस सरकार ने गोबर को बचाने के लिये किसान को खाना पकाने का कोई और साधन नहीं मोहैया किया ।

इस के अतिरिक्त बहुत सी योजनायें विकास खंडों के द्वारा जारी की गईं, अधिक अन्न उपजाओ के लिये तथा सब्जियों के अधिक उत्पादन के बढ़ाने के लिये उसमें भी कोई खास सफलता नहीं मिली । हमारी सिंचाई व्यवस्था भी बहुत ही दोषपूर्ण है । जितनी आबपाशी किसान को देनी पड़ती है उतनी ही उसको रिश्वत भी देनी पड़ती है, चाहे वह नलकूप से या नहर से सिंचाई करे, लेकिन जब तक पतरौल और अमीन को ८ आने या रुपया बीघा, जहां जैसा सौदा हो जाय, न देदें तब तक समय पर उसे पानी नहीं मिलता । इस प्रदेश के नहर और ट्यूबवेल्स के कर्मचारी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बिना पानी के हजारों रुपये का अन्न बर्बाद होगा, उससे देश और प्रदेश का ही नुकसान होता है । वे किसानों को तंग करते हैं और उस के कारण भी अन्न की कमी की समस्या हमारे सामने आती है । इसकी तरफ कितनी बार सरकार का ध्यान दिलाया गया लेकिन शासन इसको रोकने में भी असमर्थ रहा है ।

इसके अतिरिक्त अन्न की समस्या को सुलझाने के लिये देश और प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि रोकने का तो प्रयास किया गया और परिवार नियोजन की बात तो चलायी किन्तु इस बात की हमने कोशिश नहीं की कि हम लोगों को यह बतलावें कि कितने भोजन से मनुष्य जीवित रह सकता है, कौन कौन भोजन में ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिससे मनुष्य की शक्ति भी कायम रह सकती है और उनसे पूरा भोजन भी मिल सकता है । इसकी ओर शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया । पिछले समय में लोग अन्न थोड़ा खाते थे और वे बहुत दिनों तक जीवित रहते थे तथा आज से अधिक बलशाली और बुद्धिमान भी होते थे । वे उपवास अधिक करते थे । उपवास करने वाला व्यक्ति जल्दी नहीं मरा करता है, उसकी आयु विशेष होती है । प्राचीन लोग अधिकतर कन्द, मूल, फल, सब्जी ही खाते थे लेकिन आज हमारे प्रान्त में इस का अभाव है । किन्तु आज भी पंजाब प्रदेश में कोई भी ऐसा किसान परिवार न होगा जो अपने एक दो बीघे खेत में गाजर मूली, शलजम न बोता हो । उसको उसके परिवार के लोग खाते हैं, उसे वह अपने जानवरों को भी खिलाता है जिससे हमारे प्रदेश से अधिक दूध और घी वहां के जानवरों से मिलता है और इस कारण वहां के मनुष्य भी हृष्ट पुष्ट होते हैं। आपकी जो योजना बनती है वह सब कागज पर रहती है। विकास योजनाओं में सब्जी उत्पादन के ऊपर बहुत बल दिया और आज आवश्यकता भी इसकी है कि सब्जी अधिक से अधिक पैदा की जाय, लेकिन हमारी क्षेत्र समितियों के अधिकारियों ने उधर विशेष ध्यान नहीं दिया है । विकास मंत्री जी इस समय हमारे सामने न सही, लेकिन सभा सचिव इस समय यहां मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने ए० डी० ओ०, एग्रीकल्चर को इस बात की हिदायत दें कि गावों का कोई भी छप्पर ऐसा न रहने दें जिसके ऊपर लौकी, कद्दू ,पेठा और तरोई की बेल न फैली हो, कोई भी मकान खलिहान या जमीन का छोटा से छोटा हिस्सा ऐसा न रहे जिसमें गाजर, मूली सलजम और अन्य इस प्रकार की चीजें न बोयी गई हों । इसका भी बहुत बड़ा असर होता है । श्रीमन्, अगर एक परिवार में चार बच्चे हैं और उन्होंने गाजर, शकरकन्दी, मूली आदि मिला कर तीन पाव ही खा लिया तो आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव के सब परिवारों से कितने अन्न की बचत हो सकती है, क्योंकि जितना पहले बच्चे खा लिये होंगे उतना अन्न तो बचेगा ही। इस तरह से सब्जियां खाकर भी काफी अन्न बचाया जा सकता है । लेकिन हमारे प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि यहां पर लोग अन्न से अन्न को खाते हैं जबकि संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर अन्न से अन्न को खाया जाता हो ।

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

हम अपने यहां चावल को दाल से खाते हैं, रोटी को दाल से खाते हैं । हमने कभी इस बात का प्रचार नहीं किया कि रोटी के साथ दाल का खाना आवश्यक नहीं है । रोटी को सब्जी के साथ खाया जा सकता है । इस संकट के समय में अगर विदेशों से हमें अन्न नहीं मिला तो हमारे सामने बड़ी गम्भीर समस्या होगी । हमारे कृषि मंत्री और विकास मंत्री इस ओर ध्यान दें और वे इस बात का प्रयत्न करें कि जहां एग्रीकल्चर ए० डी० ओ० धान और गेहूं की पैदावार बढ़ाने की व्यवस्था करते हैं वहां वे इस बात का भी प्रयत्न करें कि जिन लोगों के पास अधिक भूमि हैं, उनको बाध्य करें कि वह कुछ भू-भाग में सब्जियां भी पैदा करें। जहां तक मैं समझता हूं गाजर, मूली, केला, शकरकन्द आदि ऐसे पदार्थ हैं जिसमें हमें पूरा भोजन मिल सकता है। ऐसा करके भी हम खाद्य समस्या में बहुत बड़ी सहायता दे सकते हैं। आज के असाधारण समय में विधायकों पर आप उत्तर-दायित्व डालें । उन्हें चाहिए कि वे विभिन्न विकास खंडों में जा कर पता लगायें कि पिछले साल में हमारे यहां कितनी मात्रा में सब्जियां पैदा हुई हैं तथा वे क्षेत्रीय समितियों के अधिकारियों को सहयोग दें और अधिक सब्जियां उगाने का प्रयत्न करें । जब तक हम उन्हें सहयोग नहीं देंगे, समाज में प्रेरणा नहीं होगी, जब तक प्रचार नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हम अन्य देशों की तुलना में कम अन्न पैदा करते हैं किन्तु खाते अधिक हैं। खाद्य समस्या हल करने के लिए कड़ा नियन्त्रण भी चाहिए। दुकानों पर देखा जाय तो पता चलेगा कि कुछ दुकानों पर ९०० यूनिट लगा रखे हैं और किसी पर ७०० यूनिट लगा रखे हैं इनमें बहुत से जाली भी बने हुए हैं। इस समय में भी जबकि हम संकट के समय से गुजर रहे हैं, बहुत से नगर हैं जहां पर जाली कार्ड दुकानों पर लगे हुए हैं जिनका दुरुपयोग होता है। इसके साथ ही साथ सरकारी स्तर पर इस बात का भी प्रयास होना चाहिए कि जो भोज और दावतें होती हैं, उनको भी रोका जाय और इस बात का प्रयास किया जाय कि हम अधिक से अधिक अन्न को बचायें और कम से कम अन्न का उपयोग करें, इस संकट काल में विकास और कृषि मन्त्री जो विशेष रूप से सहयोग देकर उत्पादन बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं और तभी हमारी खाद्य समस्या भी हल हो सकती है।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि खाद्य समस्या पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट कर दिए हैं। अतः इस पर वाद-विवाद बन्द करके माननीय खाद्य मन्त्री को बोलने की आज्ञा दे दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आपका प्रस्ताव यह है कि विवाद समाप्त किया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, यही तो मेरा प्रस्ताव है।

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कल से इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, उनको मैंने सुना। जिन माननीय सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिला मैं उनकी तरफ भी देख रहा था । मैं उनके हृदय की बातों को और उनके सुझाव जो वे कहना चाहते थे, उसे भी समझा। जहां तक मैं समझा उन सब के दिल में ३ बातें थीं। एक तो यह थी कि वितरण की व्यवस्था सुन्दर हो, दूसरे उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो और जितनी कमी हम कर सकते हैं, उतनी की जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे सभी समाननीय सदस्य देश भक्त हैं और देश भक्ति से उनके हृदय ओत-प्रोत हैं । कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इस वक्त अपनी तरफ से देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में जरा भी कोताही करना चाहता हो।

यह खुशी की बात होती अगर इस समय विरोधी दल के माननीय सदस्य उपस्थित होते और उनकी बातों पर मैं अपने विचार व्यक्त करता जिससे उनको सन्तोष होता। वैसे मैंने जिनसे बात की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने स्वयं इसको स्वीकार किया और हमारे तथा उनके दृष्टिकोण में कोई भेद नहीं है। वे जानते हैं कि हम सच्चे दिल से पूरी योग्यता से अपने काम का अन्जाम देना चाहते हैं। मगर वह यह समझते हैं कि पार्टी के लिहाज से उनको कुछ न कुछ कहना है। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से सब माननीय सदस्य, चाहे व यहां पर कितना ही उग्र रूप धारण करें, बड़े संजीदा हैं देश के प्रति उनकी निष्ठा है।

इन बातों में न जाते हुए, पूर्व इसके कि जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं उनका उत्तर दूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उत्पादन के बढ़ाने के विषय में माननीय मुख्य मन्त्री ने जो अर्धशासकीय पत्र भेजा है, जिसकी सराहना सभी माननीय सदस्यों ने की है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के कर्मचारी ऊपर से लेकर नीचे तक सब उस पत्र को एक पवित्र पत्र समझें और उसको मैग्नाकार्टा समझें और उसके विरुद्ध जो कोई काम करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही उनके उच्चअधिकारी करेंगे। यह सरकार की मान्यता है इसको हर एक सरकारी नौकर समझ ले। अगर कोई गलत काम करता है या अपनी ड्यूटी अदा नहीं करता है वह देश द्रोह का कार्य करता है और केवल सर्विस और कन्डक्ट रूल के अन्दर ही नहीं बल्कि देशद्रोही होने का भी जुर्म उनके ऊपर आता है।

दूसरा यह सुझाव दिया कि संकट काल में हमें अनाज को बचाना चाहिए। अगर आज हम व्रत रखते हैं तो उससे अन्न जरूर बचता है मगर उसका इम्पैक्ट मालूम नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हम शिवरात्रि और जन्माष्टमी का व्रत मानते उसी तरह प्रदेश में हर आदमी इतवार को व्रत मनाए, इसमें बहुत काफी अनाज बचेगा और जैसा मैंने कहा १ लाख से ३,४ लाख टन प्रतिवर्ष आयात किया हुआ गेहूं खर्च करते हैं। अगर हर हफ्ते इतवार को हमारे नर-नारी एक बेला न खाएं तो हमारी कमी पूरी हो सकती है और हम किसी के आश्रित नहीं रहेंगे।

पहली योजना में जो कांग्रेस ने कहा था कि आत्म निर्भर हो गए हैं खाद्यान्न के मामले में मगर कमी इस बात की थी, मैंने यह कभी नहीं कहा कि किसान पेट भर खाना खा रहा है, बल्कि मैंने यह कहा कि अगर किसान का भोजन १९ रोटी है तो स्वराज्य से पहले गेहूं का एक रोटी भी नहीं खाता था, सब गेहूं बेंचता था। लेकिन अब वह गेहूं की १९ रोटी खाता है। हमने सरप्लस की गलती यह की कि पहली योजना में हमने एक रोटी खाने में ही पर्याप्त समझा और बाकी सब सरप्लस मान लिया। तो जब तक इतनी पैदावार न करें कि १९ रोटी गेहूं की हमारे उत्पादक को मिल जायं और उसके बाद जो बच रहे वह सरप्लस माना जाना चाहिए। तो कांग्रेस का यह ऐलान कि हम आत्म निर्भर हो गए पहली योजना में इस पृष्ठिभूमि में सही था। दूसरी दृष्टि से आत्म निर्भर वे तब होंगे जब प्रत्येक उत्पादक का पेट पूरी तरह से भर जाय और उसके पास अन्न बचा भी रहे। हम को यह देखना होगा कि १२, १६, १० अथवा ८ औंस प्रति व्यक्ति में कौन सा हिसाब लगाया जाय? अगर १२ औंस का लगाया जाता है तो न कम है, न ज्यादा है। १६ औंस का लगाया जाता है तो हम घाटे में हैं। ८ अथवा १० औंस का लगाया जाता है तो सरप्लस है। इस बात पर सब मुनहस्सिर करता है। वैसे ८ औंस की बात चल रही है। १ लाख के ऊपर वाले शहरों में राशनिंग करने पर जोर दिया जायगा। अगर ऐसा होता है तो हमें कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन १ लाख से ऊपर आबादी वाले नगरों को जो यह ८ औंस राशन दिया जायगा तो पहले हमारे पास कुछ होना चाहिए, उसकी वजह से यह दिक्कत मालूम होती है वर्ना ८ औंस के हिसाब से देना पड़े तो अमेरिका के गेहूं की न तो आवश्यकता है और जो हमारा उत्पादन है उससे ही काम चला सकते हैं। लेकिन इसको पहले स्टार्ट करने के लिए स्टाक चाहिए।

माननीय सदस्यों ने कहा कि नहरों में बरसात के जमाने में पानी नहीं दिया जाता था, उसको चालू किया जाय। वह किया गया। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, कुछ कहते हैं आ रहा है। बावजूद इसके कि यहां सरकार से कुछ भी उत्तर दिया जाता हो

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

सरकार उन चीजों को देखती है और पता लगाती है कि सदन में उसे मालूम हुआ, इसमें क्या गलती है ? कहां पर कमी है ? बहुत से माननीय सदस्य समझते हैं कृषि मन्त्री नहीं हैं। उनकी बातें अरण्य रोदन होंगी। यह बात नहीं है। विभाग से लिखा पढ़ी की जाती है। मैंने यहां जिन बातों को सुना मैंने अपने सहयोगी मन्त्रियों से कहा और उन्होंने उस पर अमल किया। डेमोक्रेसी में बहुमत से काम चलता है चाहे मन्त्रिपरिषद् हो, विधान सभा हो अथवा छोटी से छोटी संस्था हो, भले ही व्यक्तिगत विचार किसी के कुछ भी हों।

कल एक माननीय सदस्य जहां तक मुझे याद है माननीय रियासत हुसैन कह रहे थे कि सन् १९०६ में यहां की औसत फी एकड़ पैदावार ७ मन थी और अब वह कम हो गयी है। यह खुली बात है कि कैश क्राप में कितना फर्टिलाइजर और नहर का पानी चली जाता है जिससे खाद्यान्न के उत्पादन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। फिर दो दृष्टिकोण से इसे देखना होगा। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से ये कीमतें बहुत ऊंची हैं। लेकिन उत्पादनकर्ता की दृष्टि से बहुत नीची हैं। दोनों चीजों का सन्तुलन करना होगा। इस अवसर पर अगर हम काश्तकार को इन्सेन्टिव नहीं देते हैं और कीमतों को उपभोक्ता की दृष्टि से देखते हुए कीमतों को घटाते चले जाते हैं और यह मानते हैं कि हमारी सफलता तभी है जब हम खाद्यान्न के भावों को इतना गिरा दें कि उपभोक्ता खुश हो जाय मगर अगले साल क्या होगा ? इस साल तो मैं किसी न किसी तरह से सख्त कदम उठाकर कर दूंगा। मगर जब वह पैदा ही न करेगा तो क्या होगा ?

यह सही है जैसा कि माननीय जगदीश प्रसाद जी और अन्य सदस्य कह रहे थे कि हम बफर स्टाक सीधे काश्तकार से लेकर ही बना सकते हैं, चाहे इसमें विरोध हो या कोई भी बात हो। यह मैंने लोगों का मन्तव्य समझा और उन्होंने कहा कि उसको उचित कीमत देकर खरीदारी की जाय। लेकिन इस समय हमने मोटा अनाज सीधे काश्तकार से इसलिए नहीं लिया कि इसकी पैदावार अपने यहां बहुत कम होती है। इसकी पैदावार मुश्किल से अपने यहां १८–१९ लाख टन है और मार्केटिंग सरप्लस बहुत कम होता है। इसलिए थोड़ी सी चीज के लिए ज्यादा खर्च करके उनको परेशान करना उचित नहीं समझा। फसल कटने के समय अगर उनको ठीक कीमत देते हैं तो उसको अच्छी कीमत मिल जाती है। फसल के समय पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ज्वार की सपोर्ट प्राइस यानी कीमत ३८ रुपए क्विंटल रखी है, उसकी हमने ४५ रुपए रखी है ताकि काश्तकार को सहायता मिल सके और उपभोक्ता को भी उचित कीमत पर चीज मिल सके। बाद को इसकी ४० रुपए सपोर्ट प्राइस रखी तो हमने ५० रुपए रखी। मक्के की सपोर्ट प्राइस ३६ रुपए सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने रखी तो हमने ४७ रुपए रखी है। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे काश्तकार का इन्सेंटिव घटे।

इस संकट की घड़ी में हमने ४० परसेन्ट की लैवी लगाई है कि इस कीमत पर लाइसेन्स डीलर्स से खरीदेंगे। अगर हमें किसान देना चाहेगा सीधे या कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिए तो हमें खुशी होगी। जैसा कि मैंने कल कहा था कि राजस्थान में जनता ने सरकार को योगदान देने के लिए यह निश्चय किया है कि हर घर से वे अनाज देंगे, अगर ऐसा प्रबन्ध यहां कर सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी और इसका हम आवाहन करते हैं। इस चीज का बड़ा भारी महत्व है। लेकिन इससे समस्या सुलझ नहीं सकती है। हमें खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी और मैं अपील करता हूं कि सब दल के लोग इस तरह अनाज इकट्ठा करें। यह बड़ी खुशी की बात है। हमारी जनता से भी अपील है कि इस तरह की चीजें करें। जैसे मैंने हरद्वार में लोगों से एक दिन का व्रत रखने के लिए कहा था। अगर ऐसी चीजें की जायंगी तो मैं समझता हूं कि किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि जनता में इसका व्यापक रूप से प्रचार किया जाय।

दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हमने २५ की लिमिट निर्धारित कर दी हैं, जैसे गेहूं और चावल और उनसे बनी हुई चीजें और चने की भी चीजें। किसी रेस्टरां में २५ आदमियों से ऊपर नहीं बाटा जा सकता है। अगर हमारे नागरिक और सरकारी अधिकारी

इसका ईमानदारी के साथ इन्फोर्समेंट करें तो बहुत कुछ बन सकता है। जो अधिकारी इसकी अवहेलना करता है वह देशद्रोह भी करता है और सर्विस के मुताबिक भी ठीक काम नहीं करता है। इसका स्ट्रिजेन्ट इन्फोर्समेंट होगा। सुझाव दिया गया कि शादी में सौ होना चाहिए। इस इमर्जेन्सी के जमाने में २५ के ऊपर नहीं जाना चाहिए और यही हमारा आदेश है। समोसे और सैंडविच यह भी किसी रेस्टरां में नहीं बटना चाहिए। अब सवाल यह है कि रेस्टरां में बैठने वाले चाहे नागरिक हों, चाहे हाउस के मेम्बर्स हों, चाहे और लोग हों उनको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए अगर पाबन्दियों का पालन रेस्टरां नहीं करता। अगर ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलाएं तो जरूर बचेगा।

यह बड़ी खुशी की बात है कि जब से युद्ध आरम्भ हुआ है तब से खाद्यान्नों के भाव कम हुए हैं। जो पहले ९० रुपया पर क्विंटल था वह आज ८०, ८१ रुपए पर क्विंटल है। कानपुर की रिपोर्ट मैंने देखी। एक सेर सात छटांक का कटिया लिखा था जब कि वह एक सेर तीन छटांक और पांच छटांक चल रहा था। व्यापारियों ने बड़े अच्छे प्रस्ताव पास किए हैं। उनके प्रस्तावों और पहलकदमी के लिए उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वह आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वह अपने कर्तव्य से च्युत होंगे और हमें मजबूर हो कर डी० आई० आर० के अन्दर मेक्सिमम प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी और सख्त से सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। अगर कोई हमें दोष देता है कि हम सख्ती से कार्यवाही नहीं करते तो यह उसका भ्रम है। पिछले साल हमने तीन सौ से ऊपर आदमियों को प्रासीक्यूट और अरेस्ट करवाया और कार्यवाही की। अगर किसी जिले में सख्ती से काम नहीं लिया तो यहां मैं बता देता हूं कि आगरे में सख्ती से काम लिया गया। यहां पर माननीय सदस्यों ने उठाया वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ज्यादती कर रहा है और फीरोजाबाद में सारे बाजार बन्द किए गए। दोनों चीजें नहीं चल सकतीं। एक तरफ कहें कि सख्ती से काम नहीं लेते और दूसरे तरफ कहें कि सरकारी अधिकारी सख्ती कर रहे हैं।

जहां तक गढ़वाल का सवाल है, पहाड़ों पर, बार्डर पर तीन महीने का गल्ला पहले पहुंचा दिया था। मई में पहले बार्डर एरिया पर पहुंचा। जहां तक गेहूं की सब्सिडी का सवाल है शायद रावत जी को पता नहीं है वहां पर इश्यू गोडाउन्स तक वही भाव है जो प्लेन्स में है। पिछले साल की बात है। रही चावल की और अन्य चीजों की बात उन चीजों पर सब्सिडी नहीं है। एक चीज पर एक जिले में सब्सिडी देने में २५–३० लाख रुपया पड़ता है। यह तो पांच छः जिले हैं। कहा गया कि ८० रुपया का भाड़ा फी मन पड़ ता है। जैसे पाकिस्तान रेडियो वाले बढ़ा कर बात कहते हैं, यह उसी प्रकार की बात है। ८० रुपया नहीं हो सकता। अगर आठ रुपए मन से कहीं ज्यादा पड़ता है इश्यू गोडाउन पर तो उसके लिए गवर्नमेंट रिएम्बर्स करती है। उसको ४ रुपये फी मन के ऊपर से देता है। अब जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है—इश्यू गोदाम तक बराबर है।

अब जब सवाल यह आया कि जरूर हमने फसल के बाद हर जगह कुछ दुकानें बन्द करा दीं और इसलिये करा दीं कि फसल आ गयी है जब लोगों को दिक्कत नहीं है और जब फिर बरसात में मुसीबत आएगी तो बांटेंगे और वही हम कर भी रहे हैं। हमने जितना चावल का स्टाक जमा किया है, हमने जितना खरीफ का मोटा अनाज जमा किया है, किसानों से किसी तरह लिया है, उन सबको लेकर हमारा जितना स्टाक है उसी के मुताबिक हम दे रहे हैं और हमें खुशी है कि हमारे पास इस समय काफी खाने को है। व्यापारियों को यह गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये कि हमारे पास स्टाक की कमी है, जिससे वह अन्धाधुन्ध भाव बढ़ायें, उनको मालूम होना चाहिये कि हमारे पास काफी स्टाक है और हम उनकी किसी भी हरकत का सामना करने के लिये समर्थ हैं। मैं माननीय सदस्यों से उम्मीद करूंगा कि वह हमारे साथ सहयोग करें और जिस तरह से हम चला रहे हैं कि लोगों को अनाज मिलता भी रहे और हमारे पास वक्त जरूरत के लिये स्टाक

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

भी बना रहे हमें तो स्टाक करके रखना बहुत आवश्यक है, हमें तो आगे की देखनी पड़ती है, आठ महीने आगे की, जब तक कि नई फसल न आ जाए। हमारे पास काफी स्टाक है। यदि व्यापारी बेईमानी करने पर भी उतारू होंगे तो हम काम चला सकते हैं।

माननीय शरण जी ने शायद जाट जाटिन वाला किस्सा सुनाया। उन्होंने बड़ी सद्भावना के साथ अपनी बात को कहा है। कुछ लोगों ने दूसरे तरीकों से भी कहा है, किन्तु हम उनका या किसी का बुरा नहीं मानते हैं हमें तो सुनना ही पड़ेगा, हमारी ही यह जिम्मेदारी है, हम सबकी बातों को सुनेंगे और उन पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। हमने आदेश दे दिये हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में और पूर्वी अंचल में जहां पर हमेशा कमी रहती है, वहां पर दुकानें खत्म न करें, केवल वहीं बन्द करें जहां वह नितान्त आवश्यक समझें नहीं तो चलाते रहें। उन जिलों के डी० एम० ने अपनी बुद्धिमत्ता से सोचकर, यदि बरसात में गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो हमारे ऊपर जो ला एण्ड आर्डर की जिम्मेदारी है, उसे वह निभा सकें, इसलिये उन्होंने स्टाक बचाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और मैं कहता हूं कि अगर इस वक्त आवश्यकता है तो मैं हाऊस में भी एलान करता हूं कि उन जिलों को भी पहाड़ की तरह मानकर दे सकता हूं। मैं उस बात को कह रहा था कि फिर भी वृत्ति और मनोवृत्ति हो सकती है होर्डिंग करने की। मुझे कोई न कोई रास्ता ढूंढ़ना पड़ता है जिससे कि हम इस काम को अच्छी तरह से चला सकें।

विरोधी दल के लोगों ने मुझसे यह स्पष्टीकरण जानना चाहा था कि जो मैंने लेवी लगाई है उसके साथ-साथ प्रदेश के बाहर उन अनाजों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबन्ध लागू होगा या नहीं। इसके बारे में मैं एलानिया यहां कहना चाहता हूं ज्वार के मामले में, बाजरे के मामले में, और मक्के के मामले में कोई भी अनाज प्रदेश के बाहर नहीं जा सकता है। इसका उल्लंघन करते हुये जो पकड़ा जाएगा वह डी० आई० आर० में पकड़ा जाएगा। किन्तु जब ४० प्रतिशत इन अनाजों का वसूल हो जाएगा तो बाहर जा सकेगा, लेकिन उसके पहले नहीं। ज्वार के मामले में जो जिले हैं, जिन पर यह लागू होगा, वे जिले झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, इटावा, रायबरेली और रामपुर हैं। इतने जिलों में प्रतिबन्ध है। वहां ४० प्रतिशत देने के बाद ही वहां से माल बाहर जायगा।

बाजरे के लिये ये जिले हैं। उनसे बाहर माल नहीं जायगा। ४० प्रतिशत माल देने के बाद ही बाहर जायगा। ये जिले हैं—बांदा, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, फतेहपुर, जालौन, मिर्जापुर, हमीरपुर।

मक्का के लिये ये जिले हैं। सरकारी खरीद बाद ही इन जिलों से बाहर माल जा सकता है—बहराइच, लखीमपुर, हरदोई, नैनीताल, रामपुर, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, गोंडा और कानपुर।

जहां तक चावल का सवाल है उसमें जो चावल की कीमत निर्धारित है उसके अनुसार खरीदा जायगा। उसके लिये ब्लाक बने हुये हैं। उसमें मैं कुछ संशोधन करना चाहता हूं। ये ११ ब्लाक हैं। इनको हमने विभाजित किया था। अभी तक जो चावल वसूल किया गया है उसमें पैंडी भी एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में नहीं जा सकती है। भानुप्रतापसिंह जी ने इसके लिये कहा था कि ट्रान्स राप्ती एरिया में कुछ मात्रा तक प्रतिबन्ध नहीं लगाया है पर ब्लाकों के अन्दर लगाया है। उसका कारण यही है कि हमको चावल की वसूली करनी है। उसमें ये जिले हैं जिनका एक ब्लाक बनाया गया है। देहरादून, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर का एक ब्लाक है। कुछ और भी इसी तरह के ब्लाक हैं जिनमें हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तराई भावर के एरिया का भी हम टुकड़ा करना चाहते हैं। इनमें कुछ छोटे-छोटे ब्लाक बनाने का विचार है। जिनमें कुछ चेन्ज होने की आवश्यकता है उनकी लिस्ट को मैं नहीं पढ़ता हूं। ये ब्लाक ११ से बढ़ कर कुछ ज्यादा हो जायंगे।

कोरिडोर एरिया के लोगों ने कुछ दिक्कत बतलाई थी कि उस एरिया में लोगों को कष्ट होता है। मैं उन माननीय सदस्यों की इस बात को मानने के लिये तैयार हूं। यह बात सही है कि उस पट्टी वाले लोगों को दिक्कत होती है। उन लोगों ने सदन में बार-बार इस बात को कहा है कि इस दिक्कत को रफा करने की जरूरत है। खासतौर से इस बात को पूर्वी जिले के लोगों ने कहा.....

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री महोदय अभी बैठ जायं। सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

क्राप प्लानिंग की बाबत हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने यह बात बतलायी कि लोग देवरिया में खाद्य उत्पादन नहीं करते। वह चाहते थे कि अपने फार्म पर वह कुछ खाद्यान्न का उत्पादन करें तो उनके अड़ोस-पड़ोस के लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप कैश क प क्यों नहीं बोते और इसके लिये उन पर जोर भी दिया। उन्होंने जो कुछ किया उसके लिये मैं उनकी तारीफ करता हूं। आज हमारे लिये लाजमी हो गया है कि अगर हमको यह खाद्य समस्या हल करनी है तो हम को एक खास तरह के नियम बनाने होंगे और क्राप प्लानिंग अवश्य ही करनी होगी। तभी यह समस्या हल हो सकती है। मैं व्यक्तिगत तरीके से इस बात से सहमत हूं, लेकिन यह तो सारी बातें बहुमत पर चलती हैं। मैं व्यक्तिगत तरीके पर इस बात को सही मानता हूं और मंत्रि-मंडल में अपनी बात रखूंगा और इस पर जोर दूंगा और आशा है कि वे इस बात को मानेंगे। हमारा काम क्राप प्लानिंग के बिना चलेगा नहीं। एवरेज यील्ड पर एकड़ घटने का महज कारण यही है। अगर यील्ड बढ़ानी है और अपने को सेल्फ सफीशियेन्ट बनाना है तो इसको लागू करना पड़ेगा। अगर वहां मेरी बात नहीं सुनी गयी तो मैं वहां से चल दूंगा।

दूसरे, हमारे यहां लोगों का यह ख्याल है कि हम सीधे कल्टीवेटर से लें। रबी की वसूलयाबी डाइरेक्ट काश्तकार से लिये बिना हमारा काम चल नहीं सकता है और मैं मंत्रिमंडल के सम्मुख इस चीज को भी रखूंगा। इसे हल करने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसके लिये सारा मंत्रि-मंडल जिम्मेदार है और जो फैसला होगा वह हम सब को मानना होगा, लेकिन मैंने प्रारम्भ में ही अपनी बात कह दी है। इस वक्त चूंकि जिम्मेदारी बहुत है और परिस्थिति भयावह है इसलिये हमको चाहिये कि हम हर इतवार को व्रत रखें। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि हर पढ़े-लिखे आदमी को इसका पालन करना चाहिये और इसका प्रचार करना चाहिये। इसे अगर आप धार्मिक व्रत न समझें तो इसे राजनीतिक व्रत ही समझ लें। और इसमें हर मजहब के लोगों को व्रत लेना है। इसलिए मैं इसको धार्मिक रूप नहीं दे सकता और न देना चाहिए। यह तो इमरजेंसी के लिए है और हर एक के लिए है।

यह सही है कि पीसमील तरीके पर उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मौजूदा वैज्ञानिक युग में जब कि रासायनिक खाद से, नये-नये औजारों से खेती का उत्पादन होता है उसमें टुटपुंजिया छोटी होल्डिंग वाला कैसे उत्पादन बढ़ा देगा? जब तक कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं होगी तब तक हम पैदावार में आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग के विषय में ऐसे कुछ खयालात हैं कि वह चल नहीं सकती, यहां की मेंटेलिटी, जीनियस ऐसी नहीं है। अगर वह सफल नहीं होगी तो फिर तो नैया डूबी।

एक सदस्य फिर क्या हो?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

तो क्लेक्टिव फार्मिंग करिये। स्टेट फार्मिंग में घाटा चल रहा है। गलतियां हो सकती हैं, उनको दूर करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे माननीय सदस्य कि यहां किसी चीज का प्रारम्भ भी नहीं हो पाता और टीका-टिप्पणी पहले शुरू हो जाती है। १७–१८ वर्ष का हुआ हमारा देश, लेकिन उनकी नजर में यह बहुत वयोवृद्ध हो चुका है और रूस और अमेरिका के राकेट तो चन्द्रमा तक जाते हैं हमसे आशा की जाती है कि हम मार्स और सूरज तक पहुंच जायं। यह कैसे संभव हो सकता है? अगर हम चलते हैं तो निरुत्साहित करते हैं। तो सरकारी फार्म में घाटा पहले भले ही हो, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट आयेगी तो गलतियों को दूर करके ठीक से नियंत्रण करेगी और छोटे-छोटे टुकड़ों से काम नहीं चलेगा।

इसके साथ-साथ हमें फाडर की, फ्युएल की समस्या को हल करना है। अगर फाडर नहीं होगा, मवेशियों को बैलेंस्ड डाएट नहीं मिलेगी तो वह खत्म हो जायंगे। तो इन सब चीजों का प्रबन्ध ठीक होना है। लेकिन फ्युएल और फाडर की समस्या का हल एक एकड़ वाला कैसे करेगा? तो जब तक सामूहिक रूप से फार्मिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता।

मुझे क्षमा करेंगे, आज अपोजीशन यह समझने लगा है कि हमारा धर्म यही है कि हमें अपोज करना है। मैं उनका आदर करता हूं। व्यक्तिगत रूप से वह भी सब समझते हैं कि बगैर इसके काम नहीं चल सकता लेकिन यहां पर आकर ऐसी ही बात कहेंगे। हमसे कहते हैं कि तुम्हारी कोई नीति नहीं है। खाद्य समस्या पर साल भर से हमेशा तीसरे महीने चीफ मिनिस्टर्स और फूड मिनिस्टर्स इकट्ठे होते हैं। और उसको ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से समुद्र का मंथन होता है, उसी तरह से हम भी मंथन करते हैं। यह तो हमारी महादेव जी की बरात है जिसमें सभी को ले चलना है, सभी की भावनाओं का खयाल रखना है। विष और अमृत दोनों को ही स्वीकार करना है। मैं सभी का आभारी हूं जिन्होंने अपना सुझाव रूपी अमृत दिया और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने आलोचना की। बावजूद आज की विकट परिस्थितियों के, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सब के सहयोग से हम कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आने देंगे जिससे खाद्य का कोई विशेष संकट सामने आये और हमें चिन्तित होना पड़े। अन्त में मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं और आपके सहयोग की प्रार्थना करता हूं।

एक सदस्य—

मैंने यह निवेदन किया था कि आप आटा मिलों को गेहूं न दें, बजाय आटा देने के जनता को सीधे गेहूं दें, इस पर आप को क्या कहना है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आटा मिलें सारे भारतवर्ष में ही हैं। हमारे यहां भी शायद २९ मिलें हैं आटे की। इनको सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गेहूं मिलता है। वही इनको सीधे देती है। हमसे उससे कोई मतलब नहीं। मैं समझता हूं कि मैंने इतना अपराध अवश्य किया था कि इन मिलों को फ्री आटा बेंचने की इजाजत न दी जाय, इसे हमें लेने दिया जाय ताकि इसको हम जनता को दे सकें। अब अगर जनता उसको नहीं लेती तो न ले। यह जो करीब २० हजार टन गेहूं इन मिलों को मिलता है वह बन्द हो जायेगा। जब इन मिलों को गेहूं वहां से मिलना बन्द हो जायेगा तो फिर वे बाजार से खरीदेंगी। बाजार से खरीदेंगी तो यह जाहिर है कि वे ज्यादा दामों पर खरीदेंगी और भाव बढ़ जायेंगे। अगर यह कहा जाय कि इन मिलों को ही बन्द कर दिया जाय तो यह तो सारे भारत का मामला है, मैं समझता हूं, मुझे ठीक पता नहीं, मगर ढाई तीन सौ के करीब भारत में आटा मिलें होंगी। फिर तो सभी को बन्द करना होगा। मैं समझता हूं यह तो उचित नहीं होगा। (व्यवधान) मैं समझता हूं केन्द्रीय सरकार उनको बन्द नहीं कर सकती। इससे बेकारी की भी समस्या होगी, लेकिन मैं उसे कोई महत्व नहीं देता क्योंकि बहुत कम लोग बेकार होंगे, किन्तु वह सम्भव नहीं है। अगर यह बात सही है कि उन मिलों को बन्द करने में उचित होगा या अनुचित होगा, जैसा कि कल विकल जी ने कहा कि सब मिल चीनी के बन्द कर दिये जायं,

वह कहते हैं कि इससे बीमारी होती है। सवाल यह है कि चीनी के मिल बन्द, आटे के मिल बन्द, पर दूसरी जगह इन्डस्ट्रियलाईजेशन के लिये कहा जाता है कि यह प्रदेश इन्डस्ट्रीज में सबसे पिछड़ा हुआ है, तो ये दोनों चीजें मेरी समझ में नहीं बैठतीं। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे बाजार से खरीदें तो गत वर्ष जब गेहूं की कीमतें १२० रु० क्विन्टल थीं वही बाम्बे की तरह १४० रुपये पर पहुंच जातीं अगर वे भी आटे को खरीद कर बेंचते। जितना सम्भव है हमने हर जगह सील कर रखा है, हर जगह अफसर बदलकर रक्खे हैं। अगर इस पर भी बेईमानी करते हैं तो इसके लिये अगर आप कहीं ऐसी शिकायत बतायें कि फलां आदमी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ ऐक्शन होगा। जहां तक गेहूं का सवाल है मैं आप को बता दूं कि गेहूं को सब स्टोर करते रहते हैं। आटे को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वह सड़ जाता है, लेकिन हमारे बहुत से भाई इस बात को समझते नहीं व्यापारी इनको ठगते हैं ताकि वे एक्सप्लायट कर सकें। यह एक भ्रम है। इसको सोचने की बात है। जहां तक मेरा ख्याल है, ये चीजें गवर्नमेंट इन्डस्ट्रीज से लेगी या नहीं लेगी, गवर्नमेंट इसके लिये तैयार नहीं। फिर भी अगर आप कोई प्रस्ताव पास कर दें तो मैं वह सुझाव गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेज दूंगा।

श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)—

मेरा यह मतलब नहीं था। मैंने चन्दौसी की बात कही। वहां मिल लगा हुआ है। जब सरकार का कानून है, गेहूं ढोने की मशीन होनी चाहिये, सुखाने की मशीन होनी चाहिये और फिर साफ करके गेहूं पीसा जाना चाहिये। आपके पास कितनी शिकायतें आईं अभी तक चन्दौसी जिले से। मिट्टी धूल कब तक खिलाया जायेगा। आज तक सरकार ने उसका इन्तजाम क्यों नहीं किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चन्दौसी का जहां तक सवाल है इसको गवर्नमेंट आफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल लाइसेंस करते हैं। हमने नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। किसी क्रास एक्जामिनेशन का यह स्थान नहीं है। माननीय मंत्री ने स्पष्टीकरण कर दिया है।

(श्री प्रेमसिंह के खड़े होने पर)

माननीय प्रेमसिंह जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री प्रेमसिंह—

ये जो समाधान चाहते हैं उनको कहलवा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

जिस समय आप इस सदन में नहीं थे उस समय ये लोग जितना कहना चाहते थे वे कह चुके हैं और उसके बाद यह प्रस्ताव हुआ कि वाद विवाद समाप्त करके माननीय मंत्री के वक्तव्य को सुना जाय।

माननीय कमलासिंह यादव अनुपस्थित हैं इसलिये उनके १७ लगायत ३४ तक के प्रस्ताव स्वतः हो जात हैं।

नियम ५० पर होने वाली चर्चाओं का स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

अब मुझे सदन को एक सूचना देनी है। आज के लिये २ विवाद आधे-आधे घंटे के थे। एक श्री रामकिंकर जी का और एक श्री मुमताज मुहम्मद खां का प्रश्नों के सम्बन्ध में

[श्री अधिष्ठाता]

माननीय सदस्यों की प्रार्थना है कि वे आज इस विवाद को नहीं चाहते। इसलिये उनकी प्रार्थना पर इनको आगे के लिये स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं और कल दस बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२१ सितम्बर, १९६५।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६३ पर]

गोरखपुर जिले में ब्रिजमनगंज, धानी, लेहडा तथा आनन्दनगर के बारे में वांछित विवरण क्रमशः अधोलिखित है :

ब्रिजमनगंज—इस कस्बे से अब तक ५९ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनमें से ४८ उपभोक्ताओं को बिजली दे दी गई है। शेष ११ उपभोक्ताओं, जिनके प्रार्थना-पत्र जनवरी, १९५४ में प्राप्त हुये थे, ने जमानत का पैसा तो जमा कर दिया है परन्तु अभी तक समापन प्रमाण-पत्र (B & L form) नहीं दिये हैं। समापन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर उक्त उपभोक्ताओं को भी बिजली दे दी जायगी।

धानी—इस कस्बे का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे ही नाम का एक स्थान धानी बाजार का विद्युतीकरण हो चुका है, जिसमें से अब तक कुल ७ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं, इनमें से ४ उपभोक्ताओं को बिजली दे दी गई है और शेष ३ उपभोक्ताओं को उनके समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर बिजली दे दी जायगा। जमानत का पैसा इन उपभोक्ताओं से प्राप्त हो चुका है।

लेहडा—इस कस्बे से अब तक ६ आवेदन-पत्र बिजली के लिये प्राप्त हुये हैं जिनमें से ५ व्यक्तियों को बिजली दे दी गई है। शेष १ उपभोक्ता, जिसका कनेक्शन जनवरी, १९६५ में स्वीकृत हुआ था, को समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर बिजली दे दी जायगी। जमानत का पैसा उपभोक्ता ने जमा कर दिया है।

आनन्दनगर—इस कस्बे में अब तक १२८ कनेक्शन दिये जा चुके हैं। ४ अन्य उपभोक्ताओं के प्रार्थना-पत्र जुलाई, १९६५ में प्राप्त हुये हैं और इनके अनुमान तैयार हो जाने के पश्चात् इनसे जमानत का पैसा लिया जायगा और कनेक्शन देने की अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२० पर)

सूची "अ" जिला गाजीपुर

१—मरदह
२—पारा
३—रामपुर
४—बाधुपुर
५—गोसपुर
६—बासुदेवपुर
७—बालापुर
८—कुंडेसर
९—बीरपुर
१०—गंगोली
११—सिंगोरा
१२—भटसंड
१३—गोविंदपुर कीरत
१४—बिरनो
१५—धामपुर
१६—बरार
१७—अलवलपुर अफगान
१८—पुखनपुरा
१९—दुल्लहपुर
२०—जलालाबाद
२१—देबा
२२—आदिलाबाद
२३—सौना
२४—मौधा
२५—नेकडीह
२६—ऊवौरी
२७—दौलताबाद
२८—सिखारी
२९—नोनहरा
३०—जंगीपुर
३१—सुल्तानपुर
३२—अलीपुर मनरा
३३—नन्दगंज
३४—हुसैनपुर
३५—छावनी लाइन
३६—शेखपुर
३७—देवेचंद्रपुर
३८—भिटारी तरफ सुदूर
३९—भिटारी तरफ हेटामा
४०—मलिकपुरा
४१—गैन
४२—लावा
४३—टिरची
४४—देवकली
४५—बौरी

सूची "ब" जिला गाजीपुर

१—सुलहपुर
२—अंधाम
३—अलीपुरा मौरा
४—बरहट
५—भडीला
६—भाजा खुर्द
७—भीमापुर
८—दौलतपुर
९—दाहरमऊ
१०—दौलतनगर
११—गौरी
१२—गांदाईपुर
१३—पथौरा
१४—जगदीशपुर
१५—औरलई
१६—पदमपुर
१७—बारा
१८—भागीरथपुर
१९—उसेन
२०—सराय गोकुल
२१—सौरी
२२—मजूई
२३—ढोरा
२४—उकरांव
२५—गौरा
२६—संबास
२७—मिर्जापुर
२८—बड़ागांव
२९—चकफरीद
३०—कटयां

३१--डहर मोआ
३२--पलिवार
३३--बेगना
३४--पुर उपरोसर
३५--जमनिया टी० ए०
३६--गहमर टी० ए०
३७--रेवतीपुर
३८--हिलदार नगर
३९--सुबवल
४०--नौली
४१--उतरौल
४२--मनिथा
४३--तबो मुस बकम
४४--घरबो
४५--सबलपुर कलां
४६--म लसा
४७--तेजपुर मांका
४८--बवारी
४९--नानवरा
५०--राजपुर
५१--त जपुर
५२--म हेन्द्र वक खाँ
५३--सु त्रदेसरा
५४--खानपुर
५५--रस दत
५६--यूसुफपुर
५७--सराय
५८--सुसेंडी
५९--नेवादा
६०--खालिसपुर बहारा
६१--औरिहार कलां
६२--भमनौली कलां
६३--विक्रमपुर
६४--गोपालपुर (गजाधरपुर में)
६५--रावलपुर (सईदपुर में)
६६--सईदाबाद
६७--जेबपुर
६८--धरनी पट्ठी
६९--त री घट
७०--मेदनीपुर
७१--डेडगनवां
७२--बारुनी
७३--कमसारी
७४--रामपुर
७५--गन
७६--चन्दीपुर

विकास उदय पदेश्वर सेवा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२५ पर)

सूची जिला खीरी

१--लखीमपुर
२--महानदी
३--गोला गोकरननाथ
४--खीरी
५--ओयल
६--मेलानी
७--घोटिया बाग
८--बरवर
९--बांकेगंज
१०--मेगल गंज
११--बेहजन टाउन
१२--औरंगाबाद
१३--नीमगांव
१४--कुकरा
१५--सिसोरा नासिर
१६--राजेपुर
१७--दिलावरपुर
१८--अमीरनगर
१९--धमोला
२०--भोगियापुर
२१--हैदराबाद
२२--सेहजना
२३--सहायपुर राजा
२४--अलीगंज
२५--सिसांवा
२६--छोला हरी
२७--सिसरा शहमत
२८--पासगांव
२९--कटवारा
३०--मेलानी गांव
३१--गढ़ी मिदनिया
३२--उदयपुर
३३--मेहवगंज
३४--कुंभी
३५--धकोरा
३६--क्रेमहरा
३७--ऊंचोलिया
३८--कलिया मोती
३९--ममेरी
४०--मुआगरा घोसियाना
४१--मोनापुर
४२--बोधी खुर्द
४३--गलरई
४४--मुदागालिब
४५--बगरूस्थी
४६--गुलोली
४७--भूरा वादा
४८--जलालपुर
४९--बेलवा
५०--धरथनिया
५१--मेहान
५२--खजहनपुर
५३--भूलनपुर
५४--रसूलपुर
५५--रायपुर
५६--सिकन्दराबाद

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२६ पर)

फिएट कार पाने वालों के नाम जिनको १–८–६४ से १–८–६५ तक परमिट

१—श्री के० सी० टंडन, जिला परिषद्, फर्रुखाबाद ।

२—श्री चर्तुभुज शर्मा, मंत्री,

३—श्री राधाकृष्ण, चेयरमैन, पी०एस० सी० ।

४—श्री एस० मसूदुल हसन, संयुक्त सचिव,

५—डा० ओ० पी० टंडन, के० जी० एम० कालेज ।

६—श्री हुकुमसिंह, मंत्री,

७—श्रीमती साधना मेहरोत्रा, लखनऊ,

८—श्री मानसिंह, शुगरकेन इंस्पेक्टर,

९—बेगम ऐजाज रसूल, सदस्या,

१०—श्री जे० के० टंडन, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल ।

११—कुंवर अशरफ अली खाँन, एम० एल० ए० ।

१२—श्री के० सी० पुरी, सचिव,

१३—श्री बी० मुकर्जी (रिटायर्ड जज),

१४—श्री श्रीराम, एडवोकेट, इलाहाबाद,

१५—श्री भानुप्रतापसिंह, एम० एल० ए० ।

१६—श्री जी० मुकर्जी,

१७—श्री उमा शंकर, सचिव,

१८—श्री प्रेमप्रकाश, डी० एल० आर०,

१९—डा० एम० यू० खान, सुपरिटेंडेंट, मेडिकल कालेज ।

२०—श्री जी० एस० एल० श्रीवास्तव, डिस्ट्रिक्ट व सेसन्स जज, ।

२१—श्री आर० पी० भार्गव, मेम्बर, बोर्ड आफ रेवेन्यु ।

२२—श्रीमती रानी टंडन, एम० एल० सी०,

२३—श्री पी० के० कौल, सचिव,

२४—श्री ए० बी० मलिक, डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज,

२५—श्री पी० एन० कपूर, सेटिलमेंट कमिश्नर ।

२६—श्री एच० ए० सिद्दीकी, मेंबर, पी० एस० सी० ।

२७—श्री एस० वेन्कटारमानी, उप सचिव ।

२८—डा० ए० एच० खान, सी० एस०, इलाहाबाद ।

२९—श्री जियाराम, डाइरेक्टर, बिजिलेंस,

३०—श्री आर० के० कौल, उप-सचिव,

३१—श्री सुरेन्द्र विक्रम, एम० एल० ए०,

३२—प्रो० आर० बी० दास, इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,

३३—श्री आनन्द स्वरूप, पी० आर० ए० आई० ।

३४—श्री मिठन लाल, प्रिसाइडिंग आफिसर इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल, इलाहाबाद,

३५—श्रीमती बी० लाल, द्वारा श्री एम० लाल, आई० सी० एस० ।

३६—श्रीमती चंपावती, एम० एल० ए०,

३७—श्री महेश प्रसाद, जिलाधीश,

३८—श्री जे० एम० लाल, ज्वाइंट एल० आर० ।

३९—श्री बी० एस० सठ, टी० सी०,

४०—श्री प्रेम मोहन, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, (द्वारा श्री कैलाश प्रकाश)

४१—श्री अश्वनी कुमार, सेक्रेटरी आर० एण्ड आर० ।

४२—श्री हीरालाल, गाजियाबाद ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२८ पर)

EXTRACT FROM MUNSIF, AMBARPUR'S JUDGMENT DATED JANUARY 18, 1965 IN CIVIL SUIT NO. 181 OF 1964-SRI JAINULAB DIN VERSUS UNION OF INDIA STATE OF U. P., AND OTHERS

The defendants. although have claimed the plaintiff to be citizen of Pakistan but they have not cared to produce the visa form filled in by the plaintiff, copy of passport, copy of judgment of writ petition no. 205 of 1961 nor any other documents to disprove the case of the plaintiff although it was necessary to do so. This reflects upon the *inefficiency* and not conducting the state case by Sub District Government Connsel. I find that he even did not apply to file the above documents nor did he try to cross-examine the P. Ws and to argue the case on the dates fixed.

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी च

(देखिये पीछे पृष्ठ७ ३५ पर)

उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट्स ऐड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५

यू० पी० एन्टरटेनमेंट ऐण्ड बैटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ का आगे दिये हुए प्रयोजनों के निमित्त और संशोधन करने के लिए। यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष म निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एन्टरटेंटमेंट्स ऐण्ड बैंडिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७ का संशोधन।

२—यू० पी० एन्टरटेनमेंट्स ऐण्ड बैटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१) किसी आमोद के सभी प्रवेश शुल्कों पर एक कर (जिसे आगे आमोद कर कहा गया है) ऐसी दर से लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा, जो प्रवेश शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगी और जिसे राज्य सरकार समय-समय पर तदर्थ विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करेगी, और वह कर मालिक द्वारा वसूल किया जायगा और उसका भुगतान सरकार को नियत रीति से किया जायगा।"

उद्देश्य और कारण

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से, अन्य बातों के अतिरिक्त आमोद कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, यू०पी० एन्टरटेनमेंट्स ऐण्ड बैटिंग टक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ में संशोधन करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

मूल अधिनियम की उस धारा का विवरण जिसका संशोधन होना है

Tax on payment for admission to entertainment.

"3. (1) There shall be levied and paid to Government on all payments for admission to any entertainment, a tax (hereinafter referred to as entertainment tax) at a rate, not exceeding 60 per cent of the payment for admission as the Government may from time to time specify by a notification in this behalf, and the tax shall be collected by the propietor and paid to the Government in the manner prescribed."

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७४१ पर)

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रपतियों द्वारा देय या देय समझी जाने वाली मालगुजारी या लगान पर अधिभार के उद्ग्रहण की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(१) "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध के स्थायी पट्टेदार, स्थायी खातेदार, अपनी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो खायकर के अधिकार में न हो (परगना अस्कोट में हिस्सेदार से भिन्न) हिस्सेदार, परगना अस्कोट में अपनी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो गुजारेदार या खायकर के अधिकार में न हो हिस्सेदार, या परगना अस्कोट में गुजारेदार है;

(२) "खायकर" का वही अर्थ होगा जो कुमायूं तथा उत्तराखण्ड डिवीजनों में प्रयोज्य भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विद्यमान विधि में उक्त पद के लिए दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत मौरूसीदार या हलबन्दी माफीदार नहीं है;

(३) "भूमि" का तात्पर्य अकृष्ट भूमि सहित ऐसी भूमि से है जिसके सम्बन्ध में मालगुजारी या लगान निर्धारित किया गया हो अथवा दिया जाता हो या निर्धारित किया जा सकता हो या देय हो सकता हो, और जो कृषि, उद्यानकरण, पशु पालन, मत्स्य संवर्धन या कुक्कुट पालन से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए किसी की धृति या अध्यासन में हो;

(४) "क्षेत्रपति" का तात्पर्य—

(१) भूमिधर या सीरदार से,

(२) मध्यवर्ती से, यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो या सीर या खुदकाश्त या बाग के रूप में उसके द्वारा धृत हो, या

(३) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसकी धृति या अध्यासन में भूमि-

(क) आसामी,

(ख) शिकमी काश्तकार,

(ग) सीर के काश्तकार, या

(घ) सीरतान,

से भिन्न रूप में हो;

(५) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियत से है;

(६) "आपात की उद्घोषणा" का तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद ३५२ के खण्ड (१) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा २६ अक्तूबर, १९६२ को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा से है;

(७) "लगान" का वही अर्थ होगा जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में पद "rent" का दिया गया है, सिवाय खायकर के विषय में जहां उसका तात्पर्य उसके द्वारा देय मालगुजारी तथा मालिकाना से है; यू० पी० ऐक्ट, संख्या १७, १९३९

(८) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(९) "परगना अधिकारी" का तात्पर्य उस परगने के परगना अधिकारी से है जिसमें भूमि स्थित हो;

(१०) "तहसीलदार" का तात्पर्य उस तहसील के तहसीलदार से है जिसमें भूमि स्थित हो;

(११) पद "हिस्सेदार" और "सीरतान" के वही अर्थ होंगे जो कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६० में उनके लिए दिए गए हों; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७, १९६०

(१२) पद "बाग", खुदकाश्त", "अवध के स्थायी पट्टेदार", "स्थायी खातेदार", "सीर," और "ठेकेदार" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में क्रमशः "Grove", "Khudkasht", "Permanent lessee in oudh", "permanent tenure holder", "Sir" और "thekedar" के लिए दिए गए हो;

(१३) पद "अदना मालिक" तथा "मातहतदार" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में क्रमशः "sub-proprietor" तथा "under proprietor" के दिए गए हों; और यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

(१४) पद "कृषि वर्ष", "भूमिधर", "सीरदार", "असामी" और "स्वामी" के वही अर्थ होंगे जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम" में दिए गए हों। १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

अधिकार का उद्ग्रहण

३—(१) पहली जुलाई, १९६५ से प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के लिए और प्रत्येक ऐसे अनुवर्ती कृषि वर्ष के लिए जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रभावी रहे—

(क) भूमिधर या सीरदार के विषय में उसके द्वारा देय मालगुजारी पर;

(ख) मध्यवर्ती के विषय में, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो उसकी निजी जोत में हो या बाग या सीर या खुदकाश्त के रूप में उसके द्वारा धृत हो, उसके द्वारा देय या देय समझी जाने वाली मालगुजारी पर; और

(ग) किसी अन्य क्षेत्रपति के विषय में, उसके द्वारा देय या देय समझे जाने वाले लगान पर,

उस मालगुजारी या लगान के एक तिहाई की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जायगा और दिया जायगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अधिभार निम्नलिखित द्वारा देय नहीं होगा :—

(१) ऐसे क्षेत्रपति द्वारा जो देश की प्रतिरक्षा में लगे रहते हुए चीनी या पाकिस्तानी आक्रमण द्वारा आरोपित युद्ध के फलस्वरूप स्थायी रूप से अशक्त हो गया हो; या

(२) ऐसे क्षेत्रपति के, जो उक्त युद्ध में मारा गया हो, के दायादों द्वारा; या

(३) ऐसे अन्य क्षेत्रपति द्वारा जो ऐसी युद्ध सेवा में लगा हो अथवा लगा रहा हो जो नियत की जाय।

(२) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए देय समझी जाने वाली मालगुजारी या लगान की गणना नियत रीति से की जाएगी।

क्षेत्र पतिद्वारा देय मालगुजारी पर अधिभार की वसूली की रीति

४—क्षेत्रपति द्वारा देय मालगुजारी पर अधिभार की धनराशि का भुगतान मालगुजारी के रूप में किया जायेगा और उसे मालगुजारी की प्रत्येक किस्त में उसी अनुपात में जोड़ दिया जायगा जो अनुपात उस किस्त का कृषि वर्ष की कुल मालगुजारी से हो।

अन्य मामलों में अधिभार के अवधारण तथा वसूली की रीति

५—(१) देय या देय समझे जाने वाले लगान पर अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी पर अधिभार की धनराशि का अवधारण तहसीलदार द्वारा प्रत्येक कृषि वर्ष में ऐसी जांच (यदि कोई हो) करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, किया जाएगा और उसका भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा।

(२) प्रत्येक किस्त की मांग के नोटिस की तामील क्षेत्रपति पर तहसीलदार द्वारा या उसके प्राधिकार से प्रत्येक कृषि वर्ष में, यथासम्भव, नवम्बर और मई के अन्त तक की जाएगी।

(३) क्षेत्रपति, उपधारा (२) के अधीन नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है और ऐसी आपत्तियों पर तहसीलदार का आदेश अपील, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और उस पर किसी दीवानी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

(४) तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अपील, आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर परगना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, जो उस पर ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(५) मांग के नोटिस के अधीन देय धनराशि का भुगतान उसकी प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, और उपधारा (३) के अधीन आपत्ति प्रस्तुत किए जाने की दशा में, यथास्थिति उस पर तहसीलदार के आदेश के या अपील पर दिए गए आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर किया जायेगा।

(६) देय या देय समझे जाने वाले लगान पर अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी पर अधिभार, यदि उसका भुगतान निश्चित दिनांक तक न कर दिया जाये, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

६--राज्य सरकार, कोई ऐसी कृषि आपदा आ पड़ने पर जिसका फसलों पर प्रभाव पड़ा हो, किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसकी फसल उस आपदा से प्रभावित हुई हो, देय सम्पूर्ण अधिभार की या उसके किसी भाग की ऐसी रीति से छूट दे सकती है या उसकी वसूली स्थगित कर सकती है, जो नियत की जाय। कृषि आपदा के कारण अधिभार की छूट और उसका स्थगन

७--मालगुजारी या लगान पर अधिभार उस भूमि पर प्रभार होगा जिससे उक्त मालगुजारी या लगान सम्बद्ध हो। अधिभार भूमि पर प्रभार होगा

८--इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे, भले ही किसी अन्य विधि या संविदा या अनुदान में कोई बात उनसे असंगत हो। अधिनियम अन्य विधियों आदि पर अभिभावी होगा

९--(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार

(२) स अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या भिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उद्देश्य और कारण

वर्तमान राष्ट्रीय आपात के समय बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित वित्तीय साधन बढ़ाने के उद्देश्य से यह आवश्यक तथा इष्टकर समझा गया है कि इस राज्य का प्रत्येक क्षेत्रपति उक्त प्रयोजन के लिए अपना अंशदान दे। तद्नुसार, यह विधेयक मालगुजारी या लगान पर अधिभार लगाने की व्यवस्था करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

हुकुमसिंह विश्वेन,
राजस्व मन्त्री।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ के संबंध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

विधेयक के खण्ड ३ के अधिनियमित हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार को जो आय होगी और राज्य की संचित निधि से जो व्यय होगा वह मोटे तौर से निम्न प्रकार है :

आय	६.५ करोड़ रु०
व्यय—	
(१) वसूली का अतिरिक्त व्यय ५ प्रतिशत की दर से	३२.५ लाख रु०
(२) अधिष्ठान और लेखन-सामग्री के लिए ..	१.५ लाख रु०
योग ..	३४.०० लाख रु०
शुद्ध आय	६.१६ करोड़ रु०

हुकुम सिंह विश्वेन,
राजस्व मन्त्री।

ज्ञापन-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ के ऐसे उपबन्धों को स्पष्ट किया गया है, जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनाएं अन्तर्ग्रस्त हैं।

विधेयक के उन खण्डों का उल्लेख नीचे दिया गया है जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें तथा उनकी कार्य परिधि दी गयी है :—

क्रम-संख्या	खंड	उप-खण्ड	विधायन अधिकार
१	२	३	४
१	३	(१)	राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रपतियों को नियत करने का अधिकार देता है जो ऐसी युद्ध सेवाओं में लगे हों, जो अधिभार के भुगतान से विमुक्त होंगे।
२	३	(२)	राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए देय समझी जाने वाली मालगुजारी या लगान निकाला जायगा।
३	६	..	राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार किसी कृषि आपदा के आ पड़ने पर अधिभार या उसके भाग की छूट दी जाये या उसे स्थगित कर दिया जाय।
४	९	..	राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाएं।

ये सब प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं।

हुकुम सिंह विश्वेन,
राजस्व मन्त्री।

संसदीय प्रलेख

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७४२ पर)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ में आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) यह १ अक्तूबर, १९६५ से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९६२ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में—

(क) खण्ड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९६२

"(२-क) 'कारोबार का भूगृहादि' का तात्पर्य किसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग से है जो उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ की धारा २ के खण्ड (४) या खण्ड (१६) में यथा परिभाषित वाणिज्य अधिष्ठान या दुकान हो अथवा जिसका उपयोग कारोबार के सामान्य क्रम में किसी निर्माण प्रक्रिया करने या उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए किया जाता हो;"

(ख) खण्ड (११) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(११क) 'निर्माण प्रक्रिया' का तात्पर्य किसी ऐसी प्रक्रिया से है जो—

(१) किसी पदार्थ या वस्तु का उपयोग, बिक्री, परिवहन, संप्रदान या निस्तारण करने के उद्देश्य से उसे बनाने, उसमें परिवर्तन करने, उसकी मरम्मत करने, उसे विभूषित करने, अन्तिम रूप देने, संवेष्टन (पैक) करने, उसमें तेल देने, उसे धोने, साफ करने, तोड़ने, गिराने अन्य प्रकार से उस पर कोई कार्यवाही करने अथवा उसे अनुकूल बनाने; या

(२) पम्प द्वारा तेल, पानी या मल प्रवाह निकालने; या,

(३) विद्युत् शक्ति पैदा करने, उसका रूपान्तर करने या उसे पारेषित करने; या

(४) मुद्रण के लिए कम्पोज करने, प्रतिलिपि यन्त्र (लेटर प्रेस) द्वारा मुद्रण करने, शिलामुद्रण करने (धातु पत्र पर), आलोक चित्रण करने या उसी प्रकार की अन्य प्रक्रिया करने अथवा जिल्दसाजी करने के लिए हो।"

धारा ३ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ३ में--

(क) उपधारा (१) में शब्द "कर ऐसी दर से लिया जाएगा, लगाया जाएगा, और उसका भुगतान किया जाएगा जो उक्त भूमि या भवन के कर मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न हो, और जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ घोषित करे" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्--

"कर ऐसी दर या दरों से लिया जायगा, लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा जो उक्त भूमि या भवन के कर-मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो, और जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ घोषित करे, और विभिन्न वर्ग की भूमियों और भवनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित के अनुसार विभिन्न दरें घोषित की जा सकती हैं:

(१) वे कारोबार के भूमि-गृहादि हैं अथवा नहीं; या

(२) उन पर यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ड इक्विशन ऐक्ट, १९४७ लागू होता है अथवा नहीं।"

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७

(ख) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"(४) उपधारा (१) के अधीन कोई घोषणा अथवा उसमें कोई परिष्कार इस प्रकार किया जा सकता है कि वह १ अक्तूबर, १९६५ से पूर्व के किसी दिनांक को भूतलक्षी न हो।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९६२) १ जुलाई, १९६२ से प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम के अधीन दुकानों, वाणिज्य अधिष्ठानों और फैक्ट्रियों के लिए प्रयुक्त भवनों तथा उन भूमियों या भवनों के सम्बन्ध में, जिनका इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जाता है अथवा रेन्ट कन्ट्रोल के अधीन भवनों तथा अन्य भूमियों और भवनों के सम्बन्ध में कर की विभिन्न दरें निश्चित करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। ऐसा विचार किया जाता है कि अन्य भवनों की अपेक्षा कारोबार के भू-गृहादि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले भवनों के लिए तथा इसी प्रकार यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७) के अधीन भवनों के लिए ऊंची दर निश्चित करने का अधिकार होना चाहिए। यह भी आवश्यक समझा गया है कि कर की अधिकतम दर को बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर दिया जाय। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है। तद्नुसार, यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मन्त्री।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९६२) की धारा ३

भूमियों और भवनों अथवा दोनों पर कर का लगाया जाना

३—(१) नागर क्षेत्र में स्थित भूमियों या भवनों अथवा दोनों पर प्रत्येक वर्ष के लिए कर ऐसी दर से लिया जायगा, लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा जो उक्त भूमि या भवन के कर-मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न हो, और जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ घोषित करे:

प्रतिबन्ध यह है कि उस भूमि के सम्बन्ध में कर, जो भवन से अनुलग्न हो, जहां तक उस (भूमि) का क्षेत्र फल एक एकड़ से अधिक न हो, उक्त भवन के सम्बन्ध में देय कर में सम्मिलित समझा जायगा और केवल एक एकड़ क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूमि पर कर पृथक् रूप से लगाया जा सकेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि पहले वर्ष में, जिसमें कर निर्धारित किया जाए देय कर का सम्पूर्ण वर्ष के लिए देय कुल कर से वही अनुपात होगा जो (अनुपात) उन दिनों की संख्या का जिनमें यह अधिनियम उस वर्ष में प्रचलित रहे, संख्या ३६५ से हो।

(२) कर ऐसे दिनांकों को देय हुआ करेगा जो नियत किए जायं और यथास्थिति, भूमि या भवन के स्वामी द्वारा राज्य सरकार को देय होगा।

(३) यह कर भूमि या भवन अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में तत्समय देय किसी अन्य कर के अतिरिक्त होगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७४२ पर)

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और सेवायोजनों पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, और प्रसार।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं।

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(१) "अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाय ;

(२) "कर निर्धारण प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाय;

(३) "धर्मार्थ प्रयोजन" के अन्तर्गत निर्धनों को सहायता देना, शिक्षा, चिकित्सा सहायता देना और सामान्य जनोपयोगी किसी ऐसे अन्य उद्देश्य को बढ़ाना है, जिसमें लाभ के लिए कोई कार्य करना नहीं है ;

(४) "कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ में यथा परिभाषित कम्पनी से है ; ऐक्ट संख्या १, १९५६।

(५) "सहकारी समिति" का तात्पर्य सहकारी समितियों के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित किसी विधि में यथा परिभाषित सहकारी समिति से है ;

(६) "व्यक्ति" के अन्तर्गत अविभाजित हिन्दू परिवार, कम्पनी, निगमित निकाय, फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ भी है;

(७) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(८) "पूर्व वर्ष" का तात्पर्य उस वर्ष के जिसके लिए कर निर्धारित किया जाना हो, ठीक पहले के ३१ मार्च को समाप्त होने वाले बारह महीनों से है ;

(९) सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन वाले निगम, कम्पनी अथवा सहकारी समिति के अधीन सेवायोजित व्यक्ति के अभिदेश में "मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य उस सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, निगम अथवा समिति के ऐसे अधिकारी से है जो नियत किया जाय;

(१०) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाय ;

(११) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(१२) "कुल सकल आय" का तात्पर्य राज्य के भीतर किसी व्यक्ति को कृषि से भिन्न किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका अथवा सेवायोजन से प्रोद्भूत या प्राप्त कुल आय से है और इसके अन्तर्गत वेतन के बदले में किसी परिलब्धि या लाभ का मूल्य भी है।

अध्याय २

कर का दायित्व

कर का दायित्व।

३—प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्व वर्ष या उसके किसी भाग के दौरान में, राज्य के भीतर, स्वयं अथवा किसी अभिकर्त्ता या प्रतिनिधि द्वारा व्यापार करता हो, या जो कृषि से भिन्न वृत्ति या आजीविका करता हो अथवा जो पूर्णतः या अंशतः सेवायोजित हो, इस अधिनियम क उपबन्धों के अधीन रहते हुए, १ अप्रैल, १९६६ से और उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस वृत्ति, व्यापार, आजीविका या सेवायोजन के सम्बन्ध में किसी ऐसे कर, स्थानीय कर, शुल्क या फीस के अतिरिक्त जिसका वह तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उस वृत्ति, व्यापार, आजीविका या सेवायोजन के सम्बन्ध में देनदार हो, कर का भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण—ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो छुट्टी पर हो इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वह उस क्षेत्र के भीतर, जिसमें वह अपनी छुट्टी प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सेवायोजित था, सेवायोजित है।

पूर्व वर्ष की आय के आधार पर कर का अवधारण।

४—इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा देय कर का अवधारण उसकी पूर्व वर्ष की कुल सकल आय के आधार पर किया जायगा।

कर की दरें।

५—(१) कर अनुसूची में उल्लिखित दरों से लगाया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि १ अप्रैल, १९६६ से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कर उक्त अनुसूची में उल्लिखित दरों के आधे पर लगाया जायगा।

कर की सीमा।

(२) किसी व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए इस प्रकार देय कर दो सौ पचास रुपये से अधिक न होगा।

(३) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जिसकी पूर्व वर्ष में कुल सकल आय तीन हजार पांच सौ रुपये से अधिक न हो।

(४) भारत के सशस्त्र सेना के किसी सदस्य द्वारा कर देय न होगा।

(५) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जिसकी पूर्व वर्ष में कुल सकल आय धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए उपयोग की गयी हो।

अध्याय ३

कर-निर्धारण और स्रोत पर कटौती

कर प्राधिकारी

६—कर निर्धारण प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उन्हें दिये जायें या उन पर आरोपित किये जायें।

विवरणियां

७—प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में १ अप्रैल से चार मास के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे ब्योरों के साथ जो नियत किये जायें, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी पूर्व वर्ष की कुल सकल आय दी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण प्राधिकारी पर्याप्त कारण से विवरणी प्रस्तुत करने के दिनांक को बढ़ा सकता है ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि उस व्यक्ति को जिसने धारा ५ की उपधारा (२) में उल्लिखित कर की अधिकतम धनराशि का भुगतान स्रोत पर ही कर दिया हो या उसे नियत रीति से सरकारी खजाने में जमा कर दिया हो, उस वर्ष के लिए जिसके लिए कर का इस प्रकार भुगतान किया गया हो या वह इस प्रकार जमा किया गया हो, कोई विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा न की जायगी।

कर निर्धारण

८—(१) यदि कर निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि धारा ७ के अधीन प्रस्तुत विवरणी शुद्ध और पूर्ण है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, उस व्यक्ति का कर-निर्धारण करेगा और उसके द्वारा देय कर का अवधारण उस विवरणी के आधार पर करेगा।

(२) यदि कर निर्धारण प्राधिकारी का इस बात का समाधान न हो कि धारा ७ के अधीन प्रस्तुत विवरणी शुद्ध और पूर्ण है तो वह सम्बद्ध व्यक्ति पर नियत प्रपत्र में एक नोटिस तामील करेगा जिसमें उससे नोटिस में उल्लिखित दिनांक को और समय तथा स्थान पर या तो स्वयं उपस्थित होने या विवरणी के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत कराने की अपेक्षा की जायगी।

(३) उपधारा (२) के अधीन नोटिस में उल्लिखित दिनांक को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र ,कर निर्धारण प्राधिकारी, ऐसा साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाय, और ऐसा अन्य साक्ष्य जिस के प्रस्तुत किये जाने की वह अपेक्षा करे, लेने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति का कर निर्धारण करेगा और उसके द्वारा देय कर का अवधारण करेगा।

(४) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ द्वारा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत न करे या विवरणी प्रस्तुत करने के बाद उपधारा (२) के अधीन जारी किये गये नोटिस की अपेक्षाओं की पूर्ति न करे तो कर निर्धारण प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उस व्यक्ति का कर-निर्धारण करेगा और उसके द्वारा देय कर का अवधारण करेगा।

स्रोत पर कर की कटौती

९—(१) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर जो किसी सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्राणाधीन वाले निगम, कम्पनी अथवा सहकारी समिति के सेवायोजन में हो, मुख्य अधिकारी द्वारा नियत रीति से उस सेवायोजन के सम्बन्ध में उस व्यक्ति को देय वेतन, भत्ते, कमीशन या किसी अन्य पारिश्रमिक से काट लिया जायगा।

मुख्य अधिकारी द्वारा विवरणी

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई कटौती करने वाला मुख्य अधिकारी करदाता को उसकी नियत प्रपत्र में रसीद देगा और कर निर्धारण प्राधिकारी को, ऐसे समय के भीतर और ऐसे ब्योरे देते हुए, ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो नियत की जावें।

मुख्य अधिकारी द्वारा कर खजाने में जमा किया जाना

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी कर की कटौती करने वाला मुख्य अधिकारी उस कटौती के तीस दिन के भीतर उस धनराशि को सरकारी खजाने में नियत रीति से जमा कर देगा और उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों के साथ इस प्रकार जमा करने के साक्ष्य स्वरूप उस खजाने की एक रसीद भी प्रस्तुत करेगा।

मुख्य अधिकारी द्वारा अधियाचन पर किसी कर या शास्ति की कटौती किया जाना

१०—(१) कर निर्धारण प्राधिकारी मुख्य अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह किसी व्यक्ति को उस के सेवायोजन के सम्बन्ध में देय वेतन, भत्ते, कमीशन या किसी अन्य पारिश्रमिक में से कोई कर या शास्ति, जो इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति द्वारा देय हो, काटे और मुख्य अधिकारी उस अधियाचन का पालन करेगा।

खजाने में जमा किया जाना।

(२) उपधारा (१) के अधीन काटे गये कर या शास्ति को मुख्य अधिकारी कटौती करने के तीस दिन के भीतर सरकारी खजाने में जमा कर देगा और उसे इस प्रकार जमा करने के साक्ष्य स्वरूप एक रसीद कर निर्धारण प्राधिकारी को भेजेगा।

मुख्य अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व

११—यदि कोई मुख्य अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अपेक्षा के अनुसार जानबूझ कर किसी कर की कटौती न करे या कटौती करने के पश्चात् उसको जान बूझ कर जमा न करे तो उसे इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन उसके द्वारा उपागत किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कटौती या जमा न किये गये कर के सम्बन्ध में बाकीदार समझा जायगा।

अध्याय ४

मांग, भुगतान और वसूली

कर का भुगतान

१२—(१) इस अधिनियम के अधीन देय कर या शास्ति का भुगतान नियत रीति से किया जायगा।

(२) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा ७ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने का दायित्व हो, विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व, उस के आधार पर देय कर की पूरी धनराशि सरकारी खजाने में जमा कर देगा और विवरणी के साथ उस भुगतान के साक्ष्य स्वरूप उस खजाने की नियत प्रपत्र में एक रसीद भी प्रस्तुत करेगा, सिवाय उस दशा में जब उस व्यक्ति द्वारा देय कर मुख्य अधिकारी द्वारा स्रोत पर ही काट लिया गया हो और वह व्यक्ति इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर दे।

मांग की नोटिस

१३—(१) यदि कोई कर या शास्ति इस अधिनियम के अधीन या इस के अनुसरण में दिये गये किसी आदेश के परिणाम-स्वरूप देय हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों पर नियत प्रपत्र में मांग का नोटिस तामील करेगा जिस में इस प्रकार देय धनराशि निर्दिष्ट होगी।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित मांग के नोटिस में निर्दिष्ट कर या शास्ति की धनराशि का भुगतान उस दिनांक तक किया जायेगा जो मांग के नोटिस में निर्दिष्ट हो और, यदि कोई ऐसा दिनांक निर्दिष्ट न हो तो उस धनराशि का भुगतान मांग का नोटिस तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर किया जायगा। भुगतान करने का समय

(३) यदि उक्त कर या शास्ति का भुगतान उक्त दिनांक को या उसके पूर्व न किया जाय तो देनदार व्यक्ति बाकीदार समझा जायगा। बाकीदार

(४) यदि कोई व्यक्ति बाकीदार हो और धारा १० के अधीन कार्यवाही न कर ली गयी हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी आदेश देगा कि देय धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी। मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली

१४--यदि कोई व्यक्ति बाकीदार हो, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, स्वमति से आदेश दे सकता है कि देय कर के अतिरिक्त कर के आधे से अनधिक धनराशि बाकीदार से शास्ति के रूप में वसूल की जायगी : शास्ति

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य अधिकारी पर, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अपेक्षा के अनुसार कटौतियां न करने या काटी गयी धनराशि जमा न करने पर कोई शास्ति आरोपित नहीं की जा सकेगी।

अध्याय ५

अपील और पुनरीक्षण

१५--(१) इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति उस आदेश के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को नियत रीति से अपील कर सकता है : अपील

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण था तो वह उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीस और दिन की अवधि के भीतर अपील ग्रहण कर सकता है ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई अपील तब तक ग्रहण न की जायगी जब तक कि उस के साथ निर्धारित कर के आधे तक का या कर की निर्विवाद धनराशि का, जो भी अधिक हो, भुगतान कर दिये जाने का सन्तोषजनक प्रमाण न हो।

(२) अपीलीय प्राधिकारी अपील पर ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे और उस आदेश की एक-एक प्रतिलिपि अपीलार्थी तथा कर निर्धारण प्राधिकारी को भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कर में तब तक कोई वृद्धि न की जा सकेगी जब तक कि करदाता को उस वृद्धि के विरुद्ध कारण प्रकट करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

१६--(१) पुनरीक्षण प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी या कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, स्वतः अथवा क्षुब्ध व्यक्ति या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृपत अधिकारी पुनरीक्षण

द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस मामले के अभिलेख को मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती हो किन्तु वह प्रस्तुत न की गयी हो, कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा।

(२) जिस आदेश के विरुद्ध शिकायत हो उसकी जानकारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर तीस और दिन की अवधि के भीतर प्रार्थना-पत्र ग्रहण कर सकता है।

(३) पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई ऐसा आदेश न देगा जिसका उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

स्पष्टीकरण---पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र को स्वीकार न करने का आदेश ऐसा आदेश नहीं समझा जायगा जिससे प्रार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

अध्याय ६

धनराशि का लौटाया जाना

धनराशि का लौटाया जाना

१७---यदि इस अधिनियम के अधीन देय धनराशि से अधिक कोई कर या शास्ति किसी व्यक्ति से वसूल की गयी हो या उसके द्वारा दी गयी हो, तो कर निर्धारण प्राधिकारी स्वतः अथवा, यथास्थिति, कर निर्धारण आदेश के तामील होने या अपील अथवा पुनरीक्षण पर दिये गये आदेश के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर इस प्रकार अधिक वसूल की गयी या दी गयी धनराशि लौटाने का आदेश दे सकता है।

अध्याय ७

अपराध

मिथ्या विवरणी और कपटपूर्ण अपवंचन के लिए दण्ड

१८---यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक या जानबूझ कर मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करे या इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान का कपटपूर्ण रीति से अपवंचन करे या ऐसे कर के सम्बन्ध में अपने दायित्व को स्वेच्छापूर्वक छिपाये, तो दोष-सिद्ध होने पर उसे अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

अध्याय ८

विविध

छूट गयी आय का कर-निर्धारण

१९---यदि किसी कारण से, किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति का कर-निर्धारण न किया गया हो या उस पर कम कर निर्धारित किया गया हो, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, यहां पहले दी हुई किसी बात के होते हुए भी, उस वर्ष के, जिसके सम्बन्ध में कर निर्धारण हो, अगले तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय कर के देनदार

व्यक्ति पर ऐसे प्रपत्र में नोटिस तामील करेगा, जो नियत किया जाय और उसके सम्बन्ध में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण करने की कार्यवाही कर सकता है, और इस अधिनियम के उपबन्ध, यथासम्भव, तदनुसार लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कर उसी दर से लिया जायगा जिस दर से वह उस दशा में लिया गया होता जब उस व्यक्ति का, यथास्थिति, कर निर्धारण या सम्पूर्ण कर निर्धारण छूट न गया होता।

भूल-सुधार

२०—(१) कर निर्धारण प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, या पुनरीक्षण प्राधिकारी उस कर निर्धारण अथवा आदेश के दिनांक से, जिसमें सुधार अपेक्षित हो तीन वर्ष के भीतर किसी समय अभिलेख से ही स्पष्ट किसी भूल का सुधार स्वतः कर सकता है, और यदि तदर्थ कोई प्रार्थना-पत्र दिया जाय तो वह ऐसा सुधार अवश्य करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भूल सुधार जो करदाता के प्रतिकूल हो तब तक न किया जायगा, जब तक कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

(२) यदि निर्धारित कर में इस प्रकार की किसी भूल सुधार के परिणाम-स्वरूप कमी हो जाय तो कर निर्धारण प्राधिकारी यह आदेश देगा कि जो धनराशि उस व्यक्ति को देय हो, वह उसे लौटा दी जाय।

कोड आफ सिविल प्रोसीजर के अधीन अधिकार

२१—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे, जो किसी वाद का परीक्षण करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्—

संख्या ५, १९०८

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना ;

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और

(ग) ऐसे अन्तरिम आदेश देना जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक हों,

तथा इस अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९३ के अर्थों में, और उक्त संहिता की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिए भी, न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी।

मुख्य अधिकारी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगा।

२२—कर निर्धारण प्राधिकारी, किसी मुख्य अधिकारी से ऐसे किसी या सभी व्यक्तियों के, नाम और उनके पूरे पते मंगा सकता है जिनके अभिदेश में वह मुख्य अधिकारी है, और तब वह मुख्य अधिकारी कर निर्धारण प्राधिकारी को इस प्रकार मांगी गई सूचना देगा।

वादों या अन्य कार्यवाहियों के विरुद्ध संरक्षण

२३—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये गये किसी कर निर्धारण या दिये गये किसी आदेश को रद्द करने या उसे परिष्कृत करने के लिए कोई भी वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत न किया जायगा।

(२) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा दिये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के लिए किसी अधिकारी या किसी मुख्य अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने का अधिकार

२४—(१) राज्य सरकार, गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) वे व्यक्ति जो मुख्य अधिकारी समझे जायेंगे;

(ख) वह प्रपत्र जिसमें और वह रीति जिसके अनुसार कुल सकल आय की विवरणी प्रस्तुत की जायगी;

(ग) धारा ८ की उपधारा (२), धारा १३ या धारा १९ के अधीन करदाता पर तामील किये जाने वाले नोटिस का प्रपत्र ;

(घ) वह रीति जिसके अनुसार मुख्य अधिकारी स्रोत पर ही कर की कटौती करेगा और उसे खजाने में जमा करेगा ;

(ङ) वह प्रपत्र जिसमें और वह रीति जिसके अनुसार वह तथा समय जिसके भीतर मुख्य अधिकारी अपने द्वारा की गयी कटौतियों के सम्बन्ध में विवरणियां प्रस्तुत करेगा, तथा वह प्रपत्र जिसमें वह उक्त कटौतियों की रसीदें देगा ;

(च) अपीलों और पुनरीक्षणों की सुनवाई करने में अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(छ) वह प्रपत्र जिसमें और वह रीति जिसके अनुसार करदाता द्वारा कर या शास्ति जमा की जायगी और सरकारी खजाने द्वारा रसीदें जारी की जायेंगी ;

(ज) सभी अन्य विषय जिनका इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना अपेक्षित हो अथवा जो नियत किये जायें।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभियून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

अनुसूची

कर की दरें

[धारा ५ (१)]

यदि वार्षिक कुल सकल आय—	कर की धनराशि रुपये
(१) ३,५०० रुपये से अधिक हो किन्तु ४,००० रुपये से अधिक न हो ..	१२
(२) ४,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ५,००० रुपये से अधिक न हो ..	३६
(३) ५,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ६,००० रुपये से अधिक न हो ..	६०
(४) ६,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ७,००० रुपये से अधिक न हो ..	८४
(५) ७,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ८,००० रुपये से अधिक न हो ..	१०८
(६) ८,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ९,००० रुपये से अधिक न हो ..	१३२
(७) ९,००० रुपये से अधिक हो किन्तु १०,००० रुपये से अधिक न हो	१५६
(८) १०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ११,००० रुपये से अधिक न हो	१८६
(९) ११,००० रुपये से अधिक हो किन्तु १२,००० रुपये से अधिक न हो	२१६
(१०) १२,००० रुपये से अधिक हो	२५०

उद्देश्य और कारण

चूंकि राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का परिव्यय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के परिव्यय के दुगने से अधिक होने की सम्भावना है, इसलिए राजस्व के सभी साधनों की खोज करना आवश्यक हो गया है। देश पर पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न वर्तमान स्थिति ने राज्य के दायित्वों को और भी बढ़ा दिया है। तदनुसार, जनसमुदाय के व्यापक हित में यह आवश्यक समझा गया है कि राज्य में, वृत्तियों, व्यापारों, कृषि से भिन्न आजीविकाओं तथा सेवायोजनों पर कर लगाया जाय। फिर भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि अल्प आय वाले वर्गों पर कर-भार उचित सीमा के भीतर रहे।

तदनुसार, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कैलाश प्रकाश,
वित्त मंत्री।

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ के संबंध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ में निम्न-लिखित ऐसे उपबन्ध हैं जिन पर राज्य की संहत निधि से व्यय होगा :

खण्ड ६—खण्ड २ के उप-खण्ड (२) के साथ पठित इस खण्ड में, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गयी है।

खण्ड १५—खण्ड २ के उप-खण्ड (१) के साथ पठित इस खण्ड में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गयी है।

खण्ड १६—खण्ड २ के उप खण्ड (९) के साथ पठित इस खण्ड में, अपीलीय या कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण की सुनवाई करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गयी है।

यह प्रस्ताव है कि अधिनियम के अधीन कर निर्धारण और उसकी वसूली से सम्बद्ध कार्य तथा अपील और पुनरीक्षण का पूरा कार्य बिक्री-कर विधि से प्रशासन के लिए सेवायोजित वर्तमान तंत्र को, अथवा भारत सरकार के परामर्श से उसके कार्याधिकारियों को सौंपा जाय। राज्य कोष पर नया व्यय तभी होगा जब उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट के अधीन कर निर्धारण, अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों की वर्तमान संख्या में, इस कर विधि के सम्बन्ध में होने वाले अतिरिक्त कार्य के कारण वृद्धि करनी पड़े अथवा जब इस विधि के प्रशासन से सम्बद्ध कार्य किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपा जाय और वसूली के व्यय का भुगतान उक्त प्राधिकारी को करना पड़े। मालगुजारी की बकाया के रूप में, इस कर के बकाया की वसूली का काम मालगुजारी और अन्य राज्य देयों की वसूली के लिए संघटित वर्तमान तन्त्र को सौंपा जायगा। इस काम के लिए आवश्यक कर्मचारियों की वृद्धि करने के कारण ठीक ठीक कितना अतिरिक्त व्यय आवश्यक हो सकता है उसे इस स्तर पर बताना सम्भव नहीं होगा क्योंकि उसके सम्बन्ध में अभी ब्योरे तैयार करने हैं। फिर भी यह व्यय इस स्रोत से होने वाले अनुमानित राजस्व के ५ प्रतिशत से अधिक न होगा।

कैलाश प्रकाश,
वित्त मंत्री।

ज्ञापन-पत्र जो उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ के ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में है जिनमें विधान अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं ।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है। विधेयक के खण्ड २४(१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य रूप से, और खण्ड २४ के उपखण्ड (२) में निर्दिष्ट विषयों के लिए विशेष रूप से नियम बनायें। ये नियम विधेयक में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त, उस विधेयक में, जैसा कि वह विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित किया जाय, दिये गये शासी निदेशों का उचित ध्यान रखते हुए बनाये जायेंगे। विषय जिनके सम्बन्ध में नियम बनाये जायेंगे, वे नीचे दिये गये हैं :—

(१) वे व्यक्ति जो मुख्य अधिकारी समझे जायेंगे [खण्ड २ (९)];

(२) वह प्रपत्र जिसमें और वह रीति जिसके अनुसार कुल सकल आय की विवरणी प्रस्तुत की जायगी (खण्ड ७) ;

(३) करदाता पर तामील किये जाने वाले नोटिस का प्रपत्र [खण्ड ८ का उपखण्ड (२), खण्ड १३ और १९] ;

(४) वह रीति जिस के अनुसार मुख्य अधिकारी स्त्रोत पर कर की कटौती करेगा और उसे खजाने में जमा करेगा (खण्ड ९) ;

(५) वह प्रपत्र जिस में और वह रीति जिसके अनुसार तथा वह समय जिसके भीतर विवरणियां प्रस्तुत की जायेंगी और वह प्रपत्र जिसमें मुख्य अधिकारी अपने द्वारा की गयी कटौतियों के सम्बन्ध में रसीदें जारी करेगा (खण्ड ९);

(६) वह प्रपत्र जिसमें और वह रीति जिस के अनुसार करदाता कर या शास्ति जमा करेगा और सरकारी खजाने द्वारा रसीदें जारी की जायेंगी (खण्ड १२) ;

(७) अपील और पुनरीक्षणों की सुनवाई करने में अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया (खण्ड १५ और १६) ;

(८) वे सभी विषय जिन्हें इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना अपेक्षित हो अथवा जो नियत किये जायें [खण्ड २४(२) (ज)]।

नियम बनाने का यह अधिकार सामान्य प्रकार का है।

कैलाश प्रकाश,
वित्त मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० १४५ एल० ए० १९६५—८६२ ।